



उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा कुमाऊँ मण्डल वर्ष 2018-19



कार्यालय उप निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या - 05946-222465

E - Mail - ddecostat@gmail.com

प्रस्तावना

कुमाऊँ मण्डल की वर्ष २०१८-२०१९ की सामाजिक समीक्षा प्रकाशन श्रृंखला का ३७ वाँ संस्करण है। इसके अन्तर्गत मण्डल की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति एवं पशुधन, कृषि, उद्यान, सिंचाई, उद्योग, ग्राम्य विकास, विद्युत, परिवहन, संचार, पर्यटन एवं सामाजिक व आर्थिक सेवाओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। पुस्तिका को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत आँकड़ों को अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका के प्रकाशन में मण्डल के समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों, जनपद के सम्बन्धित सहायकों, मण्डलीय कार्टोग्राफिक सहायक श्री हरीश चन्द्र भट्ट एवं मण्डलीय कार्यालय के अन्य सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रिका को ससमय प्रकाशित करने एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए जनपदों से त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होता रहेगा। प्रबुद्ध पाठकों के बहुमूल्य सुझाव का सदैव आदर किया जायेगा।

(राजेन्द्र तिवारी)
उप निदेशक
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल ।

कुमायूँ मण्डल



अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय / भौगोलिक स्थिति	1-4
2	खनिज सम्पदा	5
3	प्रशासनिक ढाँचा	6-7
4	जनसंख्या विवरण	8-9
5	कृषि	10-20
6	उद्यान	21-26
7	रेशम	27-28
8	सहकारिता	29-39
9	पशुपालन	40-42
10	वन	43-46
11	जल सम्पूर्ति	47-51
12	उद्योग	52-64

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
13	विद्युत	65–66
14	मार्ग परिवहन एवं संचार	67–68
15	पर्यटन	69–77
16	शिक्षा	78–83
17	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	84–87
18	बाल विकास	88–91
19	ग्राम्य विकास	92–97
20	प्रादेशिक विकास दल	98–99
21	दुग्ध विकास	100–106
22	मत्स्य विकास	107–108
23	बैंकिंग सेवायें	109
24	समाज कल्याण	110–112

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ०प्र० के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7°से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी० है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते हैं। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे-बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये हैं। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50-60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रुहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यह भाग सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।


नैनीताल :- अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे-बड़े अनेक ताल हैं, किन्तु



सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है। नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होंने ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिशेखर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने

लगा। इसके पहले यहाँ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊँ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने "हिममला" नामक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि० ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पाँच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटकों की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :- जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश काल में यह




जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊँ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पाँच किमी. लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रेकिंग से ग्लेशियरों तक पहुँचने

वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :- जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921



में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुँचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरुड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश-विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते हैं। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी

नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते हैं कि चन्द्रवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई० में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया। इस मन्दिर में सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी-देवताओं के अलग-अलग मन्दिर हैं। प्रतिवर्ष माह

जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश-विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं।

ऊधमसिंहनगर :- जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रुद्र के किसी भक्त या रुद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रुद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की




पगडंडियों से चलकर विशाल रुद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रुद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रुद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊधम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864-65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई। बड़ी संख्या में देश के

पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी⁰ परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रांट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ०प्र०, गढ़वाल, कुमायूँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रुद्रपुर। इसीलिए 20-25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :- जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। जनपद



की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती हैं। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फाली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

चम्पावत :- जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा



जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र है। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं-कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक है। प्रमुख धार्मिक स्थल में

पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। माँ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते हैं, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरु गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरैलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय-समय पर मेले आदि लगते हैं। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा है।



इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइट आदि पाया जाता है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी

व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यावसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यावसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार हैं। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थों के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 52 तहसील, 9 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 17 नगर पंचायत तथा 9 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है, जिनमें से 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6921 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7410 है। जिसमें से 280 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6873 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3486 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 35 व नगरीय क्षेत्र में 36 तथा 02 जी0आर0पी0 है।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयाँ

क्र० सं०	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना (आंशिक)
			2. लमगड़ा (आंशिक)
			3. धौलादेवी (आंशिक)
			4. हवालबाग (आंशिक)
			5. ताकुला (आंशिक)
		2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक)
			2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक)
			2. हवालबाग (आंशिक)
		4. भिक्यासैण	1. भिक्यासैण (आंशिक)
			2. सल्ट (आंशिक)
		5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत
2. द्वाराहाट (आंशिक)			
6. चौखुटिया	1. चौखुटिया		
7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक)		
	2. भिक्यासैण (आंशिक)		
8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक)		
9. जैती	1. लमगड़ा (आंशिक)		
10. स्याल्दे	1. स्याल्दे		
11. लमगड़ा	1. लमगड़ा (आंशिक)		
12. धौलछीना	1. भैसियाछाना (आंशिक)		

क्र० सं०	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरुड़	1. गरुड़-बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		4. काण्डा	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		5. दुग नाकुरी	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		6. कठपुड़ियाछीना	1. बागेश्वर
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़ (आंशिक) 3. कोटाबाग (आंशिक)
		2. कालाढूंगी	1. कोटाबाग (आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़ (आंशिक) 2. बेतालघाट (आंशिक)
		4. धारी	1. धारी
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट (आंशिक)
		6. ओखलकांडा	1. ओखलकांडा
		7. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		8. लालकुआँ	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		9. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रुद्रपुर (आंशिक)
		5. रुद्रपुर	1. रुद्रपुर (आंशिक)
		6. गदरपुर	1. गदरपुर
		7. खटीमा	1. खटीमा
		8. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला (आंशिक)
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट (आंशिक)
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी (आंशिक)
		7. बंगा पानी	1. धारचूला (आंशिक) 2. मुनस्यारी (आंशिक)
		8. थल	1. बेरीनाग (आंशिक) 2. डीडीहाट (आंशिक)
		9. कनालीछीना	1. कनालीछीना (आंशिक) 2. डीडीहाट (आंशिक)
		10. गणाई गंगोली	1. गंगोलीहाट (आंशिक)
		11. देवथल	1. कनालीछीना (आंशिक)
		12. तेजम	1. मुनस्यारी (आंशिक)
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत (आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत (आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट 2. पाटी (आंशिक)
		4. पाटी	1. पाटी (आंशिक)
		5. बाराकोट	1. बाराकोट

अध्याय - 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी०)	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी०	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		21034	4228998	2138287	2090711	201	978	78.52

कुमायूँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल

में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है।

जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%,

अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.

88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत

में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में

73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

जनगणना 2011 के

अनुसार कुमायूँ मण्डल में 1000


हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000

पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 963

है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय जनपद

पिथौरागढ़ में 1000 पुरुषों पर



महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा

उधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू-भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरुष सेना में सेवारत रहने के कारण

बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय

क्षेत्र में निवास कर रहे पुरुष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते हैं, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय

जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है,

जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमायूँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों

में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये।

इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की

संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित हैं। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे-छोटे तथा छिटके हैं, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विविधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम,



कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत में सन् 1875 में की गयी। प्रारम्भ में विभाग का कार्य कृषि आँकड़े एकत्रित करना एवं कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। सन् 1980 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्ध किया गया। कालान्तर में GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से स्वतंत्र विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 09 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभाग उत्तराखण्ड का पुर्नगठन किया गया। विभागीय विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में एकल खिडकी व्यवस्था के अर्न्तगत कृषि निवेश केन्द्र न्यायपंचायत स्तर पर स्थापित कर समस्त विभागीय कार्य न्यायपंचायत स्तर से सम्पादित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग का कार्य जनपद में कृषकों की जोत कृषि भूमि की मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में कर कृषकों को उनकी मृदा के बारे में जानकारी एवं मृदा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्नतशील प्रजातियों के बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराता है। कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण/फसल प्रदर्शन के माध्यम से समय-समय पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा दैवी आपदा एवं अन्य कारणों से कृषि भूमि के कटाव/क्षरण होने की स्थिति में चैक डैम, ब्रस्टवाल, स्पर आदि के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा करते हुए जल संरक्षण कार्य भी सम्पादित करता है। कृषकों के रोजगार क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि हेतु विभाग द्वारा बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक का निर्माण

कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करते हुए कृषकों को मत्स्य पालन करने पालीहाउस से सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करता है।

भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। 'तलाऊ' भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रबी, खरीफ जायद फसलें उगाई जाती है। फसलें जैसे आलू, प्याज अथवा सोयाबीन, जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते हैं। यह दो भागों में बाटी जा सकती है— 1. अब्बल 2. दोयम। अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती है उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षात में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रबी में एक भू-भाग परती छोड़ना पड़ता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदर्शनीयों के आयोजन, बीज उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवेशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

कृषि जोतों का आकार :-

कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :-

उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	उप सीमान्त (0.5 है० से कम)		सीमान्त (1 है० से कम)		लघु (1 है० से 2 है०)		लघु एवं सीमान्त (2 है० तक)	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	नैनीताल	20270	4979.513	32897	14143.703	9716	13595.067	42613	27738.770
2	उधमसिंहनगर	40758	9832.842	61401	24826.428	20180	28520.315	81581	53346.743
3	अल्मोड़ा	39246	11382.692	76258	38808.238	21490	29903.176	97748	68711.414
4	पिथौरागढ़	43261	12236.585	66686	28800.232	6063	8218.078	72749	37018.310
5	बागेश्वर	29837	8398.974	43959	18585.988	3381	4434.285	47340	23020.273
6	चम्पावत	14931	4684.642	25404	12583.996	5166	7513.075	30570	20097.071
कुमांऊ मण्डल		188303	51515.248	306605	137748.585	65996	92183.996	372601	229932.581

उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	लघु एवं सीमान्त (प्रतिशत में)		कुल		जोत का औसत क्षेत्रफल
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	
1	नैनीताल	87.44	55.58	48733	49909.073	1.024
2	उधमसिंहनगर	79.23	37.23	102971	143298.073	1.392
3	अल्मोड़ा	95.61	85.30	102240	80555.454	0.788
4	पिथौरागढ़	98.65	92.87	73744	39859.546	0.541
5	बागेश्वर	99.62	97.72	47522	23556.717	0.496
6	चम्पावत	94.77	80.42	32257	24991.481	0.775
कुमाँऊ मण्डल		91.44	63.49	407467	362170.344	0.889

जहाँ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू-भाग में एक ओर तो जोतें छोटी हैं दूसरी ओर जोत के अन्तर्गत आने वाले खेत भी छोटे-छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार मण्डल की लगभग 63.49 प्रतिशत जोतों का आकार लघु एवं सीमान्त श्रेणी की है। एक है० तक की जोतों के अन्तर्गत 38.03 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं, जबकि 25.45 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है० क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, एवं दो है० से अधिक जोतों के अन्तर्गत 36.51 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं।

संख्यात्मक रूप से एक है० तक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 75.24 प्रतिशत, एक से दो है० के बीच क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या लगभग 16.19 प्रतिशत एवं दो है० से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 8.55 प्रतिशत है।

कुमाँऊ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, सितारगंज जेल, हेमपुर आर्मी फार्म) स्थित है।

1. केन्द्रपोषित योजना:-

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

- **जैविक कार्यक्रम:-**जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाँऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत क्रमश 200, 510, 216, 200, 60, 50 वर्मी कम्पोस्ट, क्रमश 110, 0, 71, 99, 15, 50 नाडेप, क्रमश: 15, 15, 8, 15, 5, 8 प्रशिक्षण एवं क्रमश: 7, 7, 5, 7, 3, 4 मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के योजनान्तर्गत क्रमश:रु० 15.23, 15.45, 15.05, 14.95, 5.47, 4.25 लाख व्यय किया गया।
- **एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजना:-** इस योजना अन्तर्गत कुमाँऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमश 35, 9, 37, 7, 3 बहुद्देशीय जल संभरण टैंकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैंक निर्मित किए

गए साथ ही पॉलीहाउस, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन का कार्य भी किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 130.53, रू0 24.50, रू0 140.90, रू0 25.00, रू0 10.82 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

- **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम परीक्षण (दैवीय आपदा) :-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-कटाव की रोकथाम हेतु ब्रेस्टवॉल, जल निकास नाली, रिटेनिंग वॉल चैकडैम, पुस्ता व सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में क्रमशः रू0 40.89 लाख की धनराशि व्यय की गई।
- **घेरबाड़ योजना :-** जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में 9923 मी घेरबाड़ का निर्माण कराया गया, जिसमें क्रमशः रू0 102.77, रू0 6.89, रू0 40.21 लाख की धनराशि व्यय की गई।
- **फसलोत्पादन (धान/गेहूँ) कार्यक्रम :-** धान फसलोत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 210, 38, 105 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 12.04, रू0 3.78, रू0 3.35 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य रू0 क्रमशः 0.33, रू0 0.00, 0.00 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 10.28, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। इस प्रकार कुल क्रमशः रू0 24.96, रू0 2.86, रू0 5.49 लाख व्यय किया गया।

गेहूँ फसलोत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद चम्पावत में 93 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 3.92 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल रू0 0.36 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत क्रमशः 2000 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत कुल रू0 5.52 लाख व्यय किया गया।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल कार्यक्रम:-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में क्रमशः 300, 110, 130 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 23.19, रू0 7.028, रू0 5.35 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य रू0 क्रमशः 0.022, रू0 1.632, 0.060 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पादप तथा मृदा प्रबन्धन/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 35.939, रू0 1.632, रू0 1.28 लाख कृषि रक्षा रसायनों

पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। मानव चालित नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः रू0 0.036, रू0 0.072, रू0 0.00 लाख अनुदान दिया गया। कृषकों को 15000 प्रति पावर वीडर की दर में क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.95 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया। जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 12, 4, 1 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से क्रमशः रू0 1.20, रू0 0.40, रू0 0.10 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। कृषक प्रशिक्षण मद में क्रमशः रू0 0.14, रू0 0.412, रू0 0.20 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार कुल क्रमशः रू0 79.35, रू0 21.70, रू0 20.34 लाख व्यय किया गया जिसमें से क्रमशः रू0 12.35, रू0 2.65, रू0 3.93 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों पर व्यय किया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 63.34, रू0 19.05, रू0 13.00 लाख सामान्य कृषकों पर व्यय किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 3.66, रू0 0.00, रू0 2.67 लाख अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय किया गया।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम:-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कलस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 302, 500, 140, 150, 60 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिसमें उर्द/मूंग-गेहूँ कलस्टर प्रदर्शनों में क्रमशः 20, 15, 10, 0, 0 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किया गया। कलस्टर प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु क्रमशः रू0 24.08, रू0 44.06, रू0 12.58, रू0 6.94, रू0 3.73 लाख की धनराशि कृषि निवेशों अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए। सूक्ष्म तत्व वितरण/पौध रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 16.529, रू0 29.661, रू0 1.411, रू0 1.040, रू0 0.137 लाख की लागत से 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराये गए। नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः 39, 1, 5, 0, 0 स्प्रे मशीनों पर क्रमशः रू0 0.199, रू0 0.005, रू0 0.048, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख का अनुदान कृषकों को अनुमन्य कराया गया। पावर वीडर मद में क्रमशः 9, 0, 3, 4, 6 पावर वीडर कृषकों को 15000 रू0 प्रति पावर वीडर की दर से अनुदान अनुमन्य कराया गया। जल संवहन पाइप में क्रमशः 3300, 0, 600, 300, 0 मीटर पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जल पम्प मद में क्रमशः 1, 0, 0, 0, 0 जल पम्प कृषकों का 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से वितरण किये गये। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 65.64, रू0 177.96, रू0 19.87, रू0 19.03, रू0 9.93 लाख व्यय किया गया। क्रमशः रू0 53.03, रू0 131.23, रू0 16.69, रू0 12.25, रू0 8.89 लाख की धनराशि सामान्य कृषकों हेतु, क्रमशः रू0 12.62, रू0 33.89, रू0 3.18, रू0 5.93, रू0 1.03 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 0.00, रू0 12.84, रू0 0.00, रू0 0.85, रू0 0.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय की गयी।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम:-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में दलहन कार्यक्रम के कलस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः 90, 20, 100, 140, 50, 40 है0 क्षेत्र में कलस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। जिस पर कुल क्रमशः रू0 4.49, रू0 1.56, रू0

4.37, ₹ 5.89, ₹ 3.20, ₹ 1.45 लाख धनराशि कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी। अधिक उपजदायी बीज वितरण मद में क्रमशः 28.13, 52.48, 6.05, 19.64, 0.98, 1.88 कु0 उन्नत बीज वितरण पर कृषकों को ₹ 5000.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व वितरण अन्तर्गत 33.5, 1593, 98.48, 0, 0, 350 है0 क्षेत्र में कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः ₹ 0.40, ₹ 6.32, ₹ 0.13, ₹ 0.00, ₹ 0.00, ₹ 0.19 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया एवं पौध सुरक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण वितरण अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः ₹ 0.686, ₹ 3.305, ₹ 2.178, ₹ 0.68, ₹ 0.589, ₹ 0.00 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। कृषि यंत्रिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 6.55, ₹ 16.52, ₹ 0.328, ₹ 0.00, ₹ 0.00, ₹ 0.09 लाख व्यय किया गया। जल संवहन पाइप के अन्तर्गत क्रमशः 2900, 0, 600, 0, 0, 600 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 2, 4, 7, 0, 1, 4 जल पम्प 10000 ₹ प्रति जल पम्प अनुदान के रूप में कृषकों को वितरण किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः ₹ 3.36, ₹ 4.49, ₹ 1.34, ₹ 1.83, ₹ 1.453, ₹ 0.46 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु, ₹ 13.49, ₹ 27.40, ₹ 11.20, ₹ 12.53, ₹ 6.857, ₹ 4.68 लाख की धनराशि सामान्य जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः ₹ 0.00, ₹ 2.86, ₹ 0.00, ₹ 0.66, ₹ 0.00, ₹ 0.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज:**— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद 10, 0, 0, 0, 0, 0 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। बीज वितरण में क्रमशः 10, 0, 4.60, 2.47, 0.70, 0 कु0 उन्नत बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। क्लस्टर प्रदर्शन/बीज वितरण मद में क्रमशः ₹ 1.73, ₹ 0.00, ₹ 0.079, ₹ 0.034, ₹ 0.012, ₹ 0.00 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। जिसमें क्रमशः ₹ 0.10, ₹ 0.00., ₹ 0.01, ₹ 0.03, ₹ 0.02, ₹ 0.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाज:**— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद 291, 60, 50, 60 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। बीज वितरण/सूक्ष्म तत्व वितरण/पौध रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण/रिसोर्स कन्जरवेशन तकनीकी/टूल्स वितरण मद क्रमशः ₹ 8.677, ₹ 1.19., ₹ 1.77, ₹ 1.34 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः ₹ 10.41, ₹ 1.37, ₹ 2.22, ₹ 1.83 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 50, 10 है0 क्षेत्र में तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये जिसमें क्रमशः रू0 2.12, 0.40 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कृषि निवेश कृषको को उपलब्ध कराये गये। योजनान्तर्गत चम्पावत जनपद में 1 पावर टिलर उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत जनपदवार क्रमशः रू0 6.337, रू0 0.40, रू0 0.511, रू0 0.326, रू0 0.00, रू0 0.87 लाख की धनराशि कृषको को कृषि निवेश/यंत्रों/प्रशिक्षण इत्यादि मदों में अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए।

(स) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट):—

i. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) :— योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

- **कस्टम हायरिंग केन्द्र** :—इसके अन्तर्गत वर्ष 2018—19 कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 3, 19 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए, जिस पर क्रमशः रू0 11.88, 76.00 लाख 40 प्रति0 अनुदान के रूप में कृषकों/कृषक समूहों को उपलब्ध कराये गए।

- **फार्म मशीनरी बैंक**:—इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 67, 0, 21, 17, 7, 13 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस पर क्रमशः रू0 515.63, रू0 0.00, रू0 160.27, रू0 144.54, रू0 56.00, रू0 104.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जिसमें क्रमशः रू0 62.00, रू0 0.00, रू0 30.27, रू0 16.00, रू0 16.00, रू0 24.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के समूह में व्यय की गयी। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 16.00, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति के समूह में व्यय की गयी।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रेसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 547.84, रू0 210.70, रू0 166.82, रू0 158.39, रू0 67.60, रू0 110.84 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

ii. नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट—आत्मा):—

आत्मा योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में वर्ष 2018—19 में क्रमशः 1388, 1321, 1806, 1210, 70, 765 मैनडेज कृषक

प्रशिक्षण, क्रमशः 1629, 1203, 950, 1567, 30, 820 एक्सपोजर बिजिट आयोजन कराया गया एवं 36, 32, 45, 28, 0, 20 कृषक पुरुस्कार वितरित किए गए। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 170, 181, 287, 282, 28, 59 प्रदर्शन आयोजित किये गए एवं 24, 26, 33, 24, 9, 4 फार्म स्कूल संचालित किये गए। योजनान्तर्गत क्रमशः ₹ 71.42, ₹ 68.63, ₹ 95.63, ₹ 73.09, ₹ 29.20, ₹ 44.07 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

iii. सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना:-

सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना खरीफ वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 0, 95, 64, 35, 24 न्याय पंचायतों में क्रमशः 1202, 0, 1692, 1322, 992, 563 कृषकों को क्रमशः 298.34, 0, 70.83, 91.17, 45.01, 24.21 कुन्तल बीज अनुदान पर वितरित किया गया। क्रमशः 4, 0, 15, 4, 12, 8 तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए।

इसी प्रकार सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना रबी वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(द) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन:-

➤ **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :-** इस योजना में वर्षा आधारित क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि/कृषिवानिकी आधारित फसल प्रणाली/पशुपालन/दुग्ध आधारित फसल कार्यक्रम/उद्यान आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शन आयोजित कराये गये हैं, वर्ष 2018-19 कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 2, 8, 3, 3, 5 क्लस्टरों में कृषकों को लाभान्वित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषकों को कृषि व रेखीय विभागों सम्बन्धी जानकारी हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित कराये गये। जिसमें क्रमशः 140, 500, 160, 360, 490 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। योजना के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक जल सम्भरण टैंक का निर्माण कराया गया। साथ ही जल संवहन पाइप का भी वितरण किया गया। उक्त योजना अन्तर्गत क्रमशः ₹ 24.24, ₹ 47.54, ₹ 22.36, ₹ 17.25, ₹ 56.94 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

➤ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:-** उक्त योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण/विश्लेषण के महत्व व उपयोगिता को बढ़ावा देने हेतु, वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 4682, 20045, 4003, 1926, 1245, 1480 मृदा नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 4266, 22906, 4003, 1925, 1245, 1480 नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण किया गया। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 23490, 42786, 53321, 33304, 26914, 16411 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।

➤ **परम्परागत कृषि विकास योजना:-** परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 187, 8, 215, 200, 122, 125 चयनित कलस्टरों में जैविक कलस्टर बनाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 क्रमशः ₹0 296.40, ₹0 12.64, ₹0 340.78, ₹0 317.00, ₹0 193.36, ₹0 198.13 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2018-19 में क्रमशः 3740, 152, 4300, 4000, 2440, 2500 हे० क्षेत्र में कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्य किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में क्रमशः 3740, 97, 4233, 2000, 1458, 790 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्मित किये गए, जिस पर क्रमशः ₹0 91.00, ₹0 4.85, ₹0 211.13, ₹0 100.00, ₹0 72.90, ₹0 39.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी, तथा क्रमशः 3740, 160, 4300, 4000, 1250, 2500 हे० क्षेत्र हेतु फॉस्फेट रिच जैव खाद (प्रोम) वितरण किया गया।

(य) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:-** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 48, 0, 19, 24, 12, 9 सामुदायिक सिंचाई टैंक, क्रमशः 0, 0, 13, 16, 6, 5 चैकडैम, क्रमशः 0, 0, 7, 20, 0, 5 डग आऊट तालाब, क्रमशः 0, 142, 0, 0, 0, 0 नलकूप, क्रमशः 1, 30, 1, 1, 0, 0 पुराने टैंको का जीर्णोधार, क्रमशः 0, 0, 5, 7, 0, 5 छत वर्षा जल सम्भरण टैंक निर्मित/स्थापित किये गए। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 0, 24, 0, 6, 3, 0 जलपम्प वितरित किए गए। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 1, 1, 1, 1, 1, 1 जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में क्रमशः ₹0 52.78, ₹0 69.375, ₹0 69.05, ₹0 72.44, ₹0 42.825, ₹0 33.075 लाख व्यय किया गया।

(र) **जागरूकता शिविर/कृषक गोष्ठी/ किसान मेला का आयोजन:-** वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में भारत सरकार द्वारा मनाये गए "राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर 2018" में ICDS विभाग को सहयोग दिया गया। भारत सरकार द्वारा 15 सितम्बर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 तक घोषित "स्वच्छता ही सेवा" पखवाड़े में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में समस्त न्याय पंचायतों में जागरूकता शिविरो/गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा सम्बन्धित जानकारियाँ दी गयी एवं कृषि निवेश वितरित किये गये। विश्व मृदा दिवस 5 दिसम्बर 2018 को कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में न्याय पंचायतों में शिविरो का आयोजन किया गया एवं कृषको को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये एवं विभाग से सम्बन्धित जानकारियाँ दी गई। 25 दिसम्बर 2018 से 25 फरवरी 2019 के मध्य समस्त जनपदों में जनपद स्तरीय किसान मेलो का आयोजन किया गया। फरवरी 2019 एकीकृत आजीविका मिशन योजना (ILSP) के सहयोग से हिलांश मेलो का आयोजन समस्त जनपदों में किया गया।

(ल) किसान कल्याण अभियान (ऊधमसिंह नगर):— जनपद ऊधमसिंह नगर में **किसान कल्याण अभियान—फेज़ 1** में चयनित 25 ग्रामों में 4798 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये, 453 इकाई दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट वितरण किया गया, 12500 उद्यान/कृषिवानिकी/बाँस पौध (5 पौध/परिवार) वितरण किया गया, 500 नाडेप पिट का निर्माण कराया गया, खुरपका—मुँहपका रोग से बचाव हेतु 11240 पशु टीकाकरण किया गया, 3284 भेड़/बकरी का पीपीआर रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया गया, 3276 पशुओ का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, 75 प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया, 251 कृषि यंत्र वितरण किया गया, 163 है0 क्षेत्रफल में कॅॉपिंग सिस्टम आधारित कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया एवं 163 है0 क्षेत्रफल में सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर में **किसान कल्याण अभियान—फेज़ 2** में चयनित ग्रामों में 3884 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये, 1539 इकाई दलहन, तिलहन बीज मिनीकिट वितरण किया गया, 500 नाडेप पिट का निर्माण कराया गया, खुरपका—मुँहपका रोग से बचाव हेतु 13721 पशु टीकाकरण किया गया, 2363 भेड़/बकरी का पीपीआर रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया गया, 12552 पशुओ का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, 75 प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया, 252 कृषि यंत्र वितरण किया गया, 25 एकीकृत कॅॉपिंग सिस्टम आधारित प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जागरूकता हेतु 25 जागरूकता शिविर का आयोजन कराया गया एवं 25 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया।

2. राज्य सैक्टर:—

(क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम:—इसके अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 15.00, रू0 15.00, रू0 20.00, रू0 14.90, रू0 15.01, रू0 10.00 लाख व्यय किया गया।

(ख) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम:—इसके अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ में बीज मिनीकिट वितरण, पौध सुरक्षा कार्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 18.00, रू0 11.82 लाख व्यय किया गया।

3. जिला योजना:—

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 में चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनीकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. बीज मिनीकिट वितरण:— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 कुमाऊँ मण्डल के जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत के चयनित ग्रामों में क्रमशः 700, 2000 कृषकों को विभिन्न फसलों की अधिक उपजदायी नवीनतम प्रजातियों के बीज मिनी किट वितरित किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यक्रम पर क्रमशः रू0 2.50 एवं रू0 4.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

2. कृषि यंत्र वितरण:— इस कार्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2018—19 कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों को कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव चालित बैल चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों यथा विवेक स्याही हल, पावर वीडर, पावर टिलर, मडुवा थ्रेसर एवं नैपसैप स्प्रेयर आदि का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा तक अनुमन्य अनुदान पर वितरण कर क्रमशः 73, 20, 7280, 22 कृषकों/कृषक समूहों को लाभान्वित किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 18.09, रू0 14.00, रू0 28.78, रू0 20.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

3. अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य:— इस कार्य मद के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषकों/कृषक समूहों की आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुउद्देशीय टैकों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, गूल निर्माण एवं सुरक्षा दीवार आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराकर वर्ष 2018—19 कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 12.80, रू0 50.68, रू0 44.56, रू0 40.00, रू0 23.00, रू0 10.81 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

जिला योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 20.00, रू0 30.00, रू0 4.40, रू0 0.00, रू0 2.50, रू0 7.52 लाख की धनराशि पौध सुरक्षा कार्यक्रम हेतु व्यय की गयी। इस मद अन्तर्गत क्रमशः 4356, 24000, 2995, 0, 670, 1000 है0 क्षेत्रफल में कार्यक्रम का संचालन करते हुए कृषकों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय – 6

उद्यान

जिला योजना तथा विकास – इस अध्याय के अंतर्गत राज्य निर्माण से अब तक के विभागवार जिला योजनाओं के परिव्यय, अवमुक्त एवं व्यय की स्थिति एवं योजनाओं से प्राप्त प्रमुख-प्रमुख विभागों की भौतिक प्रगति तथा रोजगार सृजन परिसंपत्तियों का निर्माण आजीविका सृजन क्लस्टर आधारित कृषि, उद्यानीकरण, औषधि पादप आदि का उत्पादन, निर्माण कार्यों की स्थिति, सड़क पुल, सिंचाई गूल तथा विभागों द्वारा किए गए नव परिवर्तन का विवरण होगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कुमाऊँ मण्डल

क्र०सं०	जनपद का नाम	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		
		अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय	अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय
1.	नैनीताल	50.00	50.00	50.00	269.70923	269.70923	268.95446
2.	अल्मोड़ा	54.84	54.84	54.84	0.00	90.92	90.92
3.	उधमसिंह नगर	30.00	30.00	30.00	101.78	101.78	101.78
4.	पिथौरागढ़	45.00	45.00	44.86	86.99	86.99	84.84
5.	बागेश्वर	64.00	64.00	64.00	44.14514	44.14514	44.14514
6.	चम्पावत	75.00	75.00	75.00	59.01	38.583	38.583
	योग	318.84	318.84	318.70	561.63437	632.12737	629.2226

क्र०सं०	जनपद का नाम	केन्द्रपोषित			वाह्य सहायतित		
		अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय	अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय
1.	नैनीताल	368.64	217.668	208.640	0.00	0.00	0.00
2.	अल्मोड़ा	117.66	94.066	48.80	0.00	5.23	5.23
3.	उधमसिंह नगर	650.77	387.625	207.494	13.07	13.07	13.07
4.	पिथौरागढ़	0.00	102.269	94.1212	0.00	0.00	0.00
5.	बागेश्वर	77.113	52.693	39.16048	0.00	0.00	0.00
6.	चम्पावत	92.544	92.544	92.544	0.00	0.00	0.00
	योग	1306.727	946.865	596.63848	13.07	18.30	18.30

उद्यान के अन्तर्गत रोजगार सृजन की स्थिति एवं उद्यानीकरण का पर्यटन के सम्बन्ध में— विभाग द्वारा वर्तमान में उद्यानपतियों के यहाँ स्वरोजगार हेतु उद्यानों की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकासखण्डों के अन्तर्गत आम, लीची, अमरूद, सेव, खुबानी, आड़ू एवं प्लम आदि के उद्यान लगाये जा रहे हैं, जिससे उद्यानपतियों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। इसके साथ आलू, शिमला मिर्च, बन्दगाभी, फूलगोभी, टमाटर, मटर एवं पॉलीहाउसों में उच्च गुणवत्तायुक्त पुष्प उत्पादन कार्य किया जा रहा है। जिससे युवाओं/उद्यानपतियों को रोजगार एवं अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जनपदों में स्थापित उद्यानों एवं पॉलीहाउसों में उत्पादित सब्जी एवं पुष्प उत्पादन का अवलोकन पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। औद्यानिक विकास हेतु राजकीय उद्यान / नर्सरी / उद्यान सचल दल केन्द्र / फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। औद्यानिक कार्यक्रम से लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रों का न होना है। जिससे उद्यान पतियों / सब्जी उत्पादकों एवं पुष्प उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु दूरस्थ बाजारों में ले जाना पड़ता है। मौसमी फलों / सब्जियों आदि के उचित

भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण भी उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मुल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिस कारण उद्यानपतियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उद्यान एवं सब्जी उत्पादन में अवस्थापनाओं व नर्सरी संचालन में व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	व्यय धनराशि
1.	नैनीताल	21.54269
2.	अल्मोड़ा	29.035
3.	उधमसिंह नगर	52.65
4.	पिथौरागढ़	21.78
5.	बागेश्वर	7.44931
6.	चम्पावत	11.33
	योग	143.787

मण्डल में विकास कार्य हेतु राजकीय उद्यान /नर्सरी ,उद्यान सचल दल केन्द्र /फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	राजकीय उद्यान /नर्सरी(संख्या)	उद्यान सचल दल केन्द्र (संख्या)	फल संरक्षण केन्द्र (संख्या)
1.	नैनीताल	09	31	05
2.	अल्मोड़ा	08	36	06
3.	उधमसिंह नगर	03	14	03
4.	पिथौरागढ़	15	24	03
5.	बागेश्वर	02	10	01
6.	चम्पावत	06	12	03
	योग	33	127	21

जिला योजना-

स्पेशल कम्पोनैट योजना :- जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर फलपौध रोपण, 60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य, 90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निर्माण कार्य (30×11×9 वर्ग0फीट) किया गया है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया एवं प्रसंस्करण हेतु उद्यानपतियों/युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया।

स्पेशल कम्पोनैट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निर्माण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	1668	13	402.10	937	0	0
2.	अल्मोड़ा	0	0	268.00	1439	10	10
3.	उधमसिंह नगर	590	4	351	42	0	0
4.	पिथौरागढ़	8000	92	198.74	132	11	11
5.	बागेश्वर	5331	912	602.50	8398	10	10
6.	चम्पावत	4371	54	7.75	64	12	12
	योग	19960	1075	1830.09	11012	43	43

क्र० सं०	जनपद का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण कु०में	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु०में)	कृषक संख्या
1.	नैनीताल	44.71	497	210.50	245
2.	अल्मोड़ा	27.04	274	101.00	189
3.	उधमसिंह नगर	6.29	141	0.00	0
4.	पिथौरागढ़	31.814	94	235.00	76
5.	बागेश्वर	2.42	0	110.47	510
6.	चम्पावत	20.10	42	123.00	123
	योग	132.374	1048	779.97	1143

सामान्य योजना:- योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 जनपदवार किये गये औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निर्माण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (है० में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	8562	74	1302.00	1703	94	94
2.	अल्मोड़ा	0	0	1340.00	7195	70	70
3.	उधमसिंह नगर	11234	59	3035.00	605	7	7
4.	पिथौरागढ़	23333	245	695.59	231	18	18
5.	बागेश्वर	50905	6245	1.60	7803	83	83
6.	चम्पावत	17793	86	47.50	264	108	108
	योग	90827	6709	6421.69	17801	380	380

क्र० सं०	जनपद का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण (कु०में)	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु०में)	कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल	291.30	1143	577.00	784
2.	अल्मोड़ा	367.73	1277	500.00	942
3.	उधमसिंह नगर	89.94	757	0.00	0
4.	पिथौरागढ़	111.349	331	215.00	45
5.	बागेश्वर	59.11	0	110.47	0
6.	चम्पावत	143.79	1579	177.00	177
	योग	1063.219	5087	1579.47	1948

राज्य सैक्टर

- **राज्य सैक्टर:-** राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में जनपदों में 16 कृषकों के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु 7.00 हैक्टेयर में 50% राज सहायता प्रदान की गई है। तथा जनपद में कुल 40579 (उद्यानकार्ड) उद्यानपति पंजीकृत किये गये।
- **उद्यानों का जीर्णोद्धार:-** उद्यानों का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 20 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। जिसमें 20 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

- **ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना:-** ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना के अन्तर्गत 18745.33 वर्ग मी० में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 97 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- **वृहद फल पौध रोपण:-** वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत 90794 निःशुक्ल फल पौध का रोपण कर 28989 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन (HMNEH):- फल पौध क्षेत्रफल विस्तार:- एच०एम०एन०ई०एच योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार औद्योगिक कार्य करवाये गये।

- **फल पौध क्षेत्रफल विस्तार:-** इस योजना के अन्तर्गत 682.33 है० क्षेत्रफल में आम, लीची, अमरूद, आड़ू, सेव, प्लम तथा खुमानी फल पौधों का रोपण किया गया, जिस पर रू० 117.76418 लाख धनराशि व्यय कर 1478 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- **सब्जी क्षेत्रफल विस्तार:-** हाइब्रिड सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में टमाटर, बन्दगोभी, शिमला मिर्च तथा फूलगोभी हाइब्रिड सब्जी बीज का वितरण कर 322.00 है० क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया गया तथा 1820 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- **मसाला क्षेत्रफल विस्तार:-** योजना के अन्तर्गत 291.00 है० क्षेत्रफल में मसाला मिर्च, अदरक, हल्दी मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया, जिससे 1287 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- **पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार 74.00** है० क्षेत्रफल में नीबू, आम, तथा आड़ू एवं सेव के पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिससे 120 कृषक लाभान्वित किये गये।
- **वर्मी कम्पोस्ट पिट:-** वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण योजनान्तर्गत 6.00 धनराशि व्यय कर कुल वर्मी कम्पोस्ट पिट बनाये गये जिससे 24 कृषक लाभान्वित हुए।

पॉलीहाउस निर्माण- पॉलीहाउस निर्माण योजनान्तर्गत 27650 वर्ग मी० में पॉलीहाउस का निर्माण कर 140 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

मौन पालन - राज्य में शहद उत्पादन तथा परपरागण द्वारा फलो एवं सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

क्र० सं०	जनपद	मौनपालकों की संख्या	मौन कलौनियों की संख्या	शहद उत्पादन मै० टन
1.	नैनीताल	986	21738	6352.55
2.	अल्मोड़ा	376	1571	97.90
3.	उधमसिंह नगर	40	1255	793.00
4.	पिथौरागढ़	661	4381	312.29
5.	बागेश्वर	215	645	50.00
6.	चम्पावत	314	1734	133.54
	योग	2592	31324	7739.28

मशरूम उत्पादन - इस योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराज्ज कम्पोस्ट वितरित किया गया है साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन पैकिंग तथा वितरण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्यौलीकोट तथा भवाली में एक-एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है।

क्र० सं०	जनपद	वितरित कम्पोस्ट (टन)	कृषकों की संख्या	बटन मशरूम ईकाईया	प्रशिक्षणार्थी संख्या
1.	नैनीताल	41.00	43	43	195
2.	अल्मोड़ा	28.00	24	24	325
3.	उधमसिंह नगर	22.00	35	35	155
4.	पिथौरागढ़	9.00	07	07	65
5.	बागेश्वर	10.00	10	10	68
6.	चम्पावत	6.50	06	06	40
	योग	75.50	82	82	848

फसल/उद्यान बीमा योजना –

क्रम सं०	जनपद	फसल-बीमा के अन्तर्गत बीमित कृषक			लाभान्वित कृषक			व्यय धनराशि
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नैनीताल	10059	15869	21608	10059	15869	21608	2100.64
2.	अल्मोडा	3340	1946	4642	3340	1946	4642	50.50
3.	उधमसिंह नगर	08	18	0	08	18	0	0.00
4.	पिथौरागढ़	0	0	236	0	0	236	0.00
5.	बागेश्वर	2443	2451	3034	2439	2402	2912	76.27
6.	चम्पावत	4476	3301	3746	4476	3301	3643	94.32
	योग	20326	23585	33266	20322	23518	33041	2321.73

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद में 207 कृषकों को 41436 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 207 पॉलीहाउस निर्मित किये गये जिसमें कृषकों को 30 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान किया गया तथा 50 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान एच0एम0 एन0इ0एच योजना से किया गया।

आत्मा परियोजना :- वर्ष 2018-19 में आत्मायोजनान्तर्गत जनपद द्वारा मशरूम प्रदर्शन में 2.80 धनराशि व्यय की गई जिससे 35 कृषक लाभान्वित हुए। कृषकों को जनपद एवं जनपद से बाहर भ्रमण कराया गया। भ्रमण पर रू0 0.996 धनराशि व्यय की गई। जिसके सापेक्ष 128 कृषक लाभान्वित हुये तथा सब्जी प्रदर्शन मद में रू0 1.72153 व्यय धनराशि के सापेक्ष 422.00 कि0ग्रा0 हाइब्रीड सब्जी बीज का वितरण कर 92 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में व्यय धनराशि रू0 10.85 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत राज सहायता पर 21.00 कु0 आलू बीज, 194.81 कु0 अदरख बीज एवं सब्जी बीज-12.03 कु0 क्यकर कृषकों को सब्जी बीज मटर, फ्रासबीन आदि वितरित कर 4082 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री हेतु पौधालय प्रक्षेत्रों का विकास - इस योजना के अन्तर्गत जनपद में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न राजसहायता की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष हेतु रू0 49.48 लाख धनराशि व्यय की गई।

फल पौध, सब्जी बीज एवं पौध, आलू बीज वितरण एवं परिवहन पर राज सहायता :- इस योजना का उद्देश्य सभी उद्यानपतियों को फल पौध, सब्जी बीज व पौध रसायनिक दवायें/औजार एक ही दर पर उपलब्ध कराना है। अतः उक्त इनपुट्स को उद्यान सचल दल केन्द्रों/विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाने हेतु ढुलान पर शत-प्रतिशत राज सहायता दी जाती है, जिस हेतु रू0 21.6937 लाख व्यय किया गया है।

औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम :-इस योजनान्तर्गत जनपद के फल/सब्जी उत्पादकों को उनकी फसलों को कीट-व्याधि से बचाने हेतु 60 प्रतिशत राज सहायता पर कीट-व्याधि रसायन कृषकों की मांगानुसार निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं, जिस हेतु वर्ष 2018-19 में रू0 22.19778 लाख व्यय किया गया।

औद्यानिक औजार संयंत्रों पर राज सहायता :- इस योजनान्तर्गत औद्यानिक कार्यो जैसे कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के छिडकाव आदि कार्यो हेतु कृषकों को उन्नत किस्म के औद्यानिक औजार/संयंत्र 50 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने उद्यानों में आवश्यक कटाई, छटाई का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। इस वर्ष रू0 5.00 लाख व्यय किया गया, जिससे 1434 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

कुरमुला कीट के विरुद्ध अम्लीय भूमि सुधार :- जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्डों में कुरमुला कीट बहुतायत में पाया जाता है। जिस कारण कृषकों की आलू एवं सब्जियों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः आलू/सब्जी फसल को कुरमुला कीट के नुकसान से बचाने के लिये कीटनाशक रसायन 60 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिस हेतु रू0 5.00 लाख व्यय किया गया।

फल /सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना – इस योजनान्तर्गत 2 योजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिसके अन्तर्गत कुल ₹0 16.85 लाख व्यय किया गया।

फलों की पैकिंग में कोरोगेटेड बक्सों का प्रोत्साहन :-जनपदों में उत्पादित किये जा रहे फलों के विपणन हेतु देश-प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में भेजा जाता है। वर्तमान में फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों का प्रयोग हो रहा है चूंकि लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अतः लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्से उपलब्ध कराये गये। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत ₹0 16.85 लाख व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त उत्पादन स्तर से (फील्ड से) गोदाम तक फलो/सब्जियों को सुरक्षित लाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्लास्टिक क्रेट्स 1423 एवं कोरोगेटेड बाक्स 70000 क्रय कर उपलब्ध कराये गये, जिससे 4123 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण :- कृषकों /उद्योगियों को फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा सात दिवसीय ₹0 350/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत ₹0 शून्य व्यय किया गया, जिससे 3550 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रदेश के अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास – योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति के कृषकों को औद्योगिक फसलों को व्यवसायिक रूप प्रदान करने के लिए औद्योगिक फसलों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। आलोच्य वर्ष में आलू विकास पर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹0 20000/-प्रति हैक्टर की दर से राजसहायता दी गयी, जिस पर ₹0 7.7399 लाख व्यय किया गया, इससे 954 कृषक लाभान्वित हुए।

विगत पाँच वर्षों में निर्मित पॉलीहाउसों का जीर्णोद्धार – इस योजना के अन्तर्गत जनपद में विगत पाँच वर्षों में निर्मित पॉलीहाउसों, जिनकी पॉलीसीट फट चुकी है, का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस योजना में ₹0 5.8898 लाख धनराशि व्यय कर 43 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

कीटव्याधि की रोकथाम पर 60%की राजसहायता :- जनपद में औद्योगिक फसलों जैसे फलों, सब्जियों, आलू, व मशाला फसलों के उत्पादन में लगने वाले कीड़ों व बीमारियों से फसल को बचाने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 60% राजसहायता पर सभी प्रकार के कीट/व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों की फसलों को कीटों से होने वाली क्षति को बचाते हुए अधिक आर्थिक आय अर्जित की जा सकें। 1830.00 है0 क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य कर 11012 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

कुरमुला कीट नियन्त्रण पर 60%राजसहायता :- कुरमुला कीट जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक फसलों जैसे सब्जी, आलू, अदरक व फलदार पेड़ों को जमीन के अन्दर रहकर विशेष रूप से हानि पहुँचाता है इसकी रोकथाम न होने की स्थिति में फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। कुरमुला कीट का यदि नियन्त्रण न किया गया तो ये आगे बोयी जाने वाली फसलों को भी क्षति पहुँचाता है। जिसके नियन्त्रण हेतु विभाग द्वारा 60% राजसहायता पर कृषकों को कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों को निश्चित रूप से काफी लाभ हो रहा है। कुरमुला कीट नियन्त्रण होने से सब्जी उत्पादन का कार्य काफी अच्छी प्रगति में है। 320 है0 क्षेत्रफल में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य कर 7143 कृषकों को लाभान्वित किया।

औद्योगिक औजार वितरण पर 50%राजसहायता :- औद्योगिक फसलों के उत्पादन में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार व संयंत्रों जैसे स्प्रे मशीन, स्केटियर, आरी, बडिंग ग्राफटिंग चाकू आदि संयंत्र 50% राजसहायता पर कृषकों को जनपद में स्थित उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपद में औद्योगिक कार्यों की गुणात्मक प्रगति के कारण औद्योगिक औजार/संयंत्रों की माँग प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में 1164 औद्योगिक औजार वितरण कर योजनान्तर्गत 1434 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

औद्योगिक फसलों के व्यवर्तनीकरण पर 50% राजसहायता :- इस योजना के अन्तर्गत हल्दी एवं अदरक बीज 50% राजसहायता पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 21.00 कु0 अदरक बीज का वितरण कृषकों में किया गया, जिसमें 115 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फल पट्टी का समुचित विकास :- इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में 133.00 है0 क्षेत्रफल में फल -पौधों का रोपण किया गया है एवं फल पट्टी विकास में ₹0 6.50 लाख व्यय किया गया।

अध्याय – 7

रेशम

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषि से सम्बन्धित समस्त उद्योगों में रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र व 10 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है ऐसे में रेशम उद्योग राज्य में अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय सर्जन का साधन है, जो समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्तराखण्ड राज्यके दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ-साथ संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण व सम्वर्धन हेतु रेशम उद्योग काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ मण्डल में रेशम उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण यहाँ सभी प्रकार के रेशम जैसे- शहतूती, टसर, मूंगा एवं एरी रेशम पैदावार की अपार सम्भावनायें हैं।

रेशम उद्योग की स्थापना करने में कृषक के स्तर पर बहुत ही न्यून धनराशि लगती है। वास्तव में कृषक की मेहनत ही मुख्य रूप से इस उद्योग को चलाती है एवं यह उद्योग किसी भी सीमा तक कृषक द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप उसकी आमदनी की भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

वर्तमान में कुमायूँ मण्डल में, चम्पावत जनपद को छोड़कर शेष सभी जनपदों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेशम उद्योग को अपनाने वाले कृषक अतिरिक्त आमदनी रेशम उद्योग से प्राप्त कर रहे हैं। कुमायूँ मण्डल के आच्छादित जनपदों के कुछ विकास खण्डों में रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर विकास खण्ड जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज विकास खण्डों में शहतूती रेशम कार्य का काफी विकास हुआ है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय जनपदों बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ओक तसर रेशम के लिये वृहद परियोजना वर्तमान में स्वीकृत हुयी है, जिसके माध्यम से पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन रोकने में भी कारगर है।

कुमायूँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2018-19 में रेशम विभाग की निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी।

1. जिला योजना- वर्ष 2018-19 में कूमायु मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) जिला योजना के अन्तर्गत 65.62 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका पूर्ण व्यय कर लिया गया है, इससे जनपदों में स्थापित कुल 23 राजकीय शहतूत उद्यानों का रख-रखाव, रेशम कीटपालकों के लिये सामग्री, औषधियों, विशुद्धिकारकों का क्रय किया जाता है। इससे ग्रामीणों को उनके आवास के निकट रोजगार प्राप्त होता है।
2. राज्य सैक्टर योजना- वर्ष 2018-19 में कूमायु मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत 29.65 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत कुमायूँ

मण्डल के विभिन्न जनपदों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक रेशम विकास सम्बन्धी कार्य, कृषकों को विभिन्न तकनीकी विषयों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्य तथा वान्या रेशम जैसे एरी, मूंगा, टसर आदि के प्रसार, रेशम कोया बाजारों का उच्चीकरण हेतु कार्यों का सम्पादन किया गया।

3. अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना:- जनपद नैनीताल में वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना के अन्तर्गत कुल 140 कृषकों को चयनित कर उनकी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रति कृषक 300 शहतूत पौध उपलब्ध करायी गयी। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में लाभान्वित कुल 140 कृषकों हेतु प्राविधानित 80.548 लाख की धनराशि का व्यय कर लिया गया है।
4. अनुसूचित जनजाति उप नियोजन योजना:- जनपद उधमसिंह नगर में अनुसूचित जन जाति उप नियोजन योजना के तहत संघन बाईवोल्टाइन रेशम विकास परियान्तर्गत वर्ष 2018-19 में 235 अनुसूचित जनपजाति कृषकों का चयन कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (मनरेगा) योजनान्तर्गत प्रति कृषक 300 शहतूत पौध की दर से कुल 70500 पौधों का रोपण किया गया।

रेशम उद्योग की उपरोक्त सभी योजनाये समाज के निर्धनतम् व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई है और उन्हें रोजगार के अतिरिक्त, आमदनी उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस उद्योग के प्रति कृषकों का रुझान बढ़ा है। जिससे कुमायूँ मण्डल में रेशम उद्योग के क्रियाकलापों में गति आयी है।

अध्याय – 8

सहकारिता

कुमाऊँ मण्डल में 321 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 17 ऋण-विक्रय सहकारी समितियां, 206 श्रम संविदा सहकारी समितियां, 101 उपभोक्ता सहकारी समितियां, 04 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, 50 वेतनभोगी सहकारी समितियां, 04 जिला सहकारी बैंक एवं 117 सहकारी बैंक की शाखाएँ, 03 अरबन कोआपरेटिव बैंक एवं अरबन बैंक की 73 शाखाएँ तथा 618 स्वायत्त सहकारिताएं आदि ऋण एवं कृषि वानिकी क्षेत्र में सुविधायें प्रदान करने हेतु संचालित हैं। कुमाऊँ मण्डल की सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों/गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, उपभोक्ता व्यवसाय के साथ-साथ बैंकिंग सुविधायें 353 ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों के माध्यम से कुमाऊँ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कुमाऊँ मण्डल में संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम अल्पकालीन ऋण वितरण, मध्यकालीन ऋण वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन, उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय, कृषि निवेशों एवं कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय, सहकारी देयों की वसूली, किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण, महिला समूहों का गठन, विविध प्रयोजनों हेतु बैंक द्वारा ऋण वितरण, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण, प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्य योजना, जिला योजना द्वारा सहकारी समितियों के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने हेतु साज-सज्जा एवं प्रबन्धकीय व्यय की सहायता, सहकारी समितियों के जर्जर भवनों/गोदामों आदि के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान सहायता आदि हैं।

बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में सदस्यता वृद्धि :- कुमाऊँ मण्डल में स्थापित सहकारी समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार संविदा करने योग्य है समिति का सदस्य बन सकता है। वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल में 12499 सदस्यों ने सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण की जिसमें से 2800 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। मण्डल में 31 मार्च 2019 को सहकारी समितियों में कुल सदस्य संख्या 431404 है।

अंशधन में वृद्धि :- कुमाऊँ मण्डल की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कृषि ऋण, मध्यकालीन ऋण, व्यावसायिक ऋण प्रदत्त कराती हैं। समितियां सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंश के 20 गुना तक ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं। विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अंशधन मु0 840.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा 501.69 लाख रू0 अंशधन जमा किया गया है।

ग्रामीण बचत केन्द्र :- सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण बचत केन्द्रों की स्थापना की गई है। कुमाऊँ मण्डल में वर्तमान में ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों की संख्या 353 है। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण बचत केन्द्रों में 187013 खाताधारकों का मु0: 26370.00 लाख रू0 जमा है तथा जिला सहकारी बैंकों में सावधि खातों में मु0: 25716.00 तथा बचत खातों में मु0: 3506.00 लाख रू0 कुल 29222.00 लाख रू0 विनियोजित हैं। समितियों द्वारा ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा धनराशि का विनियोजन जिला सहकारी बैंकों में सावधि एवं बचत खातों में किया जा रहा है। सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर ग्रामीण बचत केन्द्रों से धनराशि आहरित करते रहते हैं।

फसली अल्पकालीन ऋण वितरण योजना :- कुमाऊँ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कृषि कार्य हेतु अपने कृषक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण करती हैं। वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य मु0 94500.00 लाख रू0 के सापेक्ष 100682 कृषकों को मु0 73996.00 लाख रू0 अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया। **कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा** पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर-2018 में शुभारम्भ किया गया है। रबी/खरीफ फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कृषक सदस्यों को समितियां जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रही हैं। पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां अपने लघु-सीमान्त, बी0पी0एल0 कृषक सदस्यों को मु0 1.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक सदस्यों को समितियों के द्वारा वर्ष 2018-19 में 58872 कृषक सदस्यों को मु0 31078.00 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

मध्यकालीन ऋण वितरण योजना :- प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों एवं गैर कृषक सदस्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर-2018 में शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां द्वारा अपने लघु एवं सीमान्त बी0पी0एल0 गैर सदस्यों को मु0 1.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण विभिन्न योजनाओं में रोजगार परक एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित सदस्यों की आय में वृद्धि होगी जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा। समितियों के द्वारा वर्ष 2018-19 में मु0 7500.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 3711 सदस्यों को मु0 2796.00 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

उर्वरक वितरण योजना :- कुमाऊँ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के वितरण का कार्य कर रही हैं। समिति कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड सहकारी संघ के माध्यम से इफकों के उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान कुमाऊँ मण्डल की समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपज हेतु कुल 59202.000 मैट्रिक टन यूरिया, 2135.000 मैट्रिक टन डी0ए0पी0, 21298.000 मैट्रिक टन एन0पी0के0 तथा अन्य प्रकार की उर्वरक एवं रासायन का वितरण कर महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपभोक्ता व्यवसाय :- कुमाऊँ मण्डल की सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में खुली बाजार व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा के कारण समितियों के इस व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुमाऊँ मण्डल की समितियों द्वारा मु0 2118.00 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

सहकारी ऋण वसूली :- सहकारिता क्षेत्र में ऋण वसूली एक महत्वपूर्ण कार्य है। सहकारी समितियां जिला सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं जिसकी समय से वसूली न होने पर ऋण वितरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए समितियां अपने सदस्यों को वितरित किये गये ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देती हैं। इस कार्य में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक व राजस्व, संग्रह विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर वसूली अभियान चलाकर समितियों की ऋण वसूली करते हैं। समिति सदस्य को सरलीकरण की सुविधा प्राप्त है कि वह अपना ऋण समिति व बैंक जहां उसे सुविधा हो जमा कर सकता है, परन्तु वरीयता के रूप में समिति में ऋण वसूली की धनराशि जमा करनी चाहिए क्योंकि त्रुटि की आशंका नहीं रहती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल की समिति/सदस्य के मध्ये मूलधन एवं ब्याज की कुल मांग मु0 112429.00 लाख रू0 के सापेक्ष मु0 74367.00 की वसूली की गई है जो कुल मांग के सापेक्ष मु0 66 प्रतिशत है इसी प्रकार बैंक/समिति के मध्य मूलधन एवं ब्याज की कुल मांग मु0 98429.00

लाख रू0 के सापेक्ष मु0 69610.00 लाख रू0 ऋण वसूल कर समितियों द्वारा बैंक में जमा किया गया है जो कुल मांग का 71 प्रतिशत है।

वेतनभोगी सहकारी समितियां :- कुमाऊँ मण्डल में 50 कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। वेतनभोगी सहकारी समितियां अपने कर्मचारी सदस्यों को मूलवेतन का 24 गुना अधिकतम 15.00 लाख रू0 तक का ऋण पांच वर्ष की अवधि का उनके नियोजकों की संस्तुति के आधार पर ऋण वितरण कर रही है। कर्मचारी सदस्यों को वितरित ऋण की वसूली उनके वेतन से मासिक कटौती द्वारा की जाती है।

स्वायत्त सहकारितायें— उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2003 में उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम लागू किया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गयी स्वायत्त सहकारिताओं को कार्य करने की पूरी स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्त सहकारितायें अपना प्रबन्धन स्वयं करती हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के समस्त जनपदों में 618 स्वायत्त सहकारितायें गठित हैं।

मूल्य समर्थन योजना:—कुमाऊँ मण्डल में सहकारी संस्थाओं के द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 65140.00 मै0टन गेहूँ एवं 55661.00 मै0टन धान क्रय किया गया।

बीज वितरण:— मण्डल की बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के द्वारा अपने कृषक सदस्यों को उन्नत किस्म के गेहूँ/धान बीज का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 22095.60 कुन्तल उन्नत किस्म का गेहूँ बीज स्थानीय कृषकों को वितरित किया गया।

जिला योजना :- जिला योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा प्राविधानित निम्न योजनाओं/मदों के माध्यम से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को विकसित करने हेतु वित्त पोषित किया जा रहा है—

1—सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना — इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों में कार्यरत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में कार्यरत कैंडर सचिवों के वेतन आहरण के प्राविधान के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणी सदस्यों को राहत हेतु ब्याज पर 3 प्रतिशत तथा उनकी बॉरोइंग पावर में वृद्धि हेतु निर्धारित सीमा तक अंश क्रय हेतु जिला योजना में प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मु0 219.02 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत-प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है।

2—सहकारी उपभोक्ता योजना — इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार/जिला सहकारी संघों एवं लीड बैंकों को यातायात अनुदान, पैक्स/लैम्पस् को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान व केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को मूल्य उतार-चढ़ाव अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में मु0 1.65 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत- प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है।

3—सहकारी क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना — जिला योजना में सहकारी समितियों के भवन, गोदाम निर्माण, मरम्मत, भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु सहकारी समितियों को लाभान्वित करने का भी प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मु0 59.25 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत-प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपदों की कुल जिला योजना मु0 279.92 लाख रू0 का प्राविधान किया गया था जिसके विरुद्ध शासन द्वारा मु0 279.92 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। समस्त स्वीकृत धनराशि का कुमाऊँ मण्डल के जनपदों द्वारा आहरित कर समितियों की कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना

मण्डल के जनपद चम्पावत व बागेश्वर में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना वर्ष के अन्तिम चरण में है, इस योजना के अन्तर्गत समितियों को विकसित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, समितियों के ग्रामीण बचत केन्द्रों के आधुनिकीकरण कर बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, समिति के भवनों/ग्रामीण गोदाम निर्माण आदि कार्य कराये गये जो निम्न प्रकार है –

जनपद चम्पावत—सहकारिता आन्दोलन के विकास में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में कुमाऊँ मण्डल के समस्त जनपदों में संचालित कर सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान की गई है तथा सहकारी समितियों के बहुमुखी विकास हेतु परियोजनान्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को गोदरेज डिफेंडर सेफ, डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर, कम्प्यूटरीकृत करने के साथ-साथ सहकारी समितियों में चारदीवारी निर्माण, गोदाम निर्माण/मरम्मत आदि कार्य हेतु वित्तीय सुविधा अनुदान, मार्जिन मनी, ऋण के रूप में प्रदान कर विकसित किया गया है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

गोदरेज डिफेंडर सेफ :- जनपद चम्पावत की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0 चौड़ामेहता, टनकपुर, कोटअमोड़ी, रेगडूबल्सों, बाराकोट, गोशनी, सिप्टी, हरतोला, धूरा, रौलमेल, देवीधूरा, इन्द्रपुरी, चम्पावत एवं बाजगाँव कुल 14 समितियों को एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के द्वारा सहकारी समितियों को गोदरेज डिफेंडर सेफ उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब समितियों के ग्रामीण बचत केन्द्रों की जमा पूंजी व ऋण की वसूली करने के पश्चात धन को तुरन्त सुरक्षा की दृष्टि से जिला सहकारी बैंक में जमा करवाने की समस्या का समाधान हो गया है। पर्वतीय जनपदों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनके द्वारा ऋण वसूली की धनराशि प्रतिदिन बैंक में जमा करवा पाना सम्भव नहीं था। सेफ मिल जाने से यह समस्या हल हो गई है।

डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर :- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत बहुउद्देशीय सहकारी कृषि ऋण सहकारी समितियां दूबड़, चौड़ामेहता, कोट अमोड़ी, रेगडूबल्सों, बाराकोट, दिगालीचौड़, चानमारी, खतेड़ा, डुमडाई, सीमियां, धूरा, हरतोला, मंच, सिप्टी, रौलमेल, गोशनी, देवीधूरा, धरमघर, इन्द्रपुरी, चम्पावत, तामली, चौड़ामेहता एवं बाजगाँव कुल 23 समितियों में डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, जिससे समितियां आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं आकृषक हुई हैं। कुमाऊँ मण्डल के समस्त जनपदों की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर हेतु वित्त पोषित कर सुसज्जित, आकृषण एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। उपर्युक्त सुविधा प्रदान कर आर्थिक प्रतियोगी बाजार में सहकारी समितियां सहकारिता को विकास की गति प्रदान करेंगी।

कम्प्यूटरीकरण :- जनपद चम्पावत की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0, चम्पावत, टनकपुर, बाराकोट, चानमारी, चौड़ामेहता, गोशनी, सिप्टी, कोटअमोड़ी, खतेड़ा, डुमडाई, दिगालीचौड़, देवीधूरा, हरतोला, मंच, धूरा, रेगडूबल्सों, बाजगाँव, एवं रौलमेल कुल 18 समितियों को कम्प्यूटरीकृत हेतु वित्त पोषित किया गया है। कम्प्यूटरीकृत हो जाने से पुरानी कार्य प्रणाली की जटिलता समाप्त हो गई है तथा सहकारी समितियां अपना बैंकिंग कार्य सरलतम विधि से सुगमतापूर्वक सम्पादित कर रही हैं।

मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण कार्य :- योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत की 10 सहकारी समितियों में बृहत मरम्मत कार्य, 13 समितियों में सूक्ष्म मरम्मत कार्य एवं 10 समितियों में चारदीवारी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे समिति की सम्पत्तियां सुरक्षित हुई हैं। इस प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में सहकारी समितियों का कायाकल्प कर उन्हें एक सक्षम आर्थिक इकाई के रूप में विकसित किया है।

फल/शाक/मशाला उत्पादन एवं विपणन :- कुमाऊँ मण्डल के जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट के फल एवं मशाला व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जो कि स्थानीय फल व मशालों का क्रय-विक्रय सीमित क्षेत्र तक ही कर रहे थे, के द्वारा जनपद चम्पावत में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से मु0 16.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता से शीतला फल संरक्षण उद्योग सहकारी समिति लि0, लोहाघाट का गठन किया गया जिसकी निबन्धन संख्या 26/दिनांक 03.04.2014 है। वर्तमान समय में यह सहकारी समिति स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले फल एवं मशाले जैसे कि माल्टा, सन्तरा, सेब, बुरांस, नीबू, आम, आँवला, व मिर्च, हल्दी आदि का प्रत्यक्ष विक्रय करने के साथ ही साथ फल एवं मशालों से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों जैम, जूस, चटनी, अचार, आदि द्वारा अपने व्यवसाय के क्षेत्र का विकास किया है। जनपद चम्पावत के धुरा क्षेत्र में अदरख का अधिक उत्पादन किया जाता है वहां पर अदरख उत्पादन सहकारी समितियों का गठन कर सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान की जा रही है।

शहद प्रोसेसिंग इकाई :- परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत की धुरा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में मौन पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु मु0 03.25 लाख की धनराशि समितियों को मौन पालन व्यवसाय से सम्बन्धित शहद प्रोसेसिंग इकाई हेतु प्रदान की गयी है। समिति द्वारा मौन पालन में प्रशिक्षित समिति सदस्यों एवं काश्तकारों से शहद खरीद कर उसको उच्च तकनीक एवं पैकिंग से बाजार में उचित मूल्य पर विक्रय किया जा रहा है।

जिला सहकारी बैंक लि0 :- परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में चम्पावत जिला सहकारी बैंक लि0, चम्पावत के भवन निर्माण हेतु पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ को मु0 100.00 लाख रू0, कम्प्यूटराइजेशन व फर्नीचर फिक्चर्स मु0 40.00 लाख रू0 एवं अंशपूजी हेतु मु0 20.00 लाख रू0 कुल मु0 160.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

जनपद बागेश्वर - एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर वित्तीय वर्ष 2012-13 में पी0आई0टी0 (परियोजना क्रियान्वयन दल) के गठन के पश्चात 01 नवम्बर 2012 को प्रारम्भ हुई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनपद के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समितियों को उनकी आवश्यकतानुसार आर्थिक व भौतिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वाश्रयी बनाना है एवं सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करना है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये चार वर्षों में कुल प्राविधानित बजट मु0 618.10 लाख रू0 है जिसमें 200.88 लाख रू0 ऋण, मु0 241.22 लाख रू0 मार्जिन मनी/अंशपूजी, मु0 62.15 लाख रू0 विकास कार्यों हेतु अनुदान एवं मु0 176.00 लाख रू0 पी0आई0टी0 अनुदान है। वर्तमान में शासन से परियोजना को पूर्ण धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 तक अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया जा चुका है, विवरण निम्नवत् है:-

गोदाम निर्माण - इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 40.00 लाख रू0 प्राविधानित किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 40.00 लाख रू0 की धनराशि उपयोग की जा चुकी है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा जनपद की पाँच साधन सहकारी समितियाँ पिंगलो, डंगोली, असो, कर्मी एवं बागेश्वर के समिति भवन/गोदाम जोकि जीर्ण शीर्ण हालत में थे, का नव निर्माण किया गया जिससे उनकी भण्डारण क्षमता में वृद्धि हुई एवं आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित हुए व समिति की साख में भी वृद्धि हुई एवं एक अन्य समिति ऐठाण के जीर्ण शीर्ण समिति भवन/गोदाम के स्थान पर नवनिर्माण कार्य किया गया है।

गोदाम मरम्मत - वृहत गोदाम मरम्मत मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 6.00 लाख रू0 एवं सूक्ष्म गोदाम मरम्मत मद में मु0 3.75 लाख रू0 प्राविधानित किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त क्रमशः मु0 6.00 लाख रू0 एवं 3.75 लाख की धनराशि उपयोग की जा चुकी है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा जनपद की 4 पैक्स सुरकालीगांव, ऐठाण, आरे एवं लोहारखेत में गोदाम का वृहत मरम्मत कार्य कराया गया, जिससे उनकी भण्डारण क्षमता में वृद्धि हुई एवं आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित हुए व समिति की साख में भी

वृद्धि हुई एवं 2 समितियों आरे एवं छानीखांकर में समिति की आवश्यकतानुसार सूक्ष्म मरम्मत कार्य कराया गया है।

बाउण्ट्री-वाल – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 9.00 लाख रू0 प्राविधानित किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त 7 पैक्स हेतु उक्त धनराशि उपयोग की जा चुकी है, जिससे समिति भवन सुरक्षित हुआ है एवं अतिक्रमण की संभावना भी समाप्त हो गयी है।

शॉपिंग काम्प्लैक्स – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 25.00 लाख रू0 प्राविधानित किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 24.60 लाख रू0 की धनराशि उपयोग की जा चुकी है। समिति द्वारा शॉपिंग काम्प्लैक्स का अधिग्रहण भी किया जा चुका है एवं उक्त शॉपिंग काम्प्लैक्स से मु0 22000.00 रू0 प्रति माह किराया भी अर्जित किया जा रहा है एवं कुल मु0 3,83,925.00 रू0 पगड़ी (एफ0डी0) के रूप में प्राप्त किया है, जिससे समिति ऋण की किश्त उक्त भवन से प्राप्त आय से ही चुकाने में सक्षम है एवं समिति की साख में भी वृद्धि हुई है।

फर्नीचर-फिक्सचर – अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 8 समितियों को 0.25 लाख रू0 प्रति समिति की दर से फर्नीचर-फिक्सचर हेतु 2.50 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई है एवं साख में भी वृद्धि हुई है।

डिपोजिट सेफ :- अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 08 समितियों को 0.50 लाख रू0 प्रति समिति की दर से डिपोजिट सेफ हेतु 4.00 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनकी नकदी सुरक्षित हुई, उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई है एवं साख में भी वृद्धि हुई है।

बैंकिंग काउन्टर – अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 04 समितियों को 0.25 लाख रू0 प्रति समिति की दर से डिपोजिट काउन्टर हेतु 1.00 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई है एवं साख में भी वृद्धि हुई है।

कम्प्यूटराईजेशन – परियोजना द्वारा 12 समितियों को कम्प्यूटर सिस्टम प्रिंटर सहित हेतु 0.75 लाख रू0 प्रति समिति की दर से कुल 9.00 लाख रू0 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे समितियों को बैंकिंग क्षेत्र व ऋण वितरण कार्य में सुविधा हो रही है।

मार्जिन मनी – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 36.00 लाख रू0 प्राविधानित किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त 18 समितियों को 2.00 लाख प्रति समिति की दर से मु0 36.00 लाख रू0 की धनराशि उपयोग की जा चुकी है। परियोजना द्वारा समितियों को मार्जिन मनी प्रदान करने से उनके कार्य संचालन व व्यवसाय में आ रहे दिक्कतों का निराकरण हुआ है। जिससे समिति का आर्थिक स्तर मजबूत हुआ है।

मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा :- मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। समिति की पंजीयन संख्या-AMO-kvi-0047 दिनांक 04.11.1987 को सहकारिता अधिनियम के अधीन निबन्धित है। समिति के पास अपनी निजी भूमि पुरड़ा में ज0वि0स0खा0 संख्या 72 में 0.030 है0 भूमि खाते के पैमाईसी खेत न0 4971 मध्ये 0.030 दर्ज है। समिति में अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल सदस्य संख्या 15 है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा को मौन पालन व्यवसाय हेतु 3.00 लाख रू0, उद्यान क्षेत्र में मु0 31.00 लाख रू0 एवं औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि हेतु मु0 13.50 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिससे समिति ने भवन प्लास्टर कर एवं शैड निर्माण किया है। साथ ही समिति ने मार्जिन मनी का उपभोग कर अपनी भण्डारण क्षमता एवं व्यवसाय वृद्धि की है। समिति के द्वारा फूड सामग्री बी कीपिंग कार्य व उद्यान एवं फल संरक्षण इकाई में स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं/नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा

हैं, ताकि ग्रामीण महिलायें व नवयुवक कार्य कुशलता से कर सकें । समिति द्वारा अपने उत्पादों को बागेश्वर जिले में जगह जगह विक्रय केन्द्र पुरडा, गरूड आदि-आदि जगह पर व व्यवसायिक मेले इत्यादि में विक्रय किया जाता है। समिति द्वारा वित्तीय सहायता का उपभोग कर अपनी व्यवसायिक क्षमता को सुधारा हैं तथा समिति का आर्थिक सुधार हुआ है।

मार्किटिंग कन्जूमर कोओपरेटिव :- इस मद में जनपद के सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि० बागेश्वर को दुकान, आफिस, हॉल के लिये मु० 25.00 लाख रू० प्रस्तावित किया गया जिसके सापेक्ष दुकान, आफिस, हाल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस भवन के भूतल की दुकानों को एवं प्रथम तल के भवन को बैंक आदि व्यवसायिक संस्थाओं को किराये पर देकर लाभ अर्जित किया सकता है जबकि समिति अपना कार्यालय द्वितीय तल पर संचालित कर सकती है।

इको टूरिज्म :- इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु० 40.00 लाख रू० का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु० 20.00 लाख रू० की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। इको पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु साधन सहकारी समिति लि० छानीखांकर के माध्यम से कुल 10 सदस्यों को 20.00 लाख रू० (प्रति सदस्य 2.00 लाख रू०) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई एवं उक्त धनराशि से अधिक व्यय होने पर शेष धनराशि सदस्यों द्वारा स्वयं से लगाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। आई०सी०डी०पी० बागेश्वर के माध्यम से साधन सहकारी समिति लि० छानीखांकर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण में एक लाख रू० की धनराशि अंशधन के रूप में दी गयी एवं शेष धनराशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में है, ब्याज में से 2 प्रतिशत की धनराशि साधन सहकारी समिति लि० छानीखांकर की आमदनी निर्धारित की गई, ताकि समिति को भी इससे लाभ प्राप्त हो।

पोल्ट्री व्यवसाय :- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर में पैक्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को पोल्ट्री व्यवसाय हेतु परियोजनावधि में कुल मु० 5.00 लाख रू० की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान है जिसके सापेक्ष बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि० छानीखांकर के माध्यम से जय गोलू महिला स्वयं सहायता समूह, उडेरखानी हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। समूह द्वारा प्रथम चक्र में 2500 ब्रायलर चिक्स से व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से शेड निर्माण, चिक्स कय, बर्ड फीड, फीडर संयंत्र, रख-रखाव आदि पर लगभग 4.50 लाख रू० का व्यय किया गया है एवं प्रथम चक्र के व्यवसाय से मु० 46,050.00 रू० का लाभ अर्जित करने की संभावना है। उक्त व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होने से समूह के सदस्यों को आजीविका प्राप्त होगी एवं जीवन स्तर भी सुधर सकेगा।

बैंकिंग क्षेत्र :- अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०, मुख्यालय को अपने ब्रान्च भवनों के निर्माण, फर्नीचर सामग्री, लॉकर केबिन, स्ट्रांग रूम, कम्प्यूटरराइजेशन व शेयर पूंजी आदि के लिये कुल मु० 148.50 लाख रू० का प्राविधान किया गया। बैंक के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण शाखा भवन निर्माण मद के अतिरिक्त प्रत्येक मद में प्राप्त धनराशि बैंक को कुल मु० 63.30 लाख रू० अवमुक्त की जा चुकी है। इस मद के अन्तर्गत अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०, मुख्यालय को फर्नीचर सामग्री, लॉकर केबिन, स्ट्रांग रूम, कम्प्यूटरराइजेशन एवं अंशपूंजी के लिये आर्थिक सहायता परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपनी अंशपूंजी में वृद्धि हेतु किया गया है।

प्रशिक्षण :- इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु० 4.75 लाख रू० प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु० 2.13 लाख रू० की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है, जिसमें परियोजना द्वारा आई०सी०एम० देहरादून में सचिवों का प्रशिक्षण, इको टूरिज्म का प्रशिक्षण, समिति स्तर पर पैक्स की प्रबंध कमेटी का प्रशिक्षण एवं आर०आई०सी०एम० चण्डीगढ़ के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों को पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की अच्छी सहकारी समितियों का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम/प्रशिक्षण कराये गये हैं एवं समिति कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन धनराशि का वितरण किया गया है।

राज्य सामेकित विकास परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिताओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य समेकित विकास परियोजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं अन्य क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने के लिये केन्द्र सरकार से मु० 3340.00 करोड रू० की धनराशि स्वीकृत हुई है। सहकारिता विभाग द्वारा निबन्धित सहकारी समितियाँ रेशम, भेड-बकरी पालन, मत्स्य पालन, एवं अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे स्थानीय लोगो का पलायन नहीं होगा। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों व कृषि उत्पादकता की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए समितियों के माध्यम से संचालित किये जाने वाले व्यवसायों के प्रोजेक्ट तैयार कराये जा रहे हैं जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान कर स्वालम्बी बनाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डल के अन्तर्गत संचालित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से ऑर्गेनिक एवं सामूहिक सहकारी खेती के प्रोजेक्ट भी तैयार कराये जा रहे हैं।

अल्पकालीन ऋण वितरण वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	वार्षिक लक्ष्य	अल्पकालीन ऋण वितरण 01.4.2018 से				गतवर्ष इसी अवधि में कुल वितरण	
		लाभार्थी संख्या	अंश 'क'	अंश 'ख'	योग	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	94500.00	100682	63724.00	10272.00	73996.00	97286	78453.00

मध्यकालीन ऋण की प्रगति सूचना वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक वितरण		गतवर्ष इसी अवधि में	
		लाभार्थी	धनराशि	लाभार्थी	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	7500	3663	2775.00	2493	1833

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ऋण वितरण वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	विवरण	कुल ऋण वितरण			कुल ऋण वितरण में से अनुसूचित जाति को		कुल ऋण वितरण में से अनुसूचित जनजाति को	
		लक्ष्य	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	अल्पकालीन ऋण वितरण	32380	58872	31078.00	16370	8247.00	10196	7281.00
2	मध्यकालीन ऋण वितरण	7191	3711	2796.00	1105	760.00	40	35.00
	योग	39571	62583	33874.00	17475	9007.00	10236	7316.00

उर्वरक ऋण वितरण (खरीफ+रबी) वर्ष 2018-19

विवरण	प्रारम्भिक स्टाक 1.4.2018 का				प्राप्त स्टाक 1.4.2018 से				कुल स्टाक				वितरित स्टाक 1.4.2018 से				अवशेष स्टाक			
	यूरिया	एन.पी.के.	डी.ए.पी.	एम0ओ0पी0	यूरिया	एन.पी.के.	डी.ए.पी.	एम0ओ0पी0	यूरिया	एन.पी.के.	डी.ए.पी.	एम0ओ0पी0	यूरिया	एन.पी.के.	डी.ए.पी.	एम0ओ0पी0	यूरिया	एन.पी.के.	डी.ए.पी.	एम0ओ0पी0
खरीफ	3469.000	4573.000	79.000	4.000	58467.000	20690.000	3430.000	6.000	61936.000	25263.000	3509.000	10.000	59202.000	21298.000	2135.000	4.000	2734.000	3965.000	1374.000	6.000

सहकारी देयों की वसूली प्रगति सूचना वर्ष 2018-19 (धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	विवरण	कुल मांग (मूलधन + ब्याज)	कुल वसूली (मूलधन + ब्याज)	वसूली प्रतिशत	गतवर्ष वसूली प्रतिशत इसी अवधि में
1	समिति / सदस्य मध्ये	112429.00	74367.00	66 %	64 %
2	बैंक / समिति मध्ये	98429.00	69610.00	71 %	70 %

किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत प्रगति सूचना वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	कुल कृषक परिवारों की संख्या	31 मार्च 2018 तक कुल सदस्यों की संख्या	31 मार्च 2018 तक कुल वितरित के0सी0सी0 की संख्या	01.4.2018 से वितरित के0सी0सी0 की संख्या	माह के अन्त तक कुल वितरित किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	407065	431404	321340	8836	330176

ग्रामीण / नगरीय उपभोक्ता व्यवसाय की प्रगति वर्ष 2018-19

विवरण	उपभोक्ता व्यवसाय करने वाली समितियों की संख्या	वर्ष का लक्ष्य	वर्ष में किया गया व्यवसाय			गत वर्ष इसी अवधि में		
			नियन्त्रित	अनियन्त्रित	योग	नियन्त्रित	अनियन्त्रित	योग
नगरीय क्षेत्र	21	400.00	14.34	9.56	23.90	65.00	2.00	67.00
ग्रामीण क्षेत्र	80	3290.00	116.50	2142.85	2259.35	181.00	1870.00	2051.00
योग	101	3690.00	130.84	2152.41	2283.25	246.00	1872.00	2118.00

महिला बचत समूह सम्बन्धी मासिक प्रगति सूचना वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कुल गठित समूह	कुल गठित समूहों में जमा निक्षेप
1	2	3
1	2166	185.43

शिकायतों से सम्बन्धित सूचना वर्ष 2018-19

क0सं0	विवरण	1.4.2018 को शेष	1.4.2018 से प्राप्त	योग	कमिक निस्तारण	निस्तारण हेतु अवशेष	टिप्पणी
1	मुख्यमंत्री स्तर	—	—	—	—	—	—
2	शासन स्तर	—	13	13	8	5	—
3	निबन्धक स्तर	14	14	28	28	—	—
4	जिलाधिकारी स्तर	19	10	29	22	7	—

सदस्यता वृद्धि वर्ष 2018-19

क0सं0	लक्ष्य	पूर्ति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	गतवर्ष इसी अवधि में सदस्यता वृद्धि
1.	45000	12499	2334	466	10526

अंशधन वृद्धि वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	लक्ष्य	पूर्ति 1.4.2018 से	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	गतवर्ष इसी अवधि में
1	840.00	501.69	89.67	22.81	482.15

बीज मांग वर्ष 2018-19 (मात्रा कुन्तल में)

क0स0	धान बीज		गेहूँ बीज		वितरण
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	यू.सी.एफ.से आपूर्ति	
1	2000.00	—	25000.00	22095.60	22095.60

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद की प्रगति सूचना वर्ष 2018-19 (मात्रा कुन्तल में)

क0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य	कृषकों की संख्या	कमिक खरीद	कमिक डिलीवरी	अवशेष
1	ऊधमसिंह नगर	54000	6878	529109.00	529109.00	-
2	चम्पावत	2000	286	7216.00	7216.00	-
3	नैनीताल	2000	449	20290.00	20290.00	-
	योग	58000	7613	556615.00	556615.00	-

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की प्रगति सूचना वर्ष 2018-19 (मात्रा कुन्तल में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	लक्ष्य	कृषकों की संख्या	कमिक खरीद	कमिक डिलीवरी	अवशेष
1	ऊधमसिंह नगर	95000	9076	620624	620624	-
2	चम्पावत	5000	118	2492	2492	-
3	नैनीताल	20000	853	28287	28287	-
	योग	120000	10047	651403	651403	-

जिला योजना वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रू० में)

जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि	आहरित धनराशि
अल्मोड़ा	100.00	100.00	100.00
नैनीताल	29.38	29.38	29.38
पिथौरागढ़	70.00	70.00	70.00
ऊधमसिंह नगर	15.00	15.00	15.00
बागेश्वर	34.00	34.00	34.00
चम्पावत	31.54	31.54	31.54
योग	279.92	279.92	279.92

अध्याय – 9

पशुपालन

पशुपालन इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वर्तमान समय में भी यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। यहाँ लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरों को देखा जा सकता है। पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल द्वारा निम्नानुसार समस्त विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों हेतु विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं के साथ-साथ पशुचिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पशुपालकों के द्वार एवं केन्द्र पर उपलब्ध करायी जाती हैं। जनपद में पशु चिकित्सा, पशुधन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जो कि निम्नवत है—

1. ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुप्रदर्शनियों का आयोजन—

योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद के विकासखण्ड स्तर पर पशुप्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पशुपालकों को उन्नत पशुपालन एवं नवीन तकनीकी जानकारी से अवगत कराते हुए सबसे स्वस्थ एवं उन्नत पशुओं के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2018-19 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

जनपद का नाम	जनपदवार आयोजित पशु प्रदर्शनी 2018-19			
	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	2.80	2.80	8	8
ऊधमसिंहनगर	1.40	1.40	7	7
अल्मोडा	1.00	1.00	2	2
बागेश्वर	1.40	1.40	4	4
पिथौरागढ़	5.60	5.60	16	16
चम्पावत	1.40	1.40	4	4
योग	13.60	13.60	41	41

2. चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण :-

योजनान्तर्गत विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नतशील प्रजाति के चारा बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरित चारा बीजों की प्रगति निम्नानुसार रही।

जनपद का नाम	वितरित चारा बीज(कुं0 में)
नैनीताल	272.47
ऊधमसिंहनगर	0.00
अल्मोडा	78.96
बागेश्वर	55.62
पिथौरागढ़	107.76
चम्पावत	425.61
योग	940.42

3. दारिन्दा पद्धति पर उन्नत बकरा सांडो का वितरण –

पशुपालकों द्वारा पाली जा रही बकरियों में नस्ल सुधार के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रक्षेत्रों पर पल रहे उन्नत प्रजाति के बकरा सांडों अथवा जनपद/प्रदेश/राज्य से बाहर उन्नत नस्ल के बकरा सांडों का क्रय कर 100 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन के सापेक्ष लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रही।

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	1.92	1.92	24	24
ऊधमसिंहनगर	0.00	0.00	0	0
अल्मोडा	0.40	0.40	5	5
बागेश्वर	2.00	2.00	25	25
पिथौरागढ़	0.08	0.08	1	1
चम्पावत	1.60	1.60	20	20
योग	6.00	6.00	75	75

4. स्वरोजगार परक योजनान्तर्गत कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना –

अनुसूचित जाति/जनजाति के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सृद्ध करने एवं आय के अन्य स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत अनुदान पर कुक्कुट पालन इकाई (50 एकदिवसीय कुक्कुट चूजे+जाली+दाना+औषधियां) वितरित की जाती है। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति निम्न है –

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	12.60	12.60	600	600
ऊधमसिंहनगर	12.60	12.60	600	600
अल्मोडा	21.00	21.00	1000	1000
बागेश्वर	10.92	10.92	520	520
पिथौरागढ़	10.50	10.50	500	500
चम्पावत	21.00	21.00	1000	1000
योग	88.62	88.62	4220	4220

1. **गौ पालन योजना** :- गौ पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर गौपालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 01 चतुर्थ अथवा उससे कम ब्यात की गाय, पशु बीमा तथा पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2018-19 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

जनपद का नाम	गौपालन इकाई			
	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	10.08	10.08	28	28
ऊधमसिंहनगर	10.08	10.08	28	28
अल्मोडा	20.16	20.16	56	56
बागेश्वर	33.48	33.48	93	93
पिथौरागढ़	10.44	10.44	29	29
चम्पावत	23.76	23.76	66	66
योग	108.00	108.00	300	300

2. **बकरी पालन योजना:**— बकरी पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरी पालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुबीमा एवं पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2018-19 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

जनपद का नाम	बकरी पालन इकाई			
	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	18.90	18.90	30	30
ऊधमसिंहनगर	8.82	8.82	14	14
अल्मोडा	23.94	23.94	38	38
बागेश्वर	23.94	23.94	38	38
पिथौरागढ़	3.78	3.78	06	06
चम्पावत	21.42	21.42	34	34
योग	100.80	100.80	160	160

3. **भेड़ पालन योजना:**— पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर भेड़ पालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 10 भेड़ एवं 1 मेढ़ा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुबीमा एवं पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2018-19 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

जनपद का नाम	भेड़ पालन इकाई			
	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
बागेश्वर	6.30	6.30	10	10
पिथौरागढ़	2.52	2.52	04	04
योग	8.82	8.82	14	14

आर्थिक समस्याएँ एवं सुझाव

पशुपालन के क्षेत्र में चारे की समस्या मुख्य समस्याओं में से एक है। लगभग 40 प्रतिशत चारे की कमी रहती है जिसके लिए समस्त विकासखण्डों के चारा बैंको में फीड ब्लॉक मंगवा कर विक्रय किये जाते हैं, परन्तु फीड ब्लॉक सभी पशुपालकों द्वारा क्रय करना संभव नहीं हो पाता है यदि फीड ब्लॉक के परिवहन पर अनुदान दिया जाय तो फीड ब्लॉक की दर कम हो जायेगी एवं इस समस्या का समाधान हो सकता है साथ ही जिला योजना में चारा बीज अनुदान पर वितरित कर चारे की समस्या को कम किया जा सकता है।

पशुपालन की अन्य समस्याओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न नर बछड़ों की समस्या है, इस समस्या का समाधान "सेक्स सोर्टेड सीमन" को कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग में लाया जाय तो नर बछड़ों के पैदा होने से रोका जा सकता है परन्तु "सेक्स सोर्टेड सीमन" की दर अत्यधिक है, जिस पर यदि 50 प्रतिशत अनुदान दे दिया जाय तो नर बछड़ों के उत्पादन में कमी आयेगी एवं मादा बछियों का उत्पादन बढ़ेगा।

भेड़ एवं बकरी पालन के अन्तर्गत यदि उन्नतशील प्रजाति के नर मेढ़ा/बकरा सांड निःशुल्क वितरित किये जाये तो इस क्षेत्र में भेड़/बकरी/ऊन आदि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लायी जा सकती है।

अध्याय –10

वन

जनपद में वनों की स्थिति की रिपोर्ट वर्ग किमी में

जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	योग	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
अल्मोड़ा	3139.00	224	929	430	1583	50.43
बागेश्वर	2246.00	200	834	329	1363	60.69
पिथौरागढ़	7090.00	509	1013	580	2102	29.65
चम्पावत	1766.00	348	570	266	1184	67.04
नैनीताल	4251.00	602	1939	463	3004	70.67
ऊधमसिंह नगर	2542.00	157	246	103	506	19.91
कुल योग	21034.00	2040.00	5531.00	2171.00	9742.00	46.32

स्रोत- भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2015

वर्ष 2017-18 में जनपद में वन विभाग से प्राप्त आय (राजस्व) का विवरण लाख में

जनपद	प्राप्त आय लाख में
1	2
अल्मोड़ा	1218.1100
बागेश्वर	859.5900
पिथौरागढ़	210.8900
चम्पावत	4161.7008
नैनीताल	13062.0242
ऊधमसिंह नगर	821.3903
कुल योग	20333.7052

वन उत्पादन :- पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरुश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कच्चा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षों का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र

में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख हैं। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते हैं जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे-धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियों हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश-विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेड़ों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जड़ी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनो के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते हुए जैविक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनो पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1-व0ग्रा0वि 2001-बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनो का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

वर्ष 2017-18 सैक्टरवार/जनपदवार अनुमादित/अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण लाख में

जनपद	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		
	अनुमादित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमादित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
नैनीताल	46.24	46.24	46.24	683.32	805.55	789.97
उधमसिंहनगर	10.00	10.00	10.00	314.79	396.28	390.26
अल्मोड़ा	46.12	46.12	46.12	1251.86	1251.86	1249.86
बगेश्वर	65.27	65.27	65.27	123.48	122.48	122.48
पिथौरागढ़	141.92	141.92	141.92	145.85	145.85	145.85
चम्पावत	38.6	35.4	35.4	300.67	95.19	94.39
योग	348.15	344.95	344.95	2819.97	2817.21	2792.81

जनपद	केन्द्र पोषित			बाह्यसहायतित		
	अनुमादित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमादित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	8	9	10	11	12	13
नैनीताल	250.08	231.46	228.99	839.95	839.95	839.95
उधमसिंहनगर	8.52	9.44	8.98	0	0	0
अल्मोड़ा	146.2	16.75	16.76	2040.45	1604.88	1034.64
बगेश्वर	5.91	5.91	5.91	285.5	284.7	284.7
पिथौरागढ़	26.1	26.1	26.1	0	0	0
चम्पावत	9.96	9.96	9.96	0	0	0
योग	446.77	299.62	296.7	3165.9	2729.53	2159.29

वर्ष 2018

क्र० सं०	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	ऊधमसिंह नगर	योग
1	वन्य जीवों द्वारा क्षति									
अ	मानव क्षति	2017-18	संख्या	25	12	17	12	39	14	119
ब	मानव क्षति पर मुआवजा	2017-18	लाख में	13.00	2.15	11.45	16.05	28.30	22.60	93.55
स	पशुक्षति	2017-18	संख्या	823	196	223	201	484	49	1976
द	पशुक्षति पर मुआवजा	2017-18	लाख में	122.67	25.29	27.60	21.83	34.43	3.07	234.89
स	फसल क्षति पर मुआवजा	2017-18	लाख में	0.00	0.00	0.00	0.42	5.43	0.87	6.73
र	मकान क्षति पर मुआवजा	2017-18	लाख में	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.00	0.25
2	वन संचार साधन योजना									
	व्यय	2017-18	लाख में	26	79.76	42.32	19.9	24.87	4.7	197.55
3	भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था									
	व्यय	2017-18	लाख में	28.24	62.16	22.95	15.5	22.17	4.5	155.52
4	वनों की अग्नि से सुरक्षा									
	व्यय	2017-18	लाख में	42.83	16.10	25.55	12.91	106.93	28.12	232.44
5	बहुअददेशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण									
	व्यय	2017-18	लाख में	134.98	53.05	60.66	38.20	461.65	327.59	1076.12
6	वनों की सुरक्षा (अतिक्रमण रोकने के लिए)									
	व्यय	2017-18	लाख में	0	0	8.80	4.43	22.346	6.744	42.32
7	बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन									
	व्यय	2017-18	लाख में	0	1.67	1.00	0	0	0	2.67
8	वन पंचायत की सुदृढीकरण योजना									
	व्यय	2017-18	लाख में	14.31	0	4.00	3.64	8.56	0	30.51
9	इंटेन्सीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट									
	व्यय	2017-18	लाख में	12.24	4.84	5.91	3.46	21.15	4.20	51.797
10	वनोपज आधारित इकाइयाँ									
क	पंजीकृत लीसा इकाई (कार्यरत)	2017-18	संख्या	38	0	13	4	46	0	101
ख	पंजीकृत आरा मशीन	2017-18	संख्या	11	5	9	4	56	86	171
11	गेस्ट हाउस	2017-18	संख्या	34	14	11	18	29	8	114
12	वन विभाग के अधीन सड़कों की लम्बाई									
	लम्बाई	2017-18	किमी	692.55	672.92	723.98	1271.71	1881.07	412.77	5654.99

नोट:- (क) आकड़ों का श्रोत उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय पुस्तिका 2016-17 तथा माह मार्च 2018 को प्रभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लिया गया है।

(ख) वन्य जीवों द्वारा क्षति के मानव क्षति में मृतक/घायलों की सं० को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय -11

जल सम्पूर्ति

राजकीय सिंचाई

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड लघु डाल खण्ड, एवं सिंचाई निर्माण खण्ड कार्यरत है। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों /पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

राजकीय सिंचाई वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 191, 215, 97, 139 नहरे निर्मित हैं। जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 489.959, 700.763, 250.100, 459.565 किमी० तथा सी०सी०ए० क्रमशः 5000, 5550.60, 2349.30, 3573.00 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :- जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रु० 173.00, 183.63, 120.00, 245.00 की धनराशि अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष क्रमशः रु० 170.00, 183.63, 120.00, 244.00 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके अन्तर्गत नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से क्रमशः 8, 0, 6, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 80, 109, 0, 168 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 0, 7, 4, 0 संख्या छोटी-छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

➤ **केन्द्र पोषित योजना (सी०एस०एस०) :-** इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रु० 99.08 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई।

3 (अ) वाह्य सहायतित नहर (नाबार्ड) :- इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रु० 98.00, 33.39, 2.00 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 4.590, 2.100, 0.070 किमी० लम्बाई की नहरों का जीर्णोद्धार कर क्रमशः 0, 41, 38, 10 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित करायी गई है।

3 (ब) वाह्य सहायतित बाढ़ (नाबार्ड) :- इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रु० 313.36, 50.00, 127.00., 235.43 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 6, 1, 3, 8, संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया।

3 (स) वाह्य सहायतित जलाशय (नाबार्ड) :- इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, के अन्तर्गत क्रमशः रु० 170.00, 135.00, 650.00, लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष 169.57, 120.00, 650.00, लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशय में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य सैक्टर एस०पी०ए० बैराज :- राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2018-19 में 01 संख्या बैराज निर्माण हेतु रु० 246.87 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। जिसके सापेक्ष रु० 63.80 लाख व्यय किया गया।

राज्य सैक्टर नहर :- राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को नहर निर्माण के अन्तर्गत 0.750 कि०मी० लम्बी नहर का निर्माण कर 08 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन :- जल संवर्द्धन के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2018-19 में 03 संख्या जलाशयों के निर्माण हेतु रु० 80.41 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रु० 70.41

लाख की धनराशि व्यय कर 01 संख्या जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 03 संख्या जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

राज्य सैक्टर आकस्मिक बाढ़ :- राज्य सैक्टर आकस्मिक बाढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत एवं बागेश्वर में क्रमशः रू0 40.00, 19.95, 34.65, 19.92 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 40.00, 19.95, 34.65, 11.82 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 4, 2, 6, 1 संख्या आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना पूर्ण की।

निजि लघु सिंचाई

लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी.

लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 98, 56, 0 हौज, क्रमशः 17.935, 2.96, 16.832 किमी⁰ गूल, क्रमशः 02, 0, 92 पम्पसेट एवं उधमसिंहनगर के 40 आर्टीजन का निर्माण कर क्रमशः 329.68, 100.10, 1439.00 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 08, 05, 02 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 11.30, 10, 10 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी।

उपकरण एवं संयंत्र :- हाईड्रम/आर्टीजन योजनाओं के संचालन हेतु पाईप रिच/स्पैनर आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिये जिला योजना वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में रू0 0.20 धनराशि व्यय की गई।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :- हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, में क्रमशः रू0 39.17, 1.00, लाख धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :- पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 11.30, 10, 1439.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2018-19 में क्रमशः रू0 16.00, 9.97, 191.00 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसमें में क्रमशः रू0 7.00, 2.55, 30.00 लाख धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़

लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 67, 104, 08 हौज, क्रमशः 4.214, 28.311, 3.670 किमी⁰ गूल एवं हाईड्रम यूनिटों का निर्माण कर क्रमशः 106.70, 188.23, 59.46 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 0, 08, 11 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 0, 12, 10 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :- हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः:रु0 24.10, 38.95, 9.97 लाख धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :- पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत बागेश्वर, में क्रमशः 0, 12, 10 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2018-19 में क्रमशः:रु0 29.90, 23.00, 10.03 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसमें में क्रमशः:रु0 0.0, 2.54 धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

नलकूप मण्डल (याँ0) हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत इस मण्डल में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी, नलकूप खण्ड, बाजपुर एवं नलकूप खण्ड टनकपुर कार्यरत है। खण्डों द्वारा निर्मित नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का रख-रखाव तथा नई योजनाओं का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाडी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। नलकूप विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहें हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2018-19 तक इस मण्डल के जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी क्षेत्र) में 191 नलकूप एवं (विकास खण्ड भीमताल में) 03 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिन पर क्रमशः 482.308 एवं 12.015 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है, जिसका सी.सी.ए. क्रमशः 14145 एवं 161 हेक्टेयर है। जनपद ऊधमसिंह नगर में 415 नलकूप सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. 35996 हेक्टेयर है, जिन पर 1028.404 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है। जनपद चम्पावत में 33 संख्या नलकूप एवं 06 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. क्रमशः 2611 एवं 142 हेक्टेयर है, जिन पर क्रमशः 79.35 एवं 12.78 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है।

1:- जिला योजना

जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी) हेतु रु0 222.70 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रु0 222.70 लाख अवमुक्त हुआ, जिससे 8.514 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया। जनपद ऊधमसिंह नगर के लिए रु0 225.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रु0 225.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिससे 14.243 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया तथा 02 संख्या नलकूपों का ऊर्जाकृत कर 150 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन भी किया गया। जनपद चम्पावत में रु0 170.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रु0 170.00 लाख अवमुक्त हुआ, जिससे 5.02 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा 02 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना से शेष 56 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

2:- वाह्य सहायतित (नाबार्ड)

वर्ष 2018-19 में नलकूप खण्ड हल्द्वानी में इस योजना के तहत जनपद नैनीताल में 174.04 लाख व्यय कर 01 सं0 नलकूप का छिद्रण एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत नलकूपों के पम्पसैट/टी.पी. स्विच को बदल कर 134 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुर्नसृजन किया गया। जनपद ऊधमसिंह नगर में रु0 590.24 लाख व्यय कर 8 संख्या नलकूपों का ऊर्जाकरण कर 600 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन एवं 38.952 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण भी किया गया।

नलकूप मण्डल (याँ0) अल्मोड़ा

राजकीय सिंचाई के अर्न्तगत नलकूप मण्डल (याँ0), अल्मोड़ा द्वारा नलकूपों, डाल सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

राजकीय सिंचाई :- वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के अर्न्तगत क्रमशः 197, 7, 2, 3 कुल **209 नलकूप** क्रमशः 19, 15, 62, 29 कुल **125 पम्प योजनाएँ** निर्मित हैं। जिन पर जल वितरण प्रणाली की 264.07 किमी⁰ तथा **सी0सी0ए0 कुल 19892.00 हैक्टेयर** है जिसके सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 20684.43 हैक्टेयर वास्तविक सिंचाई दर्ज की गई है।

जिला सैक्टर :- जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के अर्न्तगत क्रमशः रू0 224.00 लाख (रू0 112.00 लाख नलकूप व रू0 102.00 लाख डाल सिंचाई योजनाओं हेतु), रू0 58.00 लाख, रू0 57.55 लाख, रू0 145.00 लाख नलकूप/सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 224.00, 58.00, 57.00, 145.00, लाख कुल रूपये की धनराशि अवमुक्त हुई जिसका 100 प्रतिशत व्यय किया गया, जिसके अर्न्तगत नलकूपों/डाल सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कर मण्डल में 3 सं0 लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण/पुनरोद्धार पूर्ण कर **166 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन व 26 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का पुनः जीवन किया गया** एवं 2 संख्या नलकूप का पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार कर **20.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनः जीवित** की गई।

राज्य योजना (नावार्ड) टी0एस0पी0/मा0मुख्यमंत्री घोषणा :- इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर नगर में क्रमशः रू0 133.67, 133.00, 308.45, 112.92, कुल रूपया 688.04 लाख की धनराशि व्यय कर मण्डल में कुल 2 नलकूप का निर्माण कर **44 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन** किया एवं 3 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण/विस्तार कर **104 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन** किया गया।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाएँ बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है।

जल संस्थान के निम्न कृत्य हैं:-

1. जहाँ साध्य हो वहाँ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन।
2. अपने कार्य स्थलों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और साध्य हो वहाँ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे जा सके।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, एवं बागेश्वर में क्रमशः 05, 04, 02 नगरीय व क्रमशः 495, 245, 163 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इन पेयजल योजनाओं में क्रमशः 09, 08, 07 नग पम्पिंग पेयजल योजनाएँ एवं शेष क्रमशः 491, 241, 158 नग गुरुत्व आधारित पेयजल योजनाएँ हैं। उक्त के अतिरिक्त क्रमशः 848, 748, 531 नग इण्डिया माक्र-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं, जिनकी मरम्मत /रखरखाव का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।

उत्तरांचल कूप :- विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 0, 0, 01 नग उत्तरांचल कूप स्थापित किये गये इस प्रकार अब तक क्रमशः 238, 193, 114 कुल 545 कूपों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

स्टील इन्टेक चैम्बर :- जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अन्तर्गत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 181, 360, 29 नग स्टील इन्टेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये हैं।

जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्री आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

एकल पेयजल योजना :- त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अनुसंधान/देख-रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाएँ जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ-साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हों। योजना के अन्तर्गत कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

वर्ष 2017-18 तक कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर में पेयजल निगम द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 30, 133, 0, जलसंस्थान द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 848, 748, 531 है।

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाएँ बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है।

जल संस्थान के निम्न कार्य हैं :-

1. जहाँ साध्य हो वहाँ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन।
2. अपने कार्य स्थलों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और साध्य हो वहाँ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे जा सके।

अध्याय – 12

उद्योग

नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू-भाग वास्तविक रूप से "शून्य उद्योग" क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999-2000 में द्वितीयक सैक्टर का अंश मात्र 19.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017-18 में 49 प्रतिशत से अधिक हो गया है (जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सैक्टर सम्मिलित है)। इससे स्पष्ट है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा है।

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष पैकेज वर्ष 2010 में समाप्त हो गया। इस पैकेज में प्रदत्त केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना 31 मार्च, 2013 तक लागू थी, को 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया था। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से औद्योगिक विकास योजना-2017 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू होगी। इस योजना में ये तथा विस्तारीकरण के उत्पादक तथा सेवा उद्यमों को प्लांट व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश 30 प्रतिशत अधिकतम रु0 5 करोड़ का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा के प्रिमियम की 5 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों एवं अवस्थापना कार्यकलापों को गतिशील बनाये जाने हेतु प्रयासरत है। उद्यमियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

(Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, विकास एवं संवर्द्धन तथा इन उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2006 में प्रकाशित हुआ है तथा अधिनियम के प्राविधान दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से प्रवर्त हो गये हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया है तथा कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को "सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम" के रूप में नये सिरे से परिभाषित किया गया है।

उद्यमों को दो श्रेणियों में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:-

1-निर्माण एवं उत्पादन में संलग्न उद्यम (**Manufacturing Enterprises**)

	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)-	रु. 25 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)-	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)-	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक

2-सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यम (**Service Enterprises**)

	उपकरणों में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)-	रु. 10 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)-	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)-	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ तक

उद्योग आधार मैमोरेण्डम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा का.आ. 2576(अ)- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1643 (अ), का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार इस पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के उपरांत विनिर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस अधिसूचना के साथ अनुबंध-1 के रूप में संलग्न फार्म में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करेगा।

उद्योग आधार ज्ञापन प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित <http://udyogaadhar.gov.in>, उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा लेकिन अपवादिक मामलों में जहाँ किसी कारण से आनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है, वहाँ विधिवत भरे गए अनुबंध-1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत की जाय जो ऐसे उद्यम की ओर से उद्योग आधार ज्ञापन आनलाइन फाइल करेगा।

एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

उद्योग आधार ज्ञापन स्वघोषणा के आधार पर फाइल किया जायेगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करते समय, समर्थन में कोई भी दस्तावेज अपलोड किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया जाए, जहां आवश्यक हो, उद्योग आधार ज्ञापन में दी गयी सूचना के दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

(पूंजी निवेश करोड़ रु० में)

जनपद का नाम	वर्ष 2018-19	
	संख्या	पूंजी निवेश
नैनीताल	263	54.79
ऊधमसिंहनगर	570	210.84
अल्मोड़ा	219	19.06
पिथौरागढ़	194	12.57
बागेश्वर	138	8.95
चम्पावत	140	14.28
योग	1524	320.49

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में पूर्ववर्ती राज्य से माह मार्च, 2019 तक कार्यरत् वृहत उद्योगों की संख्या 158 है, जिनमें रु. **18079.40** करोड़ का पूंजी निवेश तथा **44133** लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित वृहत उद्योगों की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रु. में)	रोजगार
1	ऊधमसिंहनगर	155	14410.39	40664
2	नैनीताल	3	3669.01	3469
	योग	158	18079.40	44133

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिगत देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया है।

संचालित विभाग:

योजना संयुक्त रूप से जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित की जा रही है।

- 1- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में।
- 2- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में।

योजना के अवयव:

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूक्ष्म विनिर्माण/सेवा उद्यम के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियां।

पात्रता:

- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवक/युवतियां एवं उद्यमी।
- उद्यम के निर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक की योजना एवं सेवा क्षेत्र में रू0 5 लाख से अधिक की योजना हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं पास।
- योजना के अन्तर्गत केवल नयी स्थापित इकाई को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। पुरानी/अन्य संस्था द्वारा पूर्व में अनुदान/सब्सिडी प्राप्त इकाईयों को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नकारात्मक सूची में घोषित उद्योग पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

वित्तीय सहायता:

उद्योग क्षेत्र	:	अधिकतम रू0 25.00 लाख
सेवा क्षेत्र	:	अधिकतम रू0 10.00 लाख

मार्जिन मनी एवं अनुदान : भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार अनुमन्य किया गया है:-

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग	परियोजना लागत पर लाभार्थियों का अंशदान	सहायता दर	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग	5%	25%	35%

नकारात्मक सूची :

- मांस(प्रशोधन, डिब्बाबंदी और परोसना) और नशीली सामाग्रियां(उत्पादन/निर्माण बिक्री)
- फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, खादी और पालीवस्त्र आदि।
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना :-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम माह में राज्य सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विज्ञापन निकाला जायेगा, जिसके माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
- जनपदों में जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सके।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला स्तरीय टास्कफॉर्स कमेटी (DLTFC) का आयोजन किया जायेगा, और निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुणा अधिक आवेदनों का चयन कर उन्हें जून माह तक सम्बन्धित बैंक शाखाओं को स्वीकृत/संवितरण के लिये प्रेषित कर दिया जायेगा। बैंको द्वारा सभी मार्जिन मनी दावे माह नवम्बर तक नोडल बैंक को प्रेषित कर दिये जायेंगे ताकि माह जनवरी तक सभी मार्जिन मनी दावे निस्तारित किये जा सके।
- जिलाधिकारी द्वारा बीएलबीसी (BLBC), एसएलबीसी (SLBC) स्तर पर भी प्रत्येक माह योजना की समीक्षा की जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति दिनांक 31-3-2019 तक
(वर्ष 2018-19)

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	लक्ष्य		स्वीकृत ऋण		वितरित मार्जिन मनी बैंक लॉग सहित		रोजगार
		इकाई	मार्जिन मनी	सं०	धन०	सं०	धन०	
1	नैनीताल	86	258	149	258	196	393	1568
2	ऊधमसिंहनगर	108	323	52	125	119	338	952
3	अल्मोड़ा	88	264	84	132	172	286	1376
4	पिथौरागढ़	86	258	178	213	298	354	2384
5	बागेश्वर	82	246	111	118	168	235	1344
6	चम्पावत	86	218	113	218	141	272	1128
योग		536	1567	687	1064	1094	1878	8752

उद्योग मित्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-184/VII-2-15/146-एम. एस.एम.ई./2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015 के प्रस्तर-10.1 एवं 10.2 में नीति के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण/ निगरानी तंत्र के अधीन राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति तथा राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। नीति में उल्लिखित प्राविधानों के तहत मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लेगी, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति में निर्णय सम्भव न हो सके। मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य उद्योग मित्र समिति में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों/ नीतिगत विषयों को ही निर्णय हेतु विचार के लिये रखा जायेगा तथा राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण तथा लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय, औद्योगिक इकाईयों की रूग्णता दूर करने के प्रस्तावों पर विचार, औद्योगिक विकास में बाधक नियम/अधिनियम एवं शासनादेश, जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर निर्णय तथा ऐसे बिन्दु/प्रस्ताव, जो एमएसएमई नीति में समाहित नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में है, पर विचार एवं निर्णय के लिये प्राधिकृत है। प्राधिकृत समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी तथा बैठक के एजेण्डा में जिला उद्योग मित्र से सन्दर्भित प्रकरणों तथा उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जायेगा।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के कार्यों में मुख्य रूप से जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों से समय-सीमा के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने की समीक्षा, एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की

समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही एवं जिन मामलों को जिला स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सका है, को राज्य स्तर पर विचार/निर्णय के लिये सन्दर्भित करना है। जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिए वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुए उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के सृजन के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जा सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य हेतु "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2015" लागू की गई है।

यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपादान प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट के रूप में चिन्हित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

निवेश प्रोत्साहन सहायता:- उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी:-

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख)
2	श्रेणी-बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम रु. 35 लाख)
3	श्रेणी-सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)
4	श्रेणी-डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 15 लाख)

ब्याज उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी-बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रु. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी-सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी-डी	शून्य

मूल्यवर्धित कर (वैट) की प्रतिपूर्ति :

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत
2	श्रेणी-बी	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत
	श्रेणी-बी+	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क में छूट :

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	शत प्रतिशत
2	श्रेणी-बी एवं बी+	शत प्रतिशत
3	श्रेणी-सी	शत प्रतिशत
4	श्रेणी-डी	50 प्रतिशत

विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति :

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी-"ए"	श्रेणी-"बी" व "बी+"
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	60%	50%

विशेष राज्य परिवहन उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी-ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
2	श्रेणी-बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
	श्रेणी-बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चा माल/ तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वर्ष 2018-19 में इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता का विवरण जनपदवार निम्नवत् है:-

जनपद का नाम	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
नैनीताल	54	551.70
अल्मोड़ा	13	179.82
बागेश्वर	8	11.98
पिथौरागढ़	89	80.75
चम्पावत	7	57.37
योग	171	881.62

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एवं लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना स्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं :

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टर्स एवं आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एवं नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं-

दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15-20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15-20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इंजीनियरिंग कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी

संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार संपादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इण्टरप्रनियॉरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20-25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम
(वर्ष 2018-19)

जनपद का नाम	मद	कार्यक्रम			प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी		
		दो दिवसीय	तीन साप्ताहिक	चार साप्ताहिक	दो दिवसीय	तीन साप्ताहिक	चार साप्ताहिक
नैनीताल	सामान्य	15	2	0	375	50	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	9	0	0	225	0	0
	ट्राइवल सब प्लान	1	0	0	25	0	0
ऊधमसिंहनगर	सामान्य	5	5	0	130	102	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	2	1	0	86	48	0
	ट्राइवल सब प्लान	2	1	0	90	29	0
अल्मोड़ा	सामान्य	0	0	0	0	0	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	0	0	0	0	0	0
	ट्राइवल सब प्लान	0	0	0	0	0	0
पिथौरागढ़	सामान्य	0	0	0	0	0	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	0	0	0	0	0	0
	ट्राइवल सब प्लान	0	0	0	0	0	0
बागेश्वर	सामान्य	0	0	0	0	0	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	0	0	0	0	0	0
	ट्राइवल सब प्लान	0	0	0	0	0	0
चम्पावत	सामान्य	24	3	803	77	0	0
	स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान	5	1	175	34	0	0
	ट्राइवल सब प्लान	0	0	0	0	0	0
	कुल योग:-	63	13	978	1042	229	0

एकल खिड़की व्यवस्था
(SINGLE WINDOW SYSTEM)

- उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/स्वीकृतियों/ अनापत्तियों/अनुज्ञां के लिये सूचना, मार्ग-दर्शन, आवेदन-पत्रों की उपलब्धता तथा आवेदन-पत्रों के केन्द्रीय व समयबद्ध निस्तारण के लिए एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से लागू।
- उद्यम स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां के लिये अनुमोदित प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति की अधिकतम समय-सीमा 15 दिन।
- उद्यम के संचालन हेतु वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों हेतु अधिकतम 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित।
- उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म-1 तथा उद्यम संचालन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म-2 पर आवेदन का प्राविधान।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म-1 पर आवेदन हेतु दिनांक 2-3-2016 से विभागीय पोर्टल investuttarakhand.com पर ऑनलाईन व्यवस्था।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म-1 पर आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अभिमत/निर्णय हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित।
- आवेदन के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय स्थित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र प्रकोष्ठ नोडल एजेन्सी नामित।
- पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्रों पर किसी विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न किये जाने पर डीम्ड स्वीकृति का प्राविधान।
- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निवेश प्रस्तावों पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति तथा बृहत उद्यमों के प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति अधिकृत।
- विभागों/जिला प्राधिकृत समिति के निर्णयों के विरुद्ध राज्य प्राधिकृत समिति को तथा राज्य प्राधिकृत समिति के निर्णय के विरुद्ध सरकार को अपील करने का प्राविधान।
- उद्यमियों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग निदेशालय में अलग से टॉल-फ्री नम्बर 18002701213 स्थापित।

हथकरघा योजनायें

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना

(Integrated Development and Promotion of Handicrafts)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु रू० 30 करोड़ की परियोजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं:- वर्क

डिजाइन वर्कशॉप :- प्रत्येक ब्लॉक में 10 डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की जायेंगी।

लोकल लेवल मार्केटिंग वर्कशॉप :- प्रत्येक ब्लॉक में 2 लोकल लेवल मार्केटिंग वर्कशॉप आयोजित की जायेंगी।

सीएफसी :- सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

एकीकृत डिजाइन वर्कशॉप :- प्रत्येक ब्लॉक में 3 कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

प्रदर्शनियाँ :- शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु राज्य में 15 प्रदर्शनियाँ विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जानी है।

स्टेट लेविल मार्केटिंग वर्कशॉप :- राज्य के शिल्पियों को राज्य स्तर पर विपणन से सम्बन्धित जानकारी दिये जाने हेतु 2 सेमीनार आयोजित किये जाने हैं।

बायर-सेलर मीट :- शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्पादों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किये जाने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बायर-सेलर मीट :- शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप :- शिल्पियों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की जायेगी।

टूल किट :- शिल्पियों को विभिन्न शिल्प उत्पाद तैयार किये जाने हेतु 5000 शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराये जायेंगे।

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों एवं गठित एसएचजी/सहकारी समितियों का विवरण

क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों की संख्या	एसएचजी/सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या
1.	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	240	168
		धारचूला	150	123
2.	रुधमसिंहनगर	खटीमा	240	199
		जसपुर	300	148
3.	नैनीताल	हल्द्वानी	100	100
4.	बागेश्वर	बागेश्वर	150	88
5.	अल्मोडा	हवालबाग	240	147
योग			1420	973

हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान :

- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोडा में हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण आदि पर कार्य किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना :

- योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सिद्ध हस्त शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गयी है।

नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिये रिवाल्विंग फण्ड:

- प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम-मटेना, जनपद-अल्मोडा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार-प्रसार

प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के प्रदर्शन, औद्योगिक नीति के प्रचार-प्रसार तथा राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों, यथा: भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली (प्रत्येक वर्ष 14-27 नवम्बर) में राज्य की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो प्रतिवर्ष माह नवम्बर में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, में राज्य द्वारा भाग लिया जाता है। कुटीर, दस्तकारी, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प इकाईयों को व्यापार व विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों, यथा: नेशनल हैण्डलूम एक्सपो, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, गोंधी शिल्प बाजार, शरदोत्सव/ग्रीष्मोत्सव व प्रदेश के पारम्परिक मेलों में विभाग द्वारा प्रदर्शनियां/गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2017 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी का थीम "स्किल ऑफ इण्डिया" थी। मेले में राज्य के उद्योग, लघु उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण के 90 स्टॉल स्थापित किये गये।

25 दिसम्बर, 2017 से 7 जनवरी, 2018 तक उत्तरकाशी में तथा दिनांक 15-28 जनवरी, 2018 तक हल्द्वानी में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। दिनांक 16-28 फरवरी, 2018 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में राज्य के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु एक प्रदर्शनी का आयोग विभाग द्वारा किया गया।

दिनांक 9-22 मार्च, 2018 तक रुद्रपुर में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो तथा 20 मार्च, 2018 से 2 अप्रैल, 2018 तक काशीपुर में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि किये जाने हेतु औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार योजनान्तर्गत कार्यशाला/गोष्ठी/सेमीनार आदि का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, हरिद्वार, काशीपुर एवं अल्मोड़ा में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से "हिमाद्रि" ब्राण्ड नेम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मार्केटिंग की सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से **himani.org** नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों की **snapdeal** के माध्यम से भी विपणन की व्यवस्था की गई है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, श्रीनगर (गढ़वाल), हरिद्वार, काशीपुर एवं कसारदेवी व मालरोड (अल्मोड़ा) में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से "हिमाद्रि" ब्राण्ड नाम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

ग्रामोद्योग

विभाग का परिचय -

उत्तराखण्ड बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के मध्य सामंजस्य रखते हुए बोर्ड की योजनाओं को लागू करना है, खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतियों को उनकी अभिरुचि के अनुरूप स्वरोजगार सीपनार्थ भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त योजनाओं से तकनीकी कौशल/विकास प्रशिक्षण उपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है व उत्पादित माल के विपणन में समुचित सहयोग दिया जाता है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनाएं संचालित की जाती है।

(अ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पी0एम0ई0जी0पी0)।

(ब) व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना – वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 25, 26, 27, 27, 25, 32 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 24, 49, 29, 36, 37, 26 पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में) 112.00, 177.03, 128.69, 186.57, 185.06, 209.57 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 (लाख में) 61.38, 90.17, 111.65, 98.99, 75.99, 165.46 लाख मार्जिन मनी वितरित कर क्रमशः 175, 152, 241, 279, 217, 342 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ब्याज उपादान योजना – वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य इकाई संख्या क्रमशः 15, 20, के सापेक्ष क्रमशः इकाई संख्या 5, 14, को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रमशः 16.00, 44.00 लाख रूपये का ऋण वितरित करते हुए क्रमशः 16, 46, व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा जिला योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में अवमुक्त धनराशि क्रमशः 0.00, 19.85, 19.05, 11.00, 13.00 एवं 7.85 लाख रूपये विगत पाँच वर्षों में वित्तपोषित उद्यमियों के पक्ष में ब्याज उपादान के रूप में व्यय की गई।

इस प्रकार दोनों योजनाओं में वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में क्रमशः 175, 168, 241, 279, 217, 388 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

खादी वस्त्रों की बिक्री – वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 19, 10, 15, 04, 08, 35 संस्था/समितियों द्वारा क्रमशः रू0 424.71, 102.76, 201.12, 44.22, 63.46, 1007.26 (लाख में) लाख की बिक्री कर क्रमशः रू0 (लाख में) 26.40, 10.37, 18.94, 4.035, 6.32, 95.62 लाख प्रान्तीय रिवेट उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, में 05 व्यक्तियों को खादी कताई का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग, अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में दिया गया प्रशिक्षण में 50 कि0ग्रा0 रुई दी गयी जिसकी कीमत रू0 33,750.00 है। जनपद अल्मोड़ा तथा जसपुर में 05 व्यक्तियों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में 150 कि0ग्रा0 धागा दिया गया जिसकी रू0 33,750.00 है तथा जनपद अल्मोड़ा एवं उधमसिंहनगर में 01 डिजायनर की तैनाती की गयी, जिन्हें डिजायन बनाने हेतु सभी खर्चों सहित 3.00 लाख कुल 3,67,500.00 का व्यय किया जा रहा है।

विद्युत

“विद्युत” आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गयी है। देश के आर्थिक विकास में विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संचार, परिवहन, मनोरंजन, कृषि, औद्योगिककरण के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में विद्युत का उपभोग अनिवार्य होता जा रहा है। विद्युत व्यवस्था के निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ मण्डल में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पी.टी.सी.यू.एल.) का क्षेत्रीय कार्यालय 220के०वी० उपकेन्द्र परिसर कमलुवागांजा, हल्द्वानी में स्थित है जिसके अन्तर्गत 02 मण्डल स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी एवं काशीपुर में स्थित है। हल्द्वानी मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी, पन्तनगर, सितारगंज, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ तथा काशीपुर मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय 400 के०वी० काशीपुर, 132 के०वी० काशीपुर एवं 220 के०वी० महुवाखेड़ागंज में स्थित हैं।

कुमायूँ क्षेत्र में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पी.टी.सी.यू.एल.) द्वारा 17 विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जो कि कुमायूँ मण्डल के विभिन्न जनपदों – ऊधमसिंह नगर में (400 के०वी० का एक, 220 के०वी० के दो एवं 132 के०वी० के सात) कुल 10 उपकेन्द्र, नैनीताल में (220 के०वी० का एक एवं 132 के०वी० के तीन) कुल 4 उपकेन्द्र, अल्मोड़ा में 132 के०वी० के 2 उपकेन्द्र एवं पिथौरागढ़ में 132 के०वी० का 1 उपकेन्द्र में स्थित है जिनकी कुल क्षमता 3200 एम०वी०ए० हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत 1122.168 कि०मी० (107.700 कि०मी०–400 के०वी०, 273.484 कि०मी०–220के०वी० एवं 740.984 कि०मी०–132 के०वी०) उच्च विभव की पारिषण लाईनों का अनुरक्षण एवं परिचालन भी पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पी.टी.सी.यू.एल.) की कुमायूँ इकाई द्वारा किया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने एवं बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बागेश्वर के बागेश्वर में 6X7 एम०वी०ए० क्षमता का एक 132 के०वी० उपकेन्द्र एवं 43.06 कि०मी० 132 के०वी० रानीखेत–बागेश्वर लाईन, जनपद चम्पावत के लोहाघाट में 2X20 एम०वी०ए० क्षमता का एक 132 के०वी० उपकेन्द्र एवं 41.347 कि०मी० 132 के०वी० पिथौरागढ़–लोहाघाट लाईन, जनपद पिथौरागढ़ के बरम (जौलजीवी) में 2X25 एम०वी०ए० क्षमता का एक 220 के०वी० उपकेन्द्र एवं 21.956कि०मी० 220के०वी० धौलीगंगा–पिथौरागढ़ (पावरग्रिड) लाईन का बरम उपकेन्द्र में लिलो लाईन एवं जनपद ऊधमसिंहनगर के जाफरपुर में 2X50 एम०वी०ए० क्षमता का एक 220 के०वी० उपकेन्द्र एवं 8.400 कि०मी० 220 के०वी० काशीपुर–पन्तनगर लाईन का जाफरपुर उपकेन्द्र में लिलो लाईन का निर्माण भी किया जा रहा है।

ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र में स्थित 400के०वी० उपकेन्द्र–काशीपुर, 132 के०वी० उपकेन्द्र–जसपुर, 132 के०वी० उपकेन्द्र–किच्छा, 132 के०वी० उपकेन्द्र–पिथौरागढ़ एवं 220 के०वी० उपकेन्द्र–कमलुवागांजा (हल्द्वानी) की क्षमतावृद्धि की जा रही है जिन्हें मार्च 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कुमायूँ क्षेत्र में 220के०वी० महुवाखेड़ागंज–काशीपुर (400के०वी०) सर्किट । एवं ।। लाईन, 132के०वी० खटीमा–पीलीभीत लाईन, 132के०वी० किच्छा–सितारगंज, 132के०वी० सितारगंज (पावरग्रिड)–सितारगंज (ऐल्लिको) लाईन में स्थापित कण्डक्टर को उच्च क्षमता के एच०टी०एल०एस० कण्डक्टर द्वारा बदलने के कार्य हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है जिन्हें मार्च 2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पी.टी.सी.यू.एल.) कुमायूँ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु कृत संकल्प हैं जिसे प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में पी.टी.सी.यू.एल. की विद्युत उपलब्धता लगभग 99.50 प्रतिशत है।

जल विद्युत

1. **विभाग का परिचय एवं विस्तार** – पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन ऊर्जा सुधार एवं अन्तरण अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2000 में हो गया था। फलस्वरूप जल विद्युत निगम, पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्पादन निगम का सृजन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 09.11.2001 से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्रियाशील हुआ। कालान्तर में, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करने के उद्देश्य से यूजेवीएन लिमिटेड की स्थापना की गयी। वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड दिनांक 04.04.2011 से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं उत्पादन के अतिरिक्त सौर ऊर्जा बगास आधारित परियोजनाओं पर

भी कार्यरत है एवं गैस चलित ताप विद्युत परियोजनाओं एवं कोल ब्लाक आवंटन क्षेत्र में भी प्रयासरत है। प्रदेश के दुर्गम एवं सीमान्त क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्यों में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सफलता पूर्वक कार्य किया गया। सम्पूर्ण कुमायूँ मण्डल क्षेत्र में लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाओं के विकासार्थ पिथौरागढ़ में मण्डल कार्यालय क्रियाशील है।

2. विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण – उत्तराखण्ड सरकार के नीतियों के अनुरूप पूर्ववर्ती खण्ड धारचूला एवं थल के अन्तर्गत उत्पादनरत कुल 11.33 मे0वा0 क्षमता की 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को हस्तान्तरण कर दिया गया है। जबकि 1150 कि0वा0 दुर्गापुर परियोजना को नगर पालिका परिषद, नैनीताल को हस्तान्तरित किया गया। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है:-

1. तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2X2.5 मे0वा0 सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य।
2. 12 मे0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर पूर्ण एवं लैण्ड केस ऑनलाईन फाइल कर दी गयी है।
3. 15 मे0वा0 पैनागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।
4. 12 मे0वा0 जुम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।
5. 120 मे0वा0 सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी – अनुसंधान एवं नियोजन चरण में।
6. 230 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला – सर्वेक्षण एवं अनुसंधान चरण में।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुमायूँ मण्डल में नदेही एवं बाजपुर शुगर मिल पर क्रमशः 16 मे0वा0 एवं 22 मे0वा0 क्षमता की बगास आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरांचल शुगरस से अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिये गये हैं। निविदा आमंत्रण हेतु कार्य प्रगति पर है।

3. विभागीय कार्यों पर गत वर्षों के सापेक्ष प्रगति एवं समीक्षात्मक आलेख – वर्ष 2013-14 की अपेक्षा उपरोक्त विकासाधीन एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं पर वर्ष 2014-15 में बेहतर एवं तीव्र गति से कार्य हुये परन्तु 16 एवं 17 जून 2013 को आयी प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पादनरत परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभूतपूर्व क्षति पहुँची। प्राकृतिक आपदा के उपरान्त यथा सम्भव प्रयास करते हुये सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना, तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना एवं सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिये गये हैं जबकि 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ परियोजना का जीर्णोधार, 2 मे0वा0 की कंचोटी परियोजना का पुर्ननिर्माण कार्य एवं 8 मे0वा0 की सोबला परियोजना का पुर्नवास कार्य के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

4. रोजगार सृजन – परियोजनाओं के निर्माण एवं कमीशिनिंग के उपरान्त उत्पादन हेतु परिचालकीय वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आउट सोर्सिंग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से कार्मिकों को अनुबन्धित कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया भी सम्पादित की जाती है। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती का भी प्राविधान है।

अध्याय – 14

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2018-19 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
i	राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी०	230.15	128.4		204	76	125	763.55
ii	प्रादेशिक राजमार्ग	किमी०	684.48	520.05	372.23	188.26	221.14	258.92	2245.08
iii	मुख्य जिला सड़कें	किमी०	160.18	92.63	229.86	106.14	44.90	125.50	759.21
iv	अन्य जिला सड़कें	किमी०	596.47	147.10	109.15	77.92	152.72	15.01	1098.37
v	ग्रामीण सड़कें	किमी०	2133.17	2102.62	1291.13	1827.81	473.03	719.22	8546.98
vi	हल्का वाहन मार्ग	किमी०	27.72	135.77	73.05	0	5.00	38.10	279.64
vii	सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत मोटर सड़कें	किमी०	0	0	223.00	0	0	120.00	343.00
viii	जिला पंचायत	किमी०	0	292.00	0	254.46	0	0	546.46
ix	शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य	किमी०	16.45	150.43	53.50	766.35	0	48.67	1035.40
x	सिंचाई विभाग	किमी०	0	147.56	0	650.43	0	0	797.99
xi	गन्ना विभाग	किमी०	0	47.03	0	394.35	0	0	441.38
xii	वन विभाग	किमी०	119.59	677.84	11.30	0	37.00	252.31	1098.04

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायूँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 389.23 किमी० है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 534.62 किमी०, नैनीताल में 476.82 किमी०, अल्मोड़ा में 601.28 किमी०, पिथौरागढ़ में 401.48 किमी०, बागेश्वर में 320.00 किमी० तथा ऊधमसिंह नगर 242.90 किमी० है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में प्रति हजार वर्ग किमी० पर पक्की सड़कों की लम्बाई 782.57 किमी० है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1575.58 किमी०, नैनीताल में 1070.75 किमी०, अल्मोड़ा में 1192.42 किमी०, चम्पावत में 786.04 किमी०, बागेश्वर में 370.29 किमी० तथा पिथौरागढ़ में मात्र 273.75 किमी० है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहाँ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहाँ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :- मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाइनें उ०प्र० के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाइनों की कुल लम्बाई 212 किमी० है, इन रेल लाइनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहाँ तक पहुँचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :- वर्ष 2016-17 तक कुमायूँ मण्डल में 1148 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 323, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 111 तथा चम्पावत में 83 डाकघर हैं। कुमायूँ मण्डल में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 62506 है। जिसमें से सर्वाधिक 42573 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनेक्शन हैं। 5511 जनपद अल्मोड़ा में, 9289 जनपद नैनीताल में, 830 जनपद चम्पावत में, 3398 जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 905 टेलीफोन कनेक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 15

पर्यटन

कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची-नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची-नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।



जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैँची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।



जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रुद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।



जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।



जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।



जनपद पिथौरागढ़ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में माँ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।



जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :- अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमायूँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहाँ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुएँ व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में "गोल्लू" का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी-बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :- अल्मोड़ा से 3 किमी० दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहाँ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू है।

अल्मोड़ा से 6 किमी० दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहाँ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहाँ रुकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी० दूर 2420 मी० की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहाँ से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित

चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते हैं इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणार्क के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी० दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहाँ से हिमालय का विस्तृत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायूँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी० चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूंगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहाँ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी० व बागेश्वर से 39 किमी० की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायूँ भ्रमण के दौरान महात्मा गाँधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी० की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहाँ



पहुँचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी० दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी० की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21 किमी० की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वच्छन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से 4 किमी० आगे नया गाँव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैची मन्दिर जहाँ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं



के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहाँ का गुरुद्वारा, कुओं व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहाँ

गुरु नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी० दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहाँ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहाँ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी० दूर ध्वज से हिमालय श्रृंखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी० की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहाँ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी० की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी० पर गुपतड़ी तथा वहाँ से 8 किमी० पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहाँ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी० व बेरीनाग से 9 किमी० दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर-दूर से कई श्रद्धालु आते हैं।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	7	14	415
2	बागेश्वर	25	9	318
3	नैनीताल	30	14	585
4	ऊधमसिंह नगर	13	3	88
5	पिथौरागढ़	8	10	230
6	चम्पावत	28	7	176
योग मण्डल		111	57	1812

जनपद में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने हेतु विभाग द्वारा धार्मिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों, पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास (होम स्टे) विकास योजना, अतिथि गृह आवास योजना, दीन दयाल मातृ पित्र तीर्थाटन योजना संचालित की जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ—

1— वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना —उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में लागू की गयी।

(1) मद —

- **वाहन**—बस, टैक्सी, जिप्सी, कैरावैन, टैम्पो ट्रेवलर क्रय।
- **गैर वाहन**— फास्टफूड सेन्टर, रैस्टोरेन्ट, मोटर गैराज, योगध्यान केन्द्र, फोटोग्राफी उपकरण सोविनियर शॉप, हरबल टूरिज्म, संग्रहालय निर्माण, हस्त शिल्प शोरूम, साहसिक पर्यटन उपकरण, होटल/मोटल, बर्ड वाचिंग उपकरण क्रय, एस्ट्रो टूरिज्म के उपकरण क्रय, आल टैरेन बाईक्स, बेकरी शॉप, लॉण्ड्री तथा पर्यटन से जुड़ी अनेक लाभप्रद योजनाएं।

(2) **अनुदान** — अनुमोदित योजना पर मैदानी क्षेत्र में गैरवाहन मद में 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक पर्वतीय क्षेत्र में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 15 लाख, वाहन मद में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(3) **मार्जिन मनी** — लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(4) **पात्रता** — उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी, पर्यटन विषय पर डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता, बस एवं टैक्सी क्रय योजनाओं के लिए कम से कम 5 वर्ष का कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स अनिवार्य, होटल/मोटल योजनाओं के लिए भूमि की अनिवार्यता, लाभार्थी कम से कम साक्षर हो।

(5) **आवेदन प्रक्रिया** — आवेदन पत्र कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल एवं पर्यटक सूचना केन्द्र काठगोदाम से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होता है, आवेदन दो प्रतियों में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रपत्र कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. मूल स्थाई निवास प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)
4. शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति व भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र
6. कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स
7. भूमि की खतौनी व जोत बही
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना का नक्सा

(6) **चयन** — शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम ये किया जाता है।

(7) विगत वर्ष 2018-19 में लाभान्वितों की तालिका -

क्र. सं०	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना										
1	वाहन मद									
अ	लाभार्थी	2018-19	संख्या	06	58	08	05	14	10	101
ब	अनुदान	2018-19	संख्या	-	53.600	15.627	13.45	31.15	01	-
स	चयानित उद्यमी	2018-19	संख्या	12	25	16	05	14	10	82
2	गैर वाहन मद									
अ	लाभार्थी	2018-19	संख्या	07	43	11	01	09	04	75
ब	अनुदान	2018-19	संख्या	2477350	111.084	97.576	7.50	31.21	-	-
स	चयानित उद्यमी	2018-19	संख्या	07	30	12	01	09	05	64

2-दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना - उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के अन्तर्गत दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना आरम्भ की गयी है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं सहायक को खर्च में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इच्छुक बुजुर्ग जिला पर्यटन कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत करा सकते हैं। जिसके अन्तर्गत श्री गंगोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, रीठा साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर सरीफ, ताडकेश्वर, कालीमठ, जागेश्वर, गैराड गोलू, हनोल, गंगोलीहाट तथा बैजनाथ की यात्रा कराई जाती है।

(अ) विगत वर्ष 2018-19 में दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना से लाभान्वितों की सूची :-
पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की माह 31-03-2019 तक की प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं०	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(2) मातृ पितृ तीर्थाटन योजना										
अ	यात्रा कार्यक्रम	2018-19	संख्या	-	08	02	01	-	03	14
ब	तीर्थ यात्रा	2018-19	संख्या	-	260	60	25	-	106	451

3. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना -

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन के विकास व रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के उद्देश्य स्थानीय लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना व नये पर्यटन स्थलों का विकास, राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु शर्तें भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो और वहा मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो, भवन को होम स्टे योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी, योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता है।

(1) अनुदान – अनुमोदित योजना पर मैदानी क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 25 प्रतिशत अथवा 7.50 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.00 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षों तक मान्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 33 प्रतिशत अथवा 10.00 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षों तक मान्य होगा।

(2) मार्जिन मनी – लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(3) पात्रता – उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी हो, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिवर्तन करना अनिवार्य,

(4) चयन – शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

(5) आवेदन प्रक्रिया – आवेदन पत्र कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल एवं पर्यटक सूचना केन्द्र काठगोदाम से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होता है, आवेदन दो प्रतियों में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रपत्र कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो।
- उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- योजना का आगणन एवं मानचित्र

क्र. सं०	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दीनदयाल आवास विकास योजना (होम स्टे)										
	चयनित उद्यमी	2018-19	संख्या	19	33	35	0	08	09	104

4- उत्तराखण्ड अतिथि गृह आवास पंजीकरण योजना – अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास पंजीकरण योजना का उद्देश्य विदेशी व देशी पर्यटकों के लिए एक साफ व किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने व उनकी संस्कृति का अनुभव व उनकी परम्पराओं को समझने तथा उत्तराखण्डी व्यंजनों के सुस्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत आवासीय इकाई को तीन श्रेणियों में पंजीकरण किया जाता है:-

- गोल्ड
- सिल्वर
- ब्रॉन्ज

भवन स्वामी के भवन का पंजीकरण 2 वर्षों के लिये गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज श्रेणी में भवन में पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति का आंकलन करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑन लाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेब साईट www.uttarakhandtourism.net.in में आवेदन किया जाना होता है।

योजना के लाभ:-

- पंजीकृत भवन स्वामियों को आथित्य सत्कार का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विद्युत, पानी एवं भवन कर अव्यावसायिक दरों पर वसूली जायंगी।
- प्रथम तीन वर्षों तक अर्जित आय पर एसजीएसटी की छूट।

- पंजीकृत ईकाईयों का प्रचार-प्रसार उत्तराखण्ड पर्यटन की वेब साईट से किया जा रहा है तथा इसके लिये पृथक से मोबाईल एप भी विकसित की जायेगी।

क्र. सं०	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
उत्तराखण्ड अतिथि गृह आवास योजना										
1	पंजीकृत इकाई	2018-19	संख्या	83	149	149	03	29	06	419

5. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण :-

इस नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण हेतु जनपद में अवस्थित पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित इकाईयां यथा- होटल/मोटल/गेस्ट हाउस/ टैन्ट कालोनी/आश्रम/धर्मशाला/कैरावैन/हाउस बोट/रैस्टोरेन्ट/कैफे/बेकरी/बार/फूडट्रक/ ट्रेवल ऐजेन्सी/टूर आपरेटर/एम्यूजमेंट पार्क/रोप-वे संचालन/साहसिक खेल गतिविधियों के संचालक/ योग-ध्यान केन्द्र/टाइम शेयर अर्पाटमेंट अन्य पर्यटन सम्बन्धी इकाईयां का ऑन लाईन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु विभागीय वेब साईट www.uttarakhandtourism.net.in में आवेदन किया जाना होता है।

6-पर्यटक स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण – जनपद नैनीताल में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र वित्त पोषित योजना एवं वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं के निम्नांकित कार्य किये जाते हैं:-

- पर्यटक स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
- नये पर्यटक स्थलों चयन विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
- पर्यटक पार्कों का सौन्दर्यीकरण।
- ट्रेक रूट का विकास एवं सुधार
- आधुनिक सुविधायुक्त शौचालयों का निर्माण
- पर्यटक सूचनापटों की स्थापना
- पर्यटन साहित्य व मानचित्र का प्रकाशन
- पर्यटक आवास गृहों का निर्माण।
- होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना
- सांस्कृतिक धरोहरों का सौन्दर्यीकरण व विकास
- झीलों का पर्यटन विकास
- यात्रा मार्गों का सुधार

7- साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने सम्बन्धी गतिविधियां – जनपद नैनीताल में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों के विकास की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र वित्त पोषित योजना एवं वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं के निम्नांकित कार्य किये जाते हैं:-

- पैराग्लाइडिंग
- ट्रेकिंग
- वाटर स्पोर्ट्स
- सर्च एवं रेस्क्यू कोर्स
- माउन्टेन बाईकिंग
- पर्वतारोहण बेसिक कोर्स

- अन्य साहसिक पर्यटन गतिविधियां

8— सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन:— सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नांकित आयोजन किये जाते हैं:—

- विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन
- पर्यटन पर्व का आयोजन
- विन्टर कार्निवाल का आयोजन

9— 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत मुक्तेश्वर क्षेत्र का विकास :-

13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में मुक्तेश्वर को हिमालय दर्शन थीम बेस्ड आधारित नये पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ प्रस्तावित हैं:—

- मुक्तेश्वर महादेव मंदिर मार्ग का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण
- हिमालय दर्शन व्यू प्वाइंट
- चौली की जॉली मार्ग का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य
- मुक्तेश्वर क्षेत्र में यथा स्थान पार्किंग एवं शौचालय का निर्माण
- भालूगाड़ जलप्रपात का सौन्दर्यीकरण,मार्ग सुधार
- रामगढ़ में टैगोर टॉप मार्ग का सुधार
- रामगढ़ में स्थित राजकीय उद्यान को मॉडल फार्म टूरिज्म सेन्टर के रूप में विकास
- मुक्तेश्वर क्षेत्र में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण

अध्याय – 16

शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के चहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायूँ मण्डल में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	जनपद	पुरुष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.1
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
योग मण्डल		87.36	69.61	78.52

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल (31 मार्च 2018 तक) में **7083** प्राथमिक स्कूल **1892** सीनियर बेसिक स्कूल **1558** हाईयर सैकेन्ड्री स्कूल है।

प्रारम्भिक शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के बहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

कुमाऊँ मण्डल (31 मार्च 2019 तक) के जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

प्राथमिक स्कूल क्रमशः शासकीय

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
1289	565	487	952	1054	792

उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमशः शासकीय

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
174	112	93	217	217	202

प्राथमिक शिक्षा :- प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सम्वर्धनात्मक शिक्षण, सी०सी०ई०, कम्प्यूटर शिक्षा एवं नवाचारी कार्यक्रम द्वारा रुचिकर शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को सशक्त करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये। वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद में निम्नानुसार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
4909	1820	3006	6986	5007	20111

क्रीड़ा क्षेत्र की उपलब्धियाँ- वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद में निम्नानुसार छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया।

क्रीड़ा प्रतियोगिता	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
स्वर्ण पदक	02	04	03	142	01	45
रजत पदक	01	01	02	173	02	03
कांस्य पदक	0	02	03	192	0	25

वर्ष 2018-19 राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में निम्नानुसार प्रतिभाग किया गया।

क्रीड़ा प्रतियोगिता	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
स्वर्ण पदक	0	0	0	0	0	0
रजत पदक	0	0	0	05	0	0
कांस्य पदक	0	0	0	0	0	0

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :- समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक एवं राजकीय व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/स्कूलों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं

को सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में कुमाँऊ मण्डल के जनपद में निम्नानुसार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(व्यय धनराशि लाख रू० में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
142.95	51.29	71.15	130.62	104.41	174.25

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
44463	20799	22522	41568	32820	108681

निःशुल्क गणवेश वितरण :- समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक की समस्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी०पी०एल० वर्ग के बालिकाओं एवं बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क गणवेश का वितरण विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया गया। वर्ष 2018-19 में कुमाँऊ मण्डल के जनपद में निम्नानुसार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। (व्यय धनराशि लाख रू० में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़	उ०सि०न०
241.71	124.79	133.81	309.21	1194.91	529.83

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
40285	20799	22302	51535	32486	88305

समावेशित शिक्षा :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु बच्चों के उचित चिहनांकन हेतु चिकित्सा विभाग के अभिकर्मियों, एल्मिको कानपुर के सहयोग से परीक्षण व उपकरण वितरण शिविर आयोजित किये गये। चयनित बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सहायता उपकरण वितरित किये गये। वर्ष 2018-19 में कुमाँऊ मण्डल के जनपदवार निम्नानुसार बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, को एस्कोर्ट सुविधा प्रदत्त की गयी।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
108	40	41	78	54	204

निम्नानुसार बच्चों को विकलांगता प्रमाण प्रदत्त -

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
07	06	12	16	03	45

निम्नानुसार बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किये गये।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
33	24	35	53	32	39

(व्यय धनराशि लाख रू० में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
10.80	7.20	6.90	11.75	11.08	17.13

अध्यापक प्रशिक्षण :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कौशल विकास हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके अन्तर्गत कुमाँऊ मण्डल के जनपदों में क्रमश

1. कक्षा 1 से 8 तक क्रमश अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
2036	1043	1162	1981	1940	1880

2. उक्त मद में निम्नानुसार की धनराशि व्यय की गयी।(व्यय धनराशि लाख रू० में)

10.18	14.21	44.2	21.92	75.00	94.00
-------	-------	------	-------	-------	-------

मध्याह्न भोजन :- कुमाऊँ मण्डल के राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त प्राथमिक, सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, विद्यालयों में निम्नानुसार मध्याह्न भोजन योजना संचालित है।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़	उ०सि०न०
1797	683	686	1406	1501	1275

इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों के पोषण हेतु भोजनमाता की सहायता से भोजन तैयार कर विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वितरित किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में निम्नानुसार किचन कम स्टोर रूम वितरित किये जा चुके हैं।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
1722	527	673	1318	1428	1108

योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को रू० 5000 की दर से बर्तन क्रय करने एवं भोजनमाताओं के लिए एप्रन व बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन क्रय करने हेतु आकस्मिक व्यय के रूप में रू० 1000 की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जा चुके हैं।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़	उ०सि०न०
87	420	32	28	732	183

जिनमें पैदा की गई सब्जियां विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस को समस्त विद्यालयों में सामूहिक जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा किया जाता है जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व संदर्भित बच्चों को बीमारियों के अनुरूप दवाएं बाँटी जाती है। (व्यय धनराशि लाख रू० में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
1216.79	585.30	333.98	1412.19	804.40	1985.99

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :- कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति तथा बी०पी०एल० परिवार की ऐसी छात्राएं जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई हैं, को निःशुल्क शिक्षा, आवास, पठन सामग्री, वेशभूषा, भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। (व्यय धनराशि लाख रू० में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
550.03	52.36	174.21	48.98	54.13	57.8

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत के.जी.बी.वी. हेतु वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल में छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
176	130	150	130	150	150

एम.आई.एस.:- परियोजना के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों से सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सूचना प्रणाली तंत्र विकसित किया गया है जिसमें विद्यालयों से न्यूपा नई दिल्ली द्वारा तैयार यू-डायस साफ्टवेयर से डी.सी.एफ. प्रपत्र प्रिंट कर उसमें सूचनाएं प्राप्त कर संकलन के उपरान्त डाटा फीड कर सम्पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित की जाती है। विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संकलन उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। यू-डायस के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान :- संस्थान के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें डी०एल०एड० प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में स्वीकृत सीटों

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
50	50	-	50	100 50 सीटे चम्पावत की भी संचालित है	50

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष भर्ती

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
40	44	—	44	77 44 सीटे चम्पावत की भी संचालित।	41

सर्व शिक्षा अभियान, विशिष्ट प्रशिक्षण:- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिए 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय तक पहुंच एवं विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया। इस हेतु बालगणना, शालात्यागी बच्चों का चिन्हांकन एवं स्कूल चलो अभियान आदि कार्यक्रम संचालित किये गये। कुमाऊँ मण्डल में निम्नानुसार बच्चों को चिन्हित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
55	45	66	232	54	65

कुमाऊँ मण्डल में निम्नानुसार कुल चिन्हित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
54	40	62	176	52	60

नवाचारी शिक्षा:- नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए गए-

- राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम:- माननीय प्रधानमन्त्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय, संकुल, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर स्वच्छ विद्यालय अभियान आयोजित किया गया। इसी क्रम में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद 19 विद्यालयों का चयन कर पुरस्कृत किया गया।

बालिका शिक्षा :- बालिका शिक्षा क्षेत्र में जागरूकता हेतु सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अन्तर्गत कलैण्डर, पोस्टर, नुक्कड़-नाटकों, हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम (24 जनवरी) के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये इस वर्ष अनेक कार्यक्रम जैसे आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, माँ-बेटी मेला, सपनों की उड़ान, एवं किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर कुमाऊँ मण्डल में निम्नानुसार छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ०सि०न०
519	215	270	1045	872	962

समावेशित शिक्षा:- समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु कुमाऊँ मण्डल के जनपद कुमाऊँ मण्डल के जनपद क्रमशः अल्मोड़ा बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर शिविर आयोजित किये गये।

02	02	03	02	03	04
----	----	----	----	----	----

जनपद क्रमशः अल्मोड़ा बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर शिविर आयोजित कर छात्रों को लाभान्वित किया गया।

40	27	35	57	32	54
----	----	----	----	----	----

प्राविधिक शिक्षा विभाग

कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु क्रमशः 05, 08, 09, 03, 03, 05 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान क्रमशः 03, 0, 0, 02, 0, 07 निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थान क्रमशः 0, 0, 02, 0, 0, 0 अल्मोड़ा में महिला पॉलीटेक्निक संचालित है। महिला पॉलीटेक्निक में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवेश हेतु वर्तमान में प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स

(JEEP) आयोजित की जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स (JEEP) के माध्यम से मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसिलिंग के उपरान्त संस्थान आवंटित किया जाता है।

उपरोक्त सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमन्त्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से इस वर्ष लगभग 30 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा बजाज ऑटो सिडकुल रूद्रपुर, टाटा माटर्स रूद्रपुर, सैमसंग नोइडा, स्पाइसर इंडिया, शिनाईजर इलैक्ट्रीक सिडकुल रूद्रपुर, माईक्रोमैक्स सिडकुल कम्पनी, भगवती परो लि0, टेक्सट्रोन टेक्नोलॉजी लि0 लखनऊ, जिन्दल स्टील एण्ड पावर हरियाणा, आनन्द ग्रुप ऑफ कम्पनी चेन्नई, कैवेन्डिस इंडस्ट्रीज हरिद्वार, आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवायोजन इकाई के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।

कुमाऊं मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु पॉलीटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2018-19 में विभिन्न ब्राचों में क्रमशः 2979 सीटों के विपरीत क्रमशः 1837 विद्यार्थी भर्ती/अध्ययनरत् है।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पुनर्रक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क बलगम की जाँच व सम्पूर्ण अवधि की औषधियों की आपूर्ति की जाती है। इस कार्यक्रम में मरीजों को औषधियों डाट्स प्रोवाइडर द्वारा अपने सामने ही खिलाई जाती है। मरीजों को औषधिया खिलाने की इस पद्धति को **Directly Observed Treatment Short Course** (डाट्स) कहते हैं।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 9556, 2942, 2806, 1480, 1443, 8757 कुल 26984 मरीजों को देखा गया एवं क्रमशः 1574, 369, 435, 128, 145, 935 मरीज धनात्मक पाये गये तथा कुल 3586 मरीजों का उपचार किया गया ।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0बी0डी0पी0) एन0वी0बी0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया,कालाजार, जापानीज इन्सफलाइटिस बीमारियों का नियंत्रण एवं इलाज किया जाता है। इससे सम्बन्धित जाँचें व उपचार निः शुल्क किया जाता है। मलेरिया तथा डेंगू की जाँचों के लिए निकटतम चिकित्सा इकाई व आशा तथा ए0एन0एम0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 28039 4105, 19379, 4170, 3068, 28025 रक्त पट्टिका एकत्रित कर क्रमशः नैनीताल में 112 पिथौरागढ़ 0, अल्मोड़ा में 01, चम्पावत 23, बागेश्वर -0, उधमसिंहनगर में 45, मरीज मलेरिया धनात्मक पाये जिनका निःशुल्क उपचार किया गया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों की टीम द्वारा समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, किशोर व किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा आर0बी0एस0के0स्तरीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। भ्रमण करने वाली चिकित्सकों की टीम द्वारा किसी रोग से ग्रसित बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रा0स्वा0केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उच्चिकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चिकृत चिकित्सालयों में भेजने, चिकित्सा उपचार व वहाँ से वापस लाने की सुविधा निः शुल्क की जाती है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 163532, 81183, .121985, 51815, 58974, 434378 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्रमशः 163, 46, 101, 243, 71, 307 गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चिकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा गया।

राष्ट्रीय अन्धता उन्मूलन कार्यक्रम (एन0बी0सी0पी0) :- राष्ट्रीय अन्धता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निः शुल्क मोतिया बिन्दु के आपरेशन लेंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तथा विद्यालयों में आँखों की जाँच करने के पश्चात् बच्चों को निकटतम सामु0स्वा0केन्द्र व जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार निः शुल्क चश्मों का वितरण भी किया जाता है। 60 वर्ष के ऊपर आयु के बृद्धों को भी आवश्यकतानुसार निः शुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 5120, 1200, 3837, 1074, 481, 2071 मोतिया बिन्दु के आपरेशन किये गये।

जननी सुरक्षा योजना(जे0एस0वाई.) :- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराने व प्रसव के 48 घण्टे संस्थान में रुकने के बाद रू0 1400(ग्रामीण)व 1000 (शहरी)का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को रू0 500 पोषण हेतु गर्भावस्था के 7 वे महीने में सम्बन्धित क्षेत्र की ए0एन0एम0 के माध्यम से दिये जाते हैं।

वर्ष 2018-19 में कुमाँउ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः 8474, 5182, .4939, 1787, 2695, 14317 महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया गया ।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) :- इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर प्रसव के बाद 42 दिनों तक तथा नवजात शिशु के 1 वर्ष पूरा होने तक समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें व चिकित्सालय तक आवागमन की व्यवस्था निः शुल्क प्रदान की जाती है। खुशियों की सवारी के माध्यम से प्रसव के दौरान व प्रसवोपरान्त महिला को चिकित्सालय से घर छोड़ने की व्यवस्था व 108 एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय तक लाने की सुविधा उपलब्ध है। गर्भवती भ्रूण की सही स्थिति व वृद्धि की निगरानी हेतु 04 जाँचें ए0एन0एम0 की जाती है। जाँच में ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा हिमोग्लोबिन, ब्लडप्रेसर, पेशाब की जाँच व आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड भी कराया जाता है तथा इसी के अनुसार सलाह व ईलाज किया जाता है, प्रत्येक महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं/ए0एन0एम0 द्वारा संस्थागत प्रसव के मामलों में 06 गृह भ्रमण व घर पर प्रसव होने पर 07 गृह भ्रमण किये जाते हैं। इस भ्रमण में मातृ शिशु स्वास्थ्य में कोई जटिलता पाये जाने पर निकटवर्ती चिकित्सा ईकाईयों में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराई जाती है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः . 17060, 5132, 4939, 12333, 2695, 18504 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :- किशोर एवं किशोरियों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में जानकारीयों शरीर से सम्बन्धित मुद्दों पोषण विकास व स्वच्छता की जानकारी एवं क्लिनिकल तथा काउंसिलिंग के रूप में परामर्श दिये जाने हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल-750 एव ऊधमसिंह नगर 450 ग्रामों में किशोर एवं किशोरियों के समूह बनाकर आपस में बैठकों के माध्यम से किशोर/किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर चिकित्साधिकारियों, ए0एन0एम0, आशा, आगनबाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से परामर्श दिये जाने का कार्य किया गया। सामु0 स्वा0 केन्द्र में किशोर/किशोरियों में शारीरिक मानसिक समस्याओं के चिकित्सीय निदान हेतु ए0एफ0सी0सी0(एडोलसेन्ट फ़ैन्डली काउन्सिलिंग क्लिनिक) स्थापित किये गये हैं, जिसमें चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का चिकित्सीय निदान/परामर्श प्रदान किया जाता है।

फेमिली प्लानिंग इन्डोमिनिटी स्कीम :- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल नसबन्दी, शारीरिक जटिलतायें अथवा मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी/प्रार्थी को उक्त प्रकरण के 90 दिनों के अन्तर्गत दावा करने पर क्षति पूर्ति के रूप में रू0 30000 से रू0 2 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है, क्षति पूर्ति हेतु आवेदन सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नसबन्दी के कारण मृत्यु होने पर (अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु होने में भी देय) या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 07 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 2.00 लाख. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 08 से 30 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 0.50 लाख, असफल नसबन्दी होने पर रू0 0.30 लाख प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः जनपद नैनीताल में 0.30 जनपद चम्पावत 1.20, जनपद उधमसिंहनगर में 0.30 लाख क्षति पूर्ति के रूप में व्यय किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10000 अथवा केन्द्र द्वारा निर्धारित धनराशि आशा तथा ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य के संयुक्त खाते के द्वारा खर्च की जा सकती है, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिये तथा समिति के अध्यक्ष ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य होती है। वी0एच0एस0एन0सी0 की सदस्य सचिव और संयोजन ग्राम की आशा होती है, ग्राम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग समिति के सहमति की दशा में ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण हेतु किया जा सकता है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में 11.80, पिथौरागढ़ 105.80, अल्मोड़ा 189.42, चम्पावत में 40.05, बागेश्वर में 80.07, ऊधमसिंह नगर में 64.00 लाख खर्च किया गया।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

वर्ष 2018-19 में चयनित कुमाऊँ मण्डल के, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 3332, 7658 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 4.15, 9.57 लाख खर्च किया गया।

ई0एम0आर0आई0 108आकस्मिकता में : ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही है। जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के साथ-साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। 108 सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु पहुँचाने में विशेष सहायता मिली है।

वर्ष 2018-1 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 13, 10, 12, 5, 5, 8.वाहनों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

आयुष्मान भारत – अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना –

23 सितम्बर 2018 से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुमारम्भ (परपरिवारो को रू0 5 लाख) तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होना है –

पात्र परिवार –सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2001 की श्रेणी के अनुसार।

दिनांक 25 दिसम्बर 2018 से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त परिवारो को रू0 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाना है।

पात्र परिवार– अ– सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2011 की श्रेणी।

ब– मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्डधारक।

स– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट रासन कार्डधारक।

(परिवार के किसी सदस्य का बोटर आई डी 2012 की सूची में नाम अनिवार्य)

समस्त परिवार अपने निकटतम राजकीय चिकित्सालय (सी0एच0सी0लेवल व ऊपर के) में मुफ्त में व कामन सर्विस सर्विस सेंटर में रू0 30 में पंजीकरण कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज– पीएमलेटर(एस ई सी सी) /राशनकार्ड (एन0एफ एस ए)/आर एस बी वाईकार्ड/सी एम लेटर बोटर लिस्ट 2012 में नाम अनिवार्य

आई0पी0डी0 में 1350 बीमारिया कवर है (इदय रोग/हड्डी रोग/कैंसर/सर्जरी/न्यूरोसर्जरी/व अन्य)

ओ0पी0डी0 में 105 प्रकार की बीमारियो हेतु डे केयर सुविधा उपलब्ध।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद में क्रमशः नैनीताल में 31-3-2019 तक कुल कार्ड की संख्या 1,50,208, जनपद पिथौरागढ़ में 19278, जनपद अल्मोड़ा में 23487 जनपद चम्पावत में 71267 जनपद बागेश्वर 65412 में जनपद उधमसिंहनगर 484321 कार्ड बनाये गये हैं

अर्बन स्वास्थ्य कार्यक्रम– मलिन बस्तियों हेतु एन.एच.एम. के अन्तर्गत अर्बन हैल्थ सेन्टरों की स्थापना की गयी है, जिसमें मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं शिशुओं को टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम/परिवार कल्याण/ओ0पी0डी0/ जाँच आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में 5 में, पीएचसी संचालित की गयी।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994– कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का प्रत्येक 90 दिनों में निरीक्षण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लगातार शिविर आयोजित कर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनता को जागरूक किया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर कमियां पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है, परिणामस्वरूप लिंगानुपात में वृद्धि है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है।

प्रतिरक्षण :-पैन्टावैलेन्ट वैक्सीन से 05 जानलेवा बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है तथा पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है जो कि निः शुल्क उपलब्ध है।

बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने हेतु नियमित प्रतिरक्षण के अलावा विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह व आउटरीच सेसन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में आशा के द्वारा किसी भी 0-5 वर्ष के बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण कराने पर 150.00 ₹ दिया जाता है। वर्ष 2018- 19 में कुमौऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः 16899, 7239, 7597, 4390, 3942, 33891 बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कर क्रमशः ₹ 73.32, 64.14, 11.02, 26.242.75, 83.59 लाख व्यय किया गया।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों की रोकथाम करने हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तन्त्र की स्थापना की गयी है, किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

ब्लड बैंक- वर्तमान में कुमौऊ मण्डल के जनपद नैनीताल में बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर रक्तकोष की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग क्रमशः 13704, 3061, 1149, 76 240, 11434 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष एकत्र किया गया है। रक्त अवयव (कम्पोनेन्ट) की सुविधा सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी एवं एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर उधमसिंहनगर में उपलब्ध है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :- जनपदों में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0टी0सी0 एवं ए0आर0टी0 केन्द्रों की स्थापना की गयी है व काउन्सलरों के माध्यम से एड्स नियंत्रण सम्बन्धित परामर्श के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत मण्डल में कुल 340 रोगियों का ए0आर0टी0 केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।

एस0एस0बी0- राष्ट्र की सीमा पर तैनात हमारे जॉबाज एस0एस0बी0 द्वारा टनकपुर क्षेत्र में स्वयं का अस्पताल चलाया जा रहा है। एन0एच0पी0सी0- जनपद चम्पावत के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले टनकपुर क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पॉवर करपोरेशन का अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है।

जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई(एफ0आर0यू0)- वर्ष 2018- 19 में कुमौऊ मण्डल के जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) में 19 इकाईयां कार्यरत हैं, जहाँ पर प्रसव की सुविधायें उपलब्ध है।

खुशियों की सवारी- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2017- 18 में कुमाउ मण्डल के जनपदों में खुशियों की सवारी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमश - 9, 9, 8, 3, 3, 8 वाहन है।

अन्टाइड फण्ड- चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्टाइड फण्ड प्रदान किया जाता है जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपकरण आदि के लिये दिया जाता है जो चिकित्सालय की उपलब्धि के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रतिरक्षण	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	नैनीताल	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत
गर्भवती माताओं का पंजीकरण	10838	6913	18390	39972	3912	4457
प्रतिरक्षण	7597	7239	16899	33891	3942	4390
परिवार कल्याण	640	705	1317	1286	448	530
पुरुष नसबन्दी	52	10	29	19	31	3
महिला नसबन्दी	588	695	1288	1267	417	527
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	9706	5196	6312	7658	3332	2747
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की संख्या	121985	81183	163532	434378	58974	51815

अध्याय – 18

बाल विकास

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में 6024 पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2265 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

पंजीकृत लाभार्थी विवरण – बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में जन्म माह से 3 वर्ष के बच्चे 227303, 3 से 6 वर्ष के बच्चे 100305, गर्भवती महिलायें 35511, धात्री महिलायें 37745 तथा किशोरी बालिकाएं 28704 पंजीकृत है।

अनुपूरक पोषाहार – अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को कुकड फूड योजनान्तर्गत प्रतिदिन ताजा पका भोजन खिलाया जाता है। गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत टेक होम राशन योजनान्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है साथ ही टी0एच0आर0 का वितरण भी किया जाता है।

टी0एच0आर0 सामग्री

लाभार्थी वर्ग	सामग्री	मात्रा
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दाले/मूंग दाल/काला भट्ट अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम

गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल अथवा मूंग दाल/स्थानीय दालें /काला भट्ट	1.50 किलो 900 ग्राम
	मडुआ का आटा	2.00 किलो
	नमक	1 पैकेट
	गुड/चीनी अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम

अति कुपोषित बच्चों हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दाले/मूंग दाल अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
	अण्डे अथवा फल (सेब, खुमानी, सन्तरा आदि) बादाम अथवा अखरोट	10 अण्डे (सप्ताह में दो बार)

जनपद में कुकडफूड योजना अन्तर्गत आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा पोषक आहार (नाश्ता-भोजन)

मार्च से नवम्बर तक का समय

क्र० सं०	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना	दाल-चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा अथवा सूजी)	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना	खिचड़ी

दिसम्बर से फरवरी तक

क्र०सं०	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना गुड़ के साथ	दाल-चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा एवं बेसन मिक्स अथवा सूजी) मिठास में गुड़ का उपयोग	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली गुड़ के साथ	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना गुड़ के साथ	खिचड़ी

कुकड फूड/टेक होम राशन योजनान्तर्गत निम्न निर्धारित वित्तीय मानक अन्तर्गत माह में (25 दिन) हेतु।

धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है-

- 6 माह से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चें हेतु – ₹0 200.00
- 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – ₹0 200.00
- गर्भवती एवं धात्री महिला हेतु – ₹0 237.00
- अति कुपोषित बच्चों हेतु – ₹0 300.00

नन्दा देवी योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान'-

- बी०पी०एल० परिवार की 02 कन्याओं हेतु संचालित।
- लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि- ₹0 15000.00
- प्रथम किश्त- ₹0 5000.00 (आवेदन पर स्वीकृति पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान)।

- शेष रू0 10000.00 की लाभार्थी व माता के नाम 10 वर्ष हेतु संयुक्त एफ0डी0 ।
- द्वितीय किश्त- रू0 5000.00 का कन्या के 10 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर खाते में भुगतान ।
- तृतीय किश्त- कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान। अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने व अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी ।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में कुल रू0 18280000 लाख धनराशि व्यय कर कुल 6153 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपदवार विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रू0 लाख में)
अल्मोड़ा	6029	17660000
चंपावत	124	620000
कुल योग	6153	18280000

‘सबला योजना’ –

योजना का आरंभ – भारत सरकार की यह योजना राज्य के 4 जनपद नैनीताल, हरिद्वार, चमोली एवं उत्तरकाशी में यह योजना वर्ष 2009-10 में लागू हुयी थी।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक / अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारमें सूचना / मार्गदर्शन प्रदान करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में 47302 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

‘किशोरी शक्ति योजना’ –

योजना का आरंभ – भारत सरकार की यह योजना राज्य के 9 जनपद (सबला योजना से अनाच्छादित जनपद) में यह योजना वर्ष 2009-10 में लागू है।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिये प्रेरित करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 5,50,000 व्यय कर कुल 280 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रू0 में)
अल्मोड़ा	220	220000
चंपावत	20	110000
ऊधमसिंहनगर	40	220000
कुल योग	280	5,50,000

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना – भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो समस्त जनपदों में 1 जनवरी, 2017 से लागू की गई है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को पंजीकृत कर समस्त स्वास्थ्य जांच के लाभ प्रदान करना है, ताकि स्वस्थ माता एक एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 38,81,000.00 धनराशि व्यय कर कुल 16547 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

नन्दा गौरा योजना – महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर “ नन्दा गौरा योजना ” आरम्भ की गयी है। जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से धनराशि का वितरण किया जायेगा:-

चरण	धनराशि (रू0 में)
प्रथम –जन्म के समय	5000.00
द्वितीय- एक वर्ष पूर्ण होने पर	5000.00
तृतीय-8 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
चतुर्थ- 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
पॉचवीं –12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
छठी-डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण करने पर	10000.00
सतवीं – विवाह के समय	16000.00

वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 224,30,000 लाख धनराशि व्यय कर कुल 5701 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय-19

ग्राम्य विकास

महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (केन्द्र पोषित योजना)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रदेश में 2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ हुई। प्रथम चरण 2006-07 में तीन जनपद चमोली, चम्पावत एवं टिहरी, द्वितीय चरण 2007-08 में दो जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर तथा तृतीय चरण 2008-09 में प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 75:25 है।

योजना का उद्देश्य

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारन्टी।
- निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।
- सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

योजना का क्रियान्वयन :

- ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवारों का पंजीकरण।
- पंजीकृत परिवारों को निःशुल्क जॉब कार्ड का वितरण।
- पंजीकृत श्रमिकों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवेदनकर्ता की मांग पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
- कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य की मांग की अनिवार्यता।
- 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से।
- परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा।
- भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रैल 2019 से ₹0 184/- निर्धारित।
- मजदूरी भुगतान खातों के माध्यम से NEFMS (National Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) (केन्द्र पोषित योजना)

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया करवाना है। उस समय तक उनका पोषण और संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से ऊपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।
- एन.आर.एल.एम. में विभिन्न स्तरों पर अपनी समर्पित संवेदनशील सहायक संरचनाओं और संगठनों के जरिये सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये उनकी क्षमताओं, आर्थिक स्थिति एवं स्वप्रबन्धित आत्मविश्वासी संगठनों का निर्माण करके नौकरियों में नियोजन के जरिये तथा उन्हें लाभप्रद स्वरोजगार तथा उद्यमियों में नियोजित करते हुये गरीबी से उबारने का प्रयास करता है। धीरे-धीरे निर्धनों की ये संस्थायें अपने सदस्यों के जीवन, आजीविका और भाग्य का जिम्मा स्वयं ही उठाने लगेंगे।

मिशन, सिद्धांत और नैतिक मूल्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्य रूप से यह धारणा निहित है कि निर्धनों में गरीबी से उभरने की तीव्र इच्छा एवं क्षमता है और वे उद्यमी हैं। इस प्रक्रिया का पहला कदम उन्हें स्वयं को संगठित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके लिये एक संवेदनशील और समर्पित वाह्य समर्थन तंत्र जरूरी है, जो निरन्तर उन्हें सामाजिक गतिशीलता, आजीविका प्रबन्धन एवं संस्थान निर्माण में सहायता देता रहे।

- गरीबों के ये संगठन उन्हें और अधिक अधिकार संपन्न बनाने, अपने मानवीय, सामाजिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक संसाधनों से सम्पन्न बनाने में मददगार साबित होते हैं। इससे उन्हें सार्वजनिक एवं निजी तौर पर उपलब्ध सेवाओं, अधिकारों, हक-हकूकों, आजीविका के अवसरों तक पहुंच सम्भव हो पाती है। साथ ही उन्हें उपलब्ध संसाधनों और अपनी रूचि के अनुरूप ऐसे रोजगार के अवसरों को चुनने का मौका उपलब्ध कराते हैं जिससे वे सदा के लिये गरीबी से अवमुक्त हो सकें।
- गरीबी उन्मूलन हेतु नितान्त क्षेत्रीय आधार पर निर्धनों को सशक्त एवं स्थाई संस्थाओं के माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार एवं उच्च कौशलयुक्त रोजगार के अवसरों हेतु समर्थ बनाना जिससे उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त हो सकें।

दीन दयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) एन0आर0एल0एम0 के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में एन0आर0एल0एम0 के उपघटक के रूप में संचालित कौशल विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

योजना का उद्देश्य— इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित गरीब परिवारों के 15 वर्ष से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक कोर्स में प्रशिक्षण देकर न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक की नियमित मासिक आय वाले स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे युवाओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण अवधि— चयनित कोर्स में प्रशिक्षुओं की अभिरूचि तथा योग्यतानुसार कम से कम 3 माह से लेकर 6 माह, 09 माह तथा अधिकतम 12 माह का आवासीय/गैरआवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार के लिए योग्य बन जायें। यह परियोजना प्रशिक्षुओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है।

प्रशिक्षण की विशेषताएं :

- परियोजना में प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की है। यह पाठ्यक्रम के चयन पर निर्भर करता है।
- प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं को भोजन एवं आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पहने जाने वाले परिधान, पुस्तकें, रजिस्टर, कलम इत्यादि भी प्रशिक्षण केंद्र पर निःशुल्क दिये जाते हैं।
- प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) आदि का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
- उच्च स्तर के प्रशिक्षण के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण सामग्री को एंड्रॉयड टेबलेट में भी उपलब्ध कराया जाता है जिसका उपयोग प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में करते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबर्न मिशन— श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबर्न मिशन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये गांवों के कलस्टर को "रूबर्न गांवों" के रूप में विकसित करना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

- इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बनाये रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और योजनावद्ध तरीके से रूबर्न कलस्टरों का सृजन करना है।
- श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबर्न मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन चरणों में कुल 06 कलस्टर चयनित किये गये हैं।
- प्रथम चरण में चयनित रूबर्न मिशन के तहत जनपद हरिद्वार के भगतनपुर—आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के अदूरवाला कलस्टर का चयन फेस-1 में किया गया है।
- द्वितीय फेस में जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौली कलस्टर का चयन किया गया है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 52.78 करोड़ की धनराशि की समेकित कलस्टर कार्ययोजना पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। द्वितीय फेस में चयनित जनपद नैनताल के नौकुचियाताल कलस्टर की चयनित ग्राम पंचायत नगर पालिका में आने से समेकित कलस्टर कार्ययोजना तैयार करना सम्भव नहीं था। जिसके

स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर का चयन करते हुए स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

- तृतीय चरण के दो नये कलस्टरों क्रमशः जनपद उ0सि0नगर के पहेनिया तथा जनपद बागेश्वर के कौसानी कलस्टर की समेकित कलस्टर कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केन्द्र पोषित योजना)

- जनवरी 1996 से इन्दिरा आवास योजना एक स्वतन्त्र योजना बना दी गयी थी. इन्दिरा आवास योजना को 1.4.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।
- योजना का उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना।
- बड़े (न्यूनतम 25 वर्ग मीटर) टिकाऊ और आपदारोधी आवास बनाना।
- आवासों में स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिये रसोई स्थान तथा शौचालय बनाना।
- आवास निर्माण हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायता (रु. 75 हजार से बढ़कर रु. 1.30 लाख)।
- प्रति परिवार शौचालय निर्माण के लिए 12000/-रुपये तथा गृह निर्माण के लिये मनरेगा योजना से 95 श्रम दिवस की अतिरिक्त सहायता।
- SECC-2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन।
- आवास साफ्ट एवं पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान करना।
- योजना के क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग हेतु मोबाईल ऐप की अनिवार्यता. लाभार्थी को स्थानीय रूप से उचित एवं उपयोगी आवास डिजाइन चुनने का विकल्प।
- आवासों की गुणवत्ता सुधार एवं दक्षता हेतु मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
- इच्छुक लाभार्थियों को रु 70.00 हजार तक संस्थागत ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्र पोषित योजना)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।
- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत समस्त असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु योजना की अवधि वर्ष 2022 से वर्ष 2019 किये जाने के आलोक में योजना के अवशेष लक्ष्यों में से 2000 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण कर 200 बसावटों को संयोजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजनान्तर्गत मार्गों के निर्माण हेतु नियोजन चरण में समरेखण में आने वाली निजी भूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं 50 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु आनुपातिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा मार्गों के पूर्ण होने के पश्चात् उनके अनुरक्षण पर होने वाला व्यय भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है।

सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.) (केन्द्र पोषित योजना)

- उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) वित्तीय वर्ष 2001 से लागू है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पांच जनपद यथा चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़ के 9 विकासखण्ड (क्रमशः जोशीमठ, लोहाघाट, चम्पावत, भटवाड़ी, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना, मूनाकोट) में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) संचालित किया जा रहा है। सीमान्त क्षेत्र में आवासित जनमानस के लिए योजनान्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना सृजन, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्र, खेलकूद आदि क्षेत्रों में विकासोन्मुख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

बायोगैस कार्यक्रम (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित)

- पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से योजना संचालित है बायोगैस योजना शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास 5 से 10 तक बड़े पशु हों योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हेतु पात्र है। राज्य के सभी क्षेत्रों हेतु 1 घनमीटर आकार तक के संयंत्रों पर रु0 7000, 2 से 6 घन मीटर तक के संयंत्रों पर रु0 11000 अनुदान देय है तथा टर्न की एजेण्ट को बायोगैस निर्माण व तीन वर्ष तक देखरेख के लिये प्रति संयंत्र रु0 1500 देय है।

दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना (शतप्रतिशत राज्य पोषित)

- भारत निर्माण कार्यक्रम में वर्ष 2008-09 तक ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासविहीन/कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा **25 सितम्बर 2007** से **“दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना”** के नाम से राज्य पोषित योजना प्रारम्भ की गई है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे आवास विहीन/ कच्चे आवासों वाले परिवारों के नये पक्के आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। बी.पी.एल. में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हों को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगना अधिकारी द्वारा संयुक्त परीक्षण के साथ साथ वार्षिक आय रु. 21000/- से न्यून आय प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत हो, ऐसे ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।
- योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति, मुक्त बंधुवा मजदूरों के सदस्यों तथा सामान्य जाति के लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता देकर आवास निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010.11 से पर्वतीय क्षेत्रों में नये आवासों हेतु रु0 48,500/- तथा मैदानी क्षेत्रों में नये आवासों हेतु रु0 45,000/- अनुदान देय है। वर्ष 2013-14 से पर्वतीय क्षेत्रों में नये आवासों हेतु रु0 75,000/- तथा मैदानी क्षेत्रों में नये आवासों हेतु रु0 70,000/- अनुदान देय है।

योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियां निम्नानुसार विभिन्न वर्गों के लिये मात्राकृत की जायेगी।

1. एक वित्तीय वर्ष में कुल आवंटन का कम से कम 19 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के अनु0जाति तथा 4 प्रतिशत अनु0 जनजाति के परिवारों के लिये मात्राकृत है।
2. सभी वर्गों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिये मात्राकरण 3 प्रतिशत होगा।
3. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शेष गैर अनु0जाति/अनु0जनजाति के ग्रामीण आवासविहीन बी0पी0एल0 परिवार हेतु मात्राकृत हैं।

लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता

लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार निर्धारित है।

- (1) मुक्त बन्धुवा मजदूर.
- (2) अनु0जाति/अनु0जनजाति.
 - (अ) अनु0जाति/अनु0जनजाति के परिवार जो अत्याचार से पीडित है.
 - (ब) अनु0जाति/अनु0जनजाति परिवार जिनकी मुखिया विधवाये या अविवाहित महिलाये है.
 - (स) अनु0जाति/अनु0जनजाति परिवार जो बाढ, आग, भूकम्प, चक्रवात तथा किसी भी प्राकृतिक आपदा से पीडित है.
- (3) कारगिल/कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/ परिवार.
- (4) गैर अनु0जाति/अनु0जनजाति के परिवार.
- (5) शाररिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति.
- (6) सुरक्षा सेनाओं/अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी.

विधायक निधि ((शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना)

- मा0 विधायकों की विधान सभा के अन्तर्गत विकास की मूलभूत आवश्यकतायें, अवस्थापनाओं में क्रिटिकल गैप की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा संस्तुत योजनाओं /कार्य की स्वीकृति के पश्चात विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य सम्पादित किये जाने हेतु योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रु0 3.75 करोड प्रति माननीय विधायक धनराशि को प्रत्येक वर्ष देय है। बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यों की पूर्ति हेतु संबधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यों का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थायें तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना (शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना)

- उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गठित किये जा रहे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में सुधार।
- ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, तथा पलायन को रोकना।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाना।
- महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का आजीविका संवर्द्धन
- एन0आर0एल0एम0 कम्पलाइंट स्वयं सहायता समूहों के व्यक्ति /सामुदायिक भूमि में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुम्य कार्यो यथा नर्सरी, तालाब, बागान, चारा विकास, जैव उर्वरक, पशुओं हेतु बाड़ा आदि का निर्माण आजीविका संवर्द्धन हेतु कार्यो का क्रियान्वयन।
- महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किये जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों हेतु वर्क शेड तथा कृषि उत्पादों एवं पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं हेतु भण्डार गृह का निर्माण। कृषि सम्बन्धी उपकरण कृषि विभाग द्वारा केन्द्राभिरण के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान।
- एन0आर0एल0एम0 कम्पलाइंट स्वयं सहायता समूह के आजीविका सुधार हेतु उद्यान, रेशम, कृषि, वृक्षारोपण, वनीकरण सम्बन्धी कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करवाते हुए अधिकाधिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जायेगा ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सामाजिक समावेशन, एकजुटता और संस्थापन।
- स्वयं सहायता समूहों को उनके ग्राम स्तरीय तथा उच्च स्तरीय परिसंघों में संगठित करना तथा उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना। उच्च स्तरीय संगठनों (VO/BO) के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना। ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य में आगामी 8-10 वर्षों की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों को मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य।

मेरा गांव मेरी सड़क योजना (शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना)

- उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़कों से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आ सकें साथ ही गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गांवों से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु "मेरा गांव मेरी सड़क" योजना प्रारम्भ की गयी है। राज्य के 95 विकास खण्डों में प्रति विकास खण्ड दो सड़कों के निर्माण यानि कुल 190 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय (शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना)

- समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की जा गयी है जिसका नाम "इन्दिरा अम्मा भोजनालय" है। कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण/ नियंत्रणाधीन होगी। उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें प्रति थाली पर्वतीय क्षेत्रों रु. 25.00 एवं जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, एवं नैनीताल में प्रति थाली दर रु. 20.00 उपभोक्ता से लिये जाने का प्राविधान है, तथा रु. 10.00 राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रति थाली वहन किया जाता है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का मूल उद्देश्य, उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना की रणनीति आजीविका संवर्धन हेतु निम्नांकित द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाने की है :

1. अधिकांश परिवारों की खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित करने हेतु उन्हें सहयोग करना।
2. परियोजना का दूसरा व महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आयअर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।

परियोजना क्षेत्र:

परियोजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2020-21 तक कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 44 विकासखण्डों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना का लक्ष्य

- परियोजना क्षेत्र के समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आयअर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।
- उत्पादक समूह व आजीविका संगठनों द्वारा स्थापित उद्यमों में वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण का कार्य करना।
- भूमिहीन अथवा कम कृषि जोत भूमि वाले निर्धन परिवार विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निर्बल उत्पादक समूह में सम्मिलित किया जायेगा।
- बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लिंकेज बनाना।
- परियोजना द्वारा संचालित क्षमता विकास के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना।
- उत्पादों का संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं मूल्य संवर्द्धन करना।
- आजीविका संगठन का सदस्य बन कर गतिविधियों में भागीदारी निभाना।
- फडरेशन/आजीविका संगठनों द्वारा संग्रहित विपणन
- राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी व बाजार प्रोत्साहन कार्यक्रम, टेक-होम राशन व मिड-डे-मील योजनाओं के साथ लिंकेज, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय मंडियों व अंतरराष्ट्रीय विपणन कम्पनियों के लिंकेज।
- 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संवर्द्धन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित करना।

अध्याय—20

प्रादेशिक विकास दल

विभाग का संक्षिप्त परिचय— प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन दिनांक 20 अक्टूबर 1947 के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तदोपरान्त वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम—1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग पुनर्गठित करते हुये एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य कार्य जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक युवक एवं महिला मंगल दल का गठन करते हुये उनका सम्बद्धिकरण/पंजीकरण कर उनके माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये ग्रामीण जनो को उससे लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल में पी0आर0डी0 स्वयं सेवको का चयन कर उनको 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न कार्यालयों, मेला, परीक्षा तथा आपदा, शान्ति सुरक्षा ड्यूटीयों पर तैनात करते हुये अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।

व्यायामशाला – वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः 13, 01, 06, 01, 03, 04 व्यायामशाला है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता – ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर एवं जनपद स्तर पर बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में विभिन्न खेलों के आयोजन हेतु प्राप्त क्रमशः रु0 10.00, 7.00, 12.60, 5.50 व 13.00 लाख की धनराशि को खेल महाकुम्भ 2018 के अन्तर्गत आयोजित अण्डर-14, 17 व 19 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं एवं 19-25 आयुवर्ग की महिलाओं की जनपद/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता व खेलकिट आदि पर व्यय की गयी।

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन – युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति दल रुपये चार हजार की धनराशि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी तथा प्रत्येक विकास खण्ड में रु0 2500 प्रतिमाह मानदेय पर महिला संगठको की तैनाती की गयी।

वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रु0 7.88, 1.32, 3.15, 3.36 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 128, 33, 66, 64 युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया गया एवं महिला संगठको की मानदेय पर तैनाती की गयी।

विवेकानन्द यूथ एवार्ड – जनपद के सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को पृथक-पृथक रुपये 5000.00 (1 शील्ड), 3000.00 व 2000.00 की धनराशि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरुस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर रु0 1500.00, 1000.00 व 500.00 की धनराशि युवक/महिला मंगल दलों को प्रदान की जाती है।

स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण – के अन्तर्गत जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत एवं खण्ड स्तर पर अवैतनिक रूप से तैनात हल्का सरदार तथा ब्लाक कमाण्डरो को क्रमशः रुपये 300.00 व 600.00 प्रतिमाह की दर से कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः रु0 2.16, 1.20, 0.96, 1.48, 0.74, लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 52, 72, 27, 38, 10 को मानदेय दिया गया।

समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा – स्वयं सेवको को अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराते हुये वर्ष 2018–19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः रू0 152.38, 242.98, 275.74, 152.63, 191.27, 161.31 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 34000, 53996, 61275, 38493, 42504, 35846 मानव दिवसों का सृजन किया गया तथा क्रमशः 96, 151, 175, 98, 151, 121 स्वयं सेवको को विभिन्न कार्यालयों तथा थाने में तैनात किया गया। उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय ड्यूटियों में भी स्वयं सेवको को विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किया गया।

युवा महोत्सव – जनपद स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन करते हुये विजयी टीमों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया वर्ष 2018–19 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में क्रमशः रू0 4.60, 4.00, 3.00 व 2.80 लाख की धनराशि व्यय कर विकास खण्ड व जनपद स्तर में युवक/महिला मंगल दलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी।

खेल महाकुम्भ – वित्तीय वर्ष 2018–19 में खेल महाकुम्भ योजना के अन्तर्गत अण्डर-14, 17 व 19 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं एवं 19–35 आयुवर्ग की महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसके लिये निदेशालय स्तर से कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः रू0 45.82, 49.72, 66.40, 27.74, 26.34, 38.96 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी जिससे क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 27 न्याय पंचायतों एवं 8, 08, 11, 04, 03, 07 विकास खण्डों तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया।

अध्याय-21

दुग्ध विकास

1. जिला योजना का विवरण वर्ष 2017-18

क्र०स०	सैक्टर/वर्ष/जनपद	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
जिला सैक्टर				
1.	पिथौरागढ	90.00	63.71	63.71
2.	अल्मोडा	113.96	101.58	101.58
3.	नैनीताल	53.61	38.18	38.18
4.	ऊधमसिंह नगर	54.00	54.00	54.00
5.	बागेश्वर	49.74	30.73	30.73
6.	चम्पावत	100.00	69.28	69.28
योग कुमाऊँ मण्डल		461.31	357.48	357.48

2. राज्य योजना का विवरण वर्ष 2017-18

क्र०स०	सैक्टर/वर्ष/जनपद	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
राज्य सैक्टर				
1.	पिथौरागढ	112.762	112.762	112.762
2.	अल्मोडा	156.482	156.482	156.482
3.	नैनीताल	830.386	830.386	830.386
4.	ऊधमसिंह नगर	470.942	470.942	470.942
5.	बागेश्वर	49.136	49.136	48.901
6.	चम्पावत	156.323	156.323	156.323
योग कुमाऊँ मण्डल		1776.031	1776.031	1775.796

जिला योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के स्तर पर दिये

जाने वाले अनुदान हेतु मदवार निर्धारित मानकों का विवरण:-

(ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण)

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग-निर्देशिका का अनुलग्नक:-

1. नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता:-

क्र०सं०	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि(रु०)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3000	1000	500	4500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैसी	5000	—	—	5000
3.	दुग्ध कैन	7000	—	—	7000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7200	6000	4800	18000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाए	2000	—	—	2000
6.	कार्यशील पूंजी	5000	5000	—	10000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7500	—	—	7500
कुल योग:-		36700	12000	5300	54000

(2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रम:-

(2.1)	पशु औषधि-	रु0 100 प्रति पशु ।
(2.2)	डिवार्मिंग -	रु0 40 प्रति ।
(2.3)	टीकाकरण:	रु0 20 प्रति ।
(2.4)	फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)-	रु0 45 प्रति तीन कि0ग्रा0
(2.5)	मिनरल मिक्सचर-	रु0 30 प्रति कि0ग्रा0
(2.6)	आपात्कालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई-(अधिकतम 02 यूनिट)	
(i)	पशु चिकित्सक हेतु-	
(क.)	मानदेय (समस्त भत्तों सहित) रु0 22 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु-	रु0 2.64 लाख ।
(ख.)	इन्सेन्टिव रु 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु-	रु0 0.48 लाख ।
(ii)	वाहन-	
(क.)	पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0/दिन/20दिन/12माह @ रु 9/किमी0-	रु0 2.16 लाख प्रति वर्ष (अधिकतम) ।
(ख.)	जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी0/दिन/10दिन/12माह @रु 9/किमी0-	रु0 1.08 लाख प्रति वर्ष (अधिकतम) ।

योग:- प्रति इकाई-

रु0 6.36 लाख ।

(2.7)	विविध व्यय:- (अधिकतम 01 यूनिट)	रु0 30,000 /-प्रतिवर्ष ।
(2.8)	संतुलित पशु आहार अनुदान-	
(क)	मैदानी क्षेत्र	रु0 2.00प्रति किग्रा0
(ख)	पर्वतीय क्षेत्र	रु0 4.00प्रति किग्रा0
(2.9)	कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक-	
(क)	मैदानी क्षेत्र	रु0 1.00 प्रति किग्रा0
(ख)	पर्वतीय क्षेत्र	रु0 3.00 प्रति किग्रा0
(2.10)	हैडलोड अनुदान-	
(1)	मैदानी क्षेत्र	25 पैसा /लीटर/कि0मी0
(2)	पर्वतीय क्षेत्र	50पैसा /लीटर/कि0मी0

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास-

(3.1)	दुग्ध कक्ष निर्माण-	
(1)	मैदानी क्षेत्र	रु0 4.65 लाख प्रति ।
(2)	पर्वतीय क्षेत्र	रु0 5.15 लाख प्रति ।
(3.2)	भूसा गोदाम निर्माण-	
(1)	मैदानी क्षेत्र	रु0 5.15 लाख प्रति ।
(2)	पर्वतीय क्षेत्र	रु0 5.65 लाख प्रति ।
(3.3)	डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना-	रु0 65,000 / प्रति नग ।
(3.4)	डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना-	रु0 80,000 / प्रति ।
(3.5)	मैनुअल फ़ैट टैस्टिंग मशीन-	रु0 3,000 / प्रति मशीन ।
(3.6)	इलेक्ट्रिकल फ़ैट टैस्टिंग मशीन-	रु0 5,000 / प्रति मशीन ।
(3.7)	मैनुअल चैप कटर-	रु0 6,000 / प्रति नग ।
(3.8)	इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित)	रु0 10,000 / प्रति नग ।
(3.9)	दुग्ध समितियों में सौर ऊर्जा व्यवस्था- (डी0पी0एम0यू0 संचालन हेतु)	
(अ)	सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी सहित)-	रु0 35,000 /प्रति नग ।
(ब)	सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी रहित)-	रु0 20,000 /प्रति नग ।

(4.) **प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम-**

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग-

रु0 10,000 / प्रति समिति।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन-

(धनराशि रु0 में)

क्र0 सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	रु0 2,000 /- प्रतिगोष्ठी रु0 400 /- प्रति किट। रु0 2,200 /- प्रति दुग्ध मार्ग।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प - रु0 5,000 प्रति कैम्प।

(5.) **स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता:-**

क्र0सं0	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01 बछड़ा हेतु 60 वर्ग फुट)	रु0 12,000 /- प्रति पशुशाला
5.2	पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था-	
	पशु नाद-	रु0 4,000 /- प्रति।
	पशु चरी व्यवस्था-	रु0 2,500 /- प्रति।

(6.) **दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम:-**

(6.1) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम - रु0 7,000 /- प्रति कैम्प।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहन- रु0 1.00 /- प्रति सैम्पल।

पर्वतीय क्षेत्र (10 ली0 से अधिक की दुग्ध समितियों हेतु)

(6.3) सचिव प्रोत्साहन-

दुग्ध व्यवसाय का 3.5%।

(10 ली0 से अधिक की दुग्ध समिति हेतु)

2. राज्य सेक्टर योजना:-

2.1. **डेरी विकास योजना:-**

- **प्रबंधकीय अनुदान:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से संघ स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबंधकीय स्टाफ, ग्रुप सचिवों को राजकीय अनुदान के रूप में मानदेय कार्यालय श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
- **यातायात योजना:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातायात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- **अवस्थापना सुविधायें:-** इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों को सिविल कार्य व प्लांट मशीनरीज मदों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढीकरण का कार्य किया जाता है।

2.2. **गंगा गाय महिला डेरी योजना:-**

- गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 198.8035 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिससे 703 पशुक्रय

का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे क्रय कर पूर्ण कर लिया गया। साथ ही, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुनाद के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

योजना की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है—

(धनराशि ₹0 में)

क्र० सं०	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5280	2640	0	2640
	योग—	1	52000	27000	20000	5000

2.3. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:—

- इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹0 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹0 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राजअनुदान उपलब्ध कराया गया है।
- राज्य सेक्टर में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹0 1272.3496 लाख (सामा0— ₹0 1113.1272 एवं एस0सी0एस0पी0— ₹0 159.2224 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

2.4. महिला डेरी विकास योजना:—

- प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीवकोपार्जन हेतु आय-व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन— ₹0 53,85,300.00 प्रति समिति, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार— ₹0 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य सेक्टर में डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹0 137.94407 लाख (सामा0— ₹0 96.073, एस0सी0एस0पी0— ₹0 35.466 लाख एवं टी0सी0पी0— ₹0 6.403 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

2.5. दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण:—

- इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

2.6. सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना:—

- वर्ष 2017-18 हेतु उक्त योजनान्तर्गत सामान्य में ₹0 70.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹0 62.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

3. वर्ष 2017-18 की उपलब्धियां :— उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 निबन्धित

किये गये हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का भी गठन किया गया है।

वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य 3987 के समक्ष माह मार्च, 2018 तक 4066 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गईं। इन दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 1,57,894 के समक्ष 1,59,421 सदस्य से 1,94,894 कि०ग्रा० औसत दैनिक दुग्धोपार्जन किया गया। साथ ही विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा इस वर्ष राज्य के नगरीय उपभोक्ताओं को 185604 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 1,56,009 लीटर औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री किया गया।

4. डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ एक दृष्टि में :-

(सहकारी वर्ष-2017-18, माह/दिनांक: मार्च, 2018 तक)।

- 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 10 दुग्धशालाएँ, जिनकी दैनिक क्षमता 2.55 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 45 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 100 मै० टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित।
- 140 दुग्ध मार्गों पर 4,066 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 2,652 कार्यरत, जिसमें 1,59,421 सदस्यों तथा 51,796 पोरर दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।
- माह मार्च, 2018 में औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 2,47,554 कि०ग्रा० एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में मार्च, 2018 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 1,94,894 कि०ग्रा०।
- माह मार्च, 2018 में औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,56,932 ली० एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में माह मार्च, 2018 तक औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री 1,56,009 लीटर।
- माह मार्च, 2018 तक कुल 12,490 मै० टन ऑचल पशुआहार की बिक्री।

6. रोजगार सृजन :-

कार्यरत समितियां-	2652
सदस्यता-	159421
दैनिक दुग्ध उपार्जन (कि०ग्रा०)-	194894 कि०ग्रा०
प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन-	73.00 लीटर
दैनिक नगरीय दुग्ध विक्रय (ली०)-	156009 कि०ग्रा०
पशु आहार विक्रय (मै०टन)-	10718 मै०टन
प्राथमिक पशु चिकित्सा संख्या/डिवार्मिंग-	31676 / 89908

4. स्वाट (swot) विश्लेषण :-

ताकत (strength)

- 1- सहकारी संस्था होने के कारण समय-समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।
- 2- पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।
- 3- पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न स्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।
- 4- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोग है।

कमजोरियाँ (weakness)

- 1-सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।
- 2-त्वरित निर्णय प्रक्रिया का आभाव।
- 3-अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।
- 4-पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयंत्र।
- 5-कार्मिकों का मूल्यांकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरियता के आधार पर किया जाना।

सम्भावनाएँ (opportunities) :-

- 1-दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है।
- 2-व्यवसाय का विविधीकरण।

3-ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि जोते छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

6. भय (threat) :-

- 1-इंधन में (कोयला,तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि।
- 2-उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की और रूझान का बढ़ना।
- 3-विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियाँ तथा नये कारधानों का बोझ।
- 4-शहरों का तेजी से गाँव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।
- 5-औद्योगीकरण का तीव्र विकास डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

7. प्रमुख आवश्यकतायें/कार्यक्रम/विचार :-

- 1-दक्ष, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबन्धकीय श्रम शक्ति।
- 2-वर्तमान श्रम शक्ति का प्रशिक्षण, भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता विकास।
- 3-दुग्धशाला में प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण।

महिला डेयरी परियोजना:-उत्तराखण्ड में दुग्ध उत्पादन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उत्पादन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में पशु पोषण,स्वयं सहायता समूह,जागरूकता कार्यक्रम, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 2, 2, 2, 2, 2, कुल 12 दुग्ध समितियों का गठन किया गया, जिनसे प्रतिमाह औसतन क्रमशः 583, 40, 57, 9, 15, 177 कुल 881 ली0 औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन किया गया।

डेरी विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण :-

1. पशु औषधि एवं डिवार्मिंग :- पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा, पशु कृमि नाशकों की औषधियों की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्यों के पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है जिससे प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और दुग्ध उत्पादन दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रों में दुग्ध समिति सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम स्तर पर, पशु टीकाकरण, औषधि एवं डिवार्मिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत पशु टीकाकरण में अनुदान 1.290, 0, 0, 0, 0, 0 कुल 1.290, 18000, 0, 0, 0, 0, 0, 0 कुल 18000, एवं पशु औषधि क्रमशः 0, 10000, 8000, 0, 2000, 11676 कुल 31676 पशु औषधि हेतु 100 प्रति पशु की दर से क्रमशः 0, 10.500, 8.00, 0, 2.00, 11.670, कुल 32.170 लाख व 10000, 4875, 10000, 0, 1000, 12500 कुल 38375 डीवार्मिंग हेतु 40.00 प्रति पशु की दर से क्रमशः 3.07, 5.00, 4.00, 0, 0.40, 3.00 लाख व क्रमशः कुल रू. 15.47 लाख का व्यय किया गया है।

2. आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं पर्यवेक्षक इकाई :- समिति सदस्यों द्वारा आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। अतः दुग्ध समिति सदस्यों को नाममात्र शुल्क पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु 5.00 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

3. संतुलित पशु आहार अनुदान :- दुग्ध उत्पादक में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशु आहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने पशुओं का आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार खिलायें। वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 0, 10.600, 23.400, 27.00, 3.00, 22.00, कुल रू. 86.00 लाख का व्यय किया गया है।

4. हैड लोड अनुदान :- पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन अत्यधिक कम हैं। तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुये व सड़क से दूर स्थित हैं। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुंचाने में व्यावहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाएँ अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। अतः हैड लोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये पर्वतीय क्षेत्र हेतु 50 पैसा प्रति लीटर प्रति किमी0 की दर से वर्ष 2017-18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा,

चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर, के अर्न्तगत क्रमशः 0, 29.670, 34.01, 33.20, 4.49, 0, कुल रू. 101.370 लाख व्यय किया गया।

5. गंगा गाय महिला डेरी योजना :-राज्य सैक्टर योजना के अर्न्तगत गंगा गाय महिला योजना के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर, के अर्न्तगत क्रमशः 228, 75, 90, 105, 25, 180 कुल 703 गाय क्रय की गई प्रति लाभार्थी मु0 27000 का अनुदान उपलब्ध करा कर क्रमशः 45.6, 15.00, 18.00, 21.00, 5.00, 36.00 कुल रू. 140.6 लाख व्यय किया गया है।

6. दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन :-राज्य सेक्टर योजना के अर्न्तगत सहकारी समितियों के समस्त दुग्ध उत्पादको का दुग्ध प्रोत्साहन योजना 2017-18 से दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त प्रति लीटर मु0 4.00 का प्रोत्साहन राशि का वितरण कर क्रमशः 637.217, 39.410, 73.887, 63.421, 3.158, 387.214 कुल रू 1204.307 लाख व्यय किया गया है।

7. मिनरल मिक्सचर :-जनपद में दुधारू पशुओं के कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है, मिनरल की पूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रति किलाग्राम 30 रू0 अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक :-जनपद में चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार हैं जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को दुग्ध विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें रियासती दर पर/अनुदान में कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम :- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रण की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं का उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही है। इन कैम्पों के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें हो रहे अपमिश्रण की जानकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा रही है।

10. दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास :- दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास के अर्न्तगत डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना किया जा रहा है डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना से दुग्ध गुणवत्ता में सुधार के साथ दुग्ध समिति के कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार हुआ है।

अध्याय – 22 मत्स्य विकास

मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में उँचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियाँ कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही है। प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी, रामगंगा, विनोद, गगास, सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियाँ है। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण आभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्ध जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वृहद जलाशय क्रमशः नानकसागर, बैगुल, धौरा, तुमरिया, उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा मत्स्य पालन की संभावना वाले इन तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा राजस्व विभाग से जनपद के मत्स्य पालकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन “नीली क्रान्ति” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं। प्राकृतिक जलसम्पदा के रूप में नैनीताल, खुर्पाताल, सातताल, भीमताल एवं नौकुचियाताल प्रमुख झीलें हैं। नदियों के रूप में गौला, कोसी, प्रमुख नदियाँ हैं।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ वर्ष भर जलश्रोतों की उपलब्धता रहती है।

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विशिष्ट स्थान है, जहाँ सागरों, नदियों, झीलों, जलाशयों तथा प्राकृतिक तालाबों के साथ-साथ मानव निर्मित तालाबों के रूप में अन्तः स्थलीय जल संसाधन उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ-साथ क्षेत्रवासियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अर्न्तगत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरुड गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे हैं।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहाँ नदियों गधेरों नहरों व प्राकृतिक श्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो छोटे-छोटे तालाब निर्माण/सुधार कर मत्स्य पालन कार्य-व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

जिला सैक्टर

जलाशय विकास योजना

- **मत्स्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनचेतना एवं गोष्ठी** – पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जलस्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना व गोष्ठियों का आयोजन कर प्रति गोष्ठी रु 10,000/की दर से व्यय किया गया।
- **मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना**— भारत वर्ष में 2018-29 तक मत्स्य उत्पादकता को दोगुना किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2017-18 से नील क्रान्ति योजना संचालित की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 100 वर्ग मी0 के तालाबों के सुधार हेतु कुल मानक धनराशि रु0 40,000.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रु0 20,000.00 अनुदान देय हैं ।

राज्य योजना अर्न्तगत अवगत कराना है कुमाऊँ मंडल में पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के 100 वर्ग मी0 तालाब निर्माण हेतु 1,20,000.00 लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान देय हैं।

3- कुमाउ मंडल के मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के 1.0 हैक्टर तालाब निर्माण/निवेश हेतु रु0 7,00,000.00 पर 60 प्रतिशत का अनुदान देय है एवं निवेश के रूप में मत्स्य आहार एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

4- राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन विविधीकरण योजना कुमाऊँ मंडल में नयी योजना अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए है। मैदानी क्षेत्रों में विगत 05 वर्ष पुराने तालाब जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है। जिस पर 1.00 है०क्षे० के तालाब पर सुधार लागत 3.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 2.10 लाख अनुदान देय है। मैदानी तालाब सुधार निवेश हेतु 1.00 है०क्षे० के तालाब पर सुधार लागत 1.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.90 लाख देय है। निवेश अन्तर्गत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयों आदि कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 3.00 लाख अनुदान देय है।

पर्वतीय क्षेत्रों ऐसे तालाब जो में विगत 05 वर्ष पुराने जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है। जिस पर 0.01 है०क्षे० के तालाब पर सुधार लागत 0.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.30 लाख अनुदान देय है, तालाब सुधार निवेश हेतु 0.01 है०क्षे० के तालाब पर सुधार लागत 0.20 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.12 लाख देय है। निवेश अन्तर्गत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयों मत्स्य बीज यातायात आदि कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 0.42 लाख अनुदान देय है।

समन्वित मत्स्य पालन है। वर्ष 2018-19 कुमाऊँ मंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप योजना अन्तर्गत **पर्वतीय क्षेत्रों** में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्गमीटर रक्षे० का शेड निर्माण, 20 फलदार पेड़, दवाइयों, आहार, 50 बत्तख के चूजे सम्मिलित है। एवं प्रथम वर्षीय निवेशसहित कुल लागत 1.39 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 0.83 लाख देय होगा। है।

वर्ष 2018-19 मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्गमीटर क्षे. का शेड निर्माण, 50 फलदार पेड़, दवाइयों, आहार, 300 बत्तख के चूजे सम्मिलित है। एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत 6.60 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 3.96 लाख देय होगा।

प्रचार-प्रसार- इसमें राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तक योजनाओं को पहुँचाये जाने हेतु पम्पलेट, साहित्य, बुकलेट, ब्राउजर, होडिंग आदि लगाकर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

6. पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत 50 वर्ग मी० तालाब निर्माण एवं निवेश पर कुल धनराशि रू० 50,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान रू० 25,000.00 अनुदान देय है।

7. पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत 200 वर्ग मी० तालाब निर्माण एवं निवेश पर कुल धनराशि रू० 3,00,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान रू० 1,50,000.00 अनुदान देय है।

9. मिशन फिंगरलिंग मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत 01 हैक्टअर तालाब की कुल लागत 7,50,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2018-19 में जनपद उधम सिंह नगर 9.50 है० के रियरिंग यूनिट का निर्माण किया गया।

10. मत्स्य बीज वितरण:- वर्ष 2018-19 में कुमाऊँ मण्डल 235.9475 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया।

11. ट्राउट रेसवेज निर्माण- इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के समुद्रतल से 4000 फीट वाले जनपदों को ट्राउट रेसवेज निर्माण हेतु 50 क्यूबिक मी० आयतन के पक्के फार्मिंग यूनिट का निर्माण लागत रू० 2,00,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत रू० 80,000.00 सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान धनराशि देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.20 लाख अनु० जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार प्रथम वर्षीय निवेश पर धनराशि 2.50 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु रू० 1.00 लाख देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.50 लाख अनु० जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार निर्माण एवं निवेश की कुल धनराशि रू० 4.50 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान रू 2.00 लाख देय है। एवं अनु० जाति एवं जनजाति के लिए कुल अनुदान रू० 2.50 लाख देय है।

अध्याय – 23

बैंकिंग सेवा

बैंकिंग सेवा के अर्न्तगत वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 542, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 138 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 187 कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 में व्यवसायिक बैंको की जमा धनराशि 4108687.43 लाख रुपया है। बैंकों द्वारा वर्ष 2018-19 में 2212841.92 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2018-19 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 53.86 रहा है। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 725342.46 लाख रुपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 506125.41 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2018-19 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
(क) बैंक शाखाओं की संख्या									
1	राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	84	139	53	204	29	33	542
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	29	37	30	20	14	8	138
3	अन्य निजी व्यवसायिक बैंक	संख्या	18	64	4	77	3	21	187
4	जिला सहकारी बैंक	संख्या	1	1	1	4	0	0	7
5	सहकारी बैंक की शाखायें	संख्या	21	32	18	33	8	8	120
(ख) व्यवसायिक बैंको में ऋण जमा अनुपात									
1	जमा	लाख रु०	526988.43	1534300	396968	1271900	165824	212707	4108687.43
2	वितरित ऋण	लाख रु०	122138.92	601800	128796	1260300	47263	52544	2212841.92
3	ऋण-जमा अनुपात	प्रतिशत	23.18	39.22	32.44	99.09	28.50	24.70	53.86
4	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	लाख रु०	45757	1088928	30407.00	1323610	16550	12530.82	2517782.82
i	कृषि तथा तत्सम्बन्धी सेवायें	लाख रु०	11327	53014	11872	636611	4808	7710.46	725342.46
ii	लघु उद्योग एवं अन्य	लाख रु०	2578	128214	5048	365499	3778	1008.41	506125.41
5	दुर्बल वर्ग को अग्रिम	लाख रु०	31852	907700	13487	321500	7964	3811.95	1286314.95

अध्याय – 24

समाज कल्याण

1:—अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति:—इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1960.22 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 90636 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2:—पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति:—इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रू0 280.65 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 3343 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3:—दिव्यांग छात्रवृत्ति:—इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के पाल्यों छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रू0 0.132 लाख के सापेक्ष की धनराशि व्यय कर 15 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4:—विधवा पेंशन:—योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रू0 8650.29 लाख की धनराशि व्यय कर 74096 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

5:—वृद्धावस्था पेंशन :-योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 27612.21 लाख की धनराशि व्यय कर 190597 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

6:—दिव्यांग भरण पोषण अनुदान:— योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिषत 40 या इससे अधिक है। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो, को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रू0 3682.88 लाख की धनराशि व्यय कर 30872 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

7:—तीलू रौतेली पेंशन – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के कृषि कार्य करने में 20 से 40 प्रतिषत दिव्यांगता होने के फलस्वरूप रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 93.51 लाख की धनराशि व्यय कर 745 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

8:—बौना समाज को पेंशन— प्रदेश में 21 वर्ष से अधिक उम्र एवं 4 फुट से कम ऊँचाई के व्यक्तियों को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 3.49 लाख की धनराशि व्यय कर 43 बौने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

9:—जन्म से दिव्यांग बच्चों को भत्ता— योजनान्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण-पोषण हेतु भी रू0 700 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू. 184.60 लाख की धनराशि व्यय कर 2902 दिव्यांग बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

10:—दिव्यांग दम्पति को विवाह प्रोत्साहन:—योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा दिव्यांग महिला/पुरुष से विवाह करने पर दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000 का प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 11.00 लाख व्यय कर 43 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया।

11:—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय हेतु अनुदान:— इस योजनान्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग हो को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय किये जाने हेतु रु 3500.00 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु 11.765 लाख की धनराशि व्यय कर 278 दिव्यांगों को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया।

12—परित्यक्ता पेंशन—योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएँ जो बी0पी0एल0 हो अथवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 15,976 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 21,206 से अधिक न हो, को लाभान्वित किया जाता है। परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को रु0 1000/—प्रतिमाह की दर से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को रु0 1,400 प्रतिमाह की दर से भरण—पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु. 260.57 लाख की धनराशि व्यय कर 2648 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

13. किसान पेंशन — 60 वर्ष से ऊपर के स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि में कृषि कार्य करते हैं, तथा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहे हैं, को रु0 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु. 1468.76 लाख की धनराशि व्यय कर 10689 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

14:—अनुसूचित जाति की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान:—अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु0 15,000 तक है। अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये रु0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018—2019 में रु0 714.00 लाख व्यय कर 1428 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

15:—निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान — इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु रु0 50,000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु. 163.50 लाख की धनराशि व्यय कर 327 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

16:—राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना — इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो, की मृत्यु होने पर, शोक संतुप्त परिवार को रु0 20,000 एक मुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु. 95.40 लाख की धनराशि व्यय कर 477 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

17:—गौरादेवी कन्याधन योजना:—इस योजनान्तर्गत इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 15,976 वार्षिक आय, शहरी क्षेत्र में रु0 21,206 वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को रु0 50,000 की धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा सावधि जमा (Fixed Deposit) प्रपत्र दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017—18 से योजना का स्वरूप परिवर्तित कर नन्दा गौरा कन्याधन करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्थानान्तरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016—17 की अवशेष देयता हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में 2789.50 लाख की धनराशि व्यय कर 5579 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

18:—अटल आवास योजना:—अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रु0 32,000 वार्षिक आय है तथा आवासहीन है, को रु0 38,500 की आर्थिक सहायता आवास एवं षौचालय निर्माण हेतु दी जाती है। वर्ष 2018—19 में 87.865 लाख रु0 व्यय कर 189 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

20:—अनाथ एवं अकिंचनों का दाह—दफन संस्कार:— अनाथ एवं अकिंचन मृतकों के दाह संस्कार एवं दफन हेतु देय अनुदान की दर रु0 2500 /— से बढ़ाकर रु0 3500/— कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में रु. 1.965 लाख की धनराशि व्यय कर 54 अनाथ एवं अकिंचनों का दाह—दफन संस्कार हेतु धनराशि व्यय की गई है।

21:—अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ::— अनुसूचित जाति के छात्रों को वयावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु जनपद नैनीताल के पाइन्स में हिन्दी आधुनिक, कटिंग टेलरिंग, विद्युत फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड एवं मालधचौड़ रामनगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, इलैक्ट्रिशियन ट्रेड तथा जनपद

बागेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, इलैक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 255.57 लाख की धनराशि व्यय कर 280 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

22:-राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह :- जनपद बागेश्वर में एक राजकीय बृद्ध एवं अशक्त आवास गृह की स्थापना की गई है। जहां निराश्रित वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधा उपलब्ध है। जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 है। वर्तमान में 12 बृद्ध निवास करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11.98 लाख की धनराशि व्यय कर 12 निराश्रित वृद्धों को लाभान्वित किया गया।

23:-अनुसूचित जाति छात्रावास :- जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालन किया जा रहा है। जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 141.41 लाख की धनराशि व्यय कर 260 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

24:-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय- प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार, जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुमाऊ मण्डल के रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) एवं बेतालघाट (नैनीताल) में आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त विद्यालयों में रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) में कक्षा 1 से 5 तक तथा बेतालघाट (नैनीताल) हाई स्कूल, स्तर तक के हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु प्रति छात्र प्रति दिन रु. 69/-की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विद्यार्थियों के वस्त्र, दवाईयों आदि की भी निःशुल्क सुविधा पृथक से उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 173.18 लाख की धनराशि व्यय कर 195 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :-

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।